खण्ड-242, अंक-3
बुधवार, 3 आश्विन, शक संवत् 1885
(25 सितम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३९६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री

नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खं, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवादीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल,श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री]

मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूडी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पाण्डेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रत पसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती

शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सूखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा लघु उद्योग उप-मंत्री, श्री शिव-प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

४ अक्तूबर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर का शोधन

४ अक्तूबर १९६२ को श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर में संशोधन इस प्रकार है :—

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
*९२—चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)— क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बेला (इटावा) की नई डिस्पेन्सरी के अहाते में सरकार द्वारा शफाखाना के निर्माण के लिये भूमि हस्तगत करने के पश्चात् भी करीब १० बीघा गेहूं और मटर बोये गये थे? यदि हां, तो उसकी फसल की पैदावार कहां जमा हुई? शफाखाने के हिसाब में या डाक्टर के व्यक्तिगत हिसाब में?	सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार बेला डिस्पेन्सरी के लिये भूमि हस्तगत करने के पश्चात् उस पर कोई फसल नहीं बोई गई है। अतः पैदावार के जमा होने का प्रश्न नहीं उठता। संशोधित उत्तर बेला डिस्पेन्सरी के अहाते में सरकार द्वारा चिकित्सालय के निर्माण हेतु भूमि हस्तगत करने के पश्चात् ४ या ५ बीघा भूमि में सन् १९६०–६१ के रबी की फसल में गेहूं और मटर वहां के उस समय के चिकित्सक ने बिना सरकार की आज्ञा लिये हुये बोये थे, यह फसल सर्वश्री रामकृष्ण, सोनो लाल, लाला राम व सिपाही लाल, साकिनान ग्राम परसपुरवा से काश्त करवाई गई थी। फसल की जो कुछ भी पैदावार हुई वह चिकित्सक व उपरोक्त व्यक्तियों ने आधी-आधी बांट ली।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार बतलायेगी कि इस तरह से जमीन बिना सरकार की अनुमति शिकमी को उठा देना और उसकी फसल को सरकारी कागजों में जमा न करके अपने पास रख लेना कानून के खिलाफ नहीं है और यदि है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

उस वक्त जो डाक्टर थे उन्होंने जो यह काम किया वह नामुनासिब काम था। इसके लिये उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

एक सदस्य—

श्रीमन्, सदन में धुआं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहला दिया है कि इस समय जो अंगीठी है उसको बुझा दिया जाय और अगर वह इन्तजाम नहीं कर पायेंगे तो यहां से हटा दिये जायंगे। कल भी इस तरह की परेशानी हुई थी जो इस वक्त है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बजट में गेहूं और मटर की फसल कितनी कितनी हुई थी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

उन लोगों का कहना है कि वहां पर सिंचाई का कोई इन्तजाम नहीं था। २ मन गेहूं और २ मन चना हुआ है।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

इस सम्बन्ध में जो सूचना पहले मांगी गई थी और बाद में जो सूचना मांगी गयी है दोनों में अन्तर मालूम होता है तो पहले जिस अधिकारी से मांगी गई थी उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

वहां जो अधिकारी था उसने सूचना भेजी थी। यह कहा गया कि उन लोगों ने निहायत लापरवाही से काम किया है। इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ४ अक्तूबर, १९६२ के अशुद्ध उत्तर पर पूरे साल भर में यह संशोधित उत्तर आया है इसका क्या कारण है ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव--

इसका कारण यही है कि जब फिर माननीय सदस्य ने लिखा कि वह उत्तर ठीक नहीं है तो फिर कार्यवाही की गई और जब सदन बैठा तो पहले ही अवसर पर इसको हमने यहां पर बता दिया।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २५ सितम्बर, १९६३

तारांकित प्रश्न

हरिजन कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न अनुदानों का व्यय

*१--श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के जिलों में गृह निर्माण, कूप निर्माण, कुटीर उद्योग, लघु सिंचाई योजना आदि अनुदानों के लिये कितने रुपये की व्यवस्था की गई थी और उसमें से कितना व्यय हुआ ?

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस सूचना को देखने की कृपा करेगी कि १९६१-६२ में गृह निर्माण में २४,४५,००० रुपये, कूप निर्माण में ८,५८,००० रुपये, कृषि उत्पादन के लिये लघु योजनाओं पर ८,१५,००० रुपये और कृषि वस्तुओं के लिये १९ लाख रुपया दिया गया, लेकिन उसमें जो खर्च हुआ है वह बहुत कम खर्च हुआ है। लगभग एक चौथाई खर्च हुआ है। तो क्या सरकार इसके ऊपर विचार करेगी कि इतना कम खर्चा होने का क्या कारण है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

कुछ हद तक माननीय सदस्य की बात सही है कि रुपया कुछ मदों में कम खर्च हुआ है। अलग-अलग मदों में कम खर्च होने का अलग अलग कारण है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगी कि अलग अलग विषयों में अगर वह बैठ कर डिस्कस कर लें तो उनको यह सारी बात विस्तार से बताई जा सकती हैं कि क्या कारण था कि कम खर्चा हुआ। कुछ मदें ऐसी हैं जिनमें खर्चा काफी हुआ है। कुछ मदें ऐसी हैं जिनमें खर्चा बिलकुल नहीं हुआ है।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि यह हालत एक साल की ही नहीं, जब से विभाग खुला है, तब से है और इसमें रुपया खर्च नहीं हो पाता। तो इसके लिये क्या सरकार एक कमेटी बनाने की बात पर विचार करेगी कि जो इस सारे प्रश्न पर विचार करके सरकार को सुझाव दे कि किस प्रकार रुपये का सदुपयोग किया जा सकता है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

इन्हीं सारी चीजों को दृष्टिकोण में रखते हुए एक नये प्रकार की योजना चलायी जा रही है। पहले जिला स्तर पर कमेटियां होती थीं और वह रुपया वितरित करती थीं, अब ब्लाक स्तर पर कमेटियां बना दी गयी हैं जो रुपया खर्च करने पर विचार करती हैं। उन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ही विभाग ने यह कदम उठाया है।

श्री ऊदल—

मेरा यह प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इन सभी प्रश्नों पर विचार करने के लिये तीन या पांच आदमियों की कोई पावरफुल कमेटी बनाने पर विचार कर रही है जो अपने सुझाव सरकार को दे कि यह रुपया किस प्रकार खर्च किया जा सकता है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इन सारे प्रश्नों पर स्टैंडिंग कमेटी में विचार होता है और इसके लिये कोई अलग कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

यह जो २४ लाख रुपया सेंक्शन हुआ और कुल ८ लाख रुपया खर्च हुआ, वह क्या केवल शहर में ही खर्च हुआ या ग्रामीण क्षेत्रों में भी खर्च हुआ है?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

इसमें जो रुपया गृह निर्माण पर खर्च हुआ है वह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही खर्च हुआ है। शहरों में यह रुपया म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा व्यय होने की व्यवस्था थी, इसलिये वह खर्च नहीं हो सका।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा हरिजनों को उचित सूचना न मिलने के कारण ही वे इस रुपये के सदुपयोग से वंचित रह जाते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी बात बतलायें तो उसकी इन्क्वायरी की जा सकती है। यहां तो ऐसी कोई इन्फार्मेशन नहीं है कि इस तरह से रुपये का दुरुपयोग हुआ है। अगर कोई सुझाव माननीय सदस्य देंगे तो उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि कुछ मदों में बहुत खर्च हुआ है और कुछ मदों में बिलकुल खर्च नहीं हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सी वे मदें हैं कि जिनमें बिलकुल खर्च नहीं हुआ है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

जो खर्च हमको म्युनिसिपल बोर्ड्स द्वारा करने होते हैं, जैसे भंगियों को सफाई के साधन उपलब्ध करने के लिये तथा शहरों में उनकी बस्तियां बनाने के लिये जो खर्च करना था वह नहीं हुआ है।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

उत्तर में बतलाया गया है कि रुपया कम खर्च हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार को यह बात कि रुपया कम खर्च हुआ है एकाएक मालूम हुई अथवा क्वार्टरली या मंथली रिपोर्टस् के जरिये मालूम हुई ? और अगर मंथली या क्वार्टरली रिपोर्टस् से मालूम हुई तो उसे ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

यह बात समय-समय पर सरकार की नोटिस में आती रही है कि रुपया कम खर्च हो रहा है, लेकिन केन्द्रीय सरकार का जो अनुदान था वह उनकी हिदायतों के मुताबिक ही खर्च किया जा सकता है। हमारा वह रुपया लैप्स नहीं होता, लेकिन केन्द्रीय सरकार के रेग्यो के अनुसार हमको रुपया खर्च करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त गृह निर्माण आदि में जमीन उपलब्ध न होने के कारण भी रुपया खर्च नहीं हो पाया।

वह केन्द्रीय सरकार का अनुदान है। जमीन जो हरिजनों को हमें देनी है वह भी उपलब्ध नहीं हो सकी। इन कारणों से समय-समय पर सरकार के नोटिस में यह जरूर रहता है कि रुपया खर्च नहीं किया जा रहा है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की कौन-सी शर्तें थीं जो पूरी नहीं हो पायीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

पूरी सूचना नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

उत्तर में कहा गया है कि कुछ ऐसी मदें हैं जिनमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ है तो केवल भंगियों वाली ही मद है या दूसरी कोई मद है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

बस वही एक मद है, आप जवाब में देख लें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

जब यह स्पष्ट हो गया कि वर्ष में अनुदान खर्च नहीं होता और अन्त में अधिक मात्रा में रुपया वापस हो जाता है तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ब्लाकों के ऊपर एक सूचिका पत्र इस प्रकार का टंगवा दिया जाय जिससे पता चल सके कि कितना रुपया किस मद में खर्च हो रहा है और जबतक किसी मद का रुपया समाप्त न हो जाय वह सूची वहीं टंगी रहे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

यह जो सुझाव दिया है इसपर विचार किया जायगा और अगर मुनासिब होगा तो उसपर अमल करने की कोशिश की जायगी, क्योंकि ब्लाक तो अभी नये बने हैं।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या जो कम खर्च किया गया है उसका एक कारण यह भी है कि ब्लाकों द्वारा जो खर्च किया जाता है उसमें ब्लाक अधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

इस किस्म की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

जिला सहकारी विभाग, प्रतापगढ़ के हेड क्लर्क का जी०पी० फंड

*२---श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहकारी विभाग प्रतापगढ़ में भूतपूर्व हेडक्लर्क अवकाश प्राप्त होने के बाद १९५५ से अपने जी० पी० फंड के बारे में लिखा-पढ़ी कर रहे हैं परन्तु इनको फंड अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है और ऐसे कितने कर्मचारियों का जी० पी० फंड का पैसा उनके अवकाश प्राप्त करने के बाद भी अभी तक उनको नहीं दिया गया है ?

न्याय मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)---

जी हां, यह सत्य है।

इसका कारण यह है कि श्री छैल बिहारी लाल श्रीवास्तव द्वारा गबन किये हुए सरकारी धन की वसूली का मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त इस विभाग के सिवाय एक कर्मचारी के अन्य किसी अवकाश प्राप्त कर्मचारी का जी० पी० फंड का भुगतान शेष नहीं है।

श्री बाबूलाल---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जी० पी० फंड जो किसी की सेवाओं से मुक्त होने के पश्चात् उसके निर्वाह के लिये मिलता है वह उसको मिलने के सम्बन्ध में १० वर्ष कैसे लग गये और अगर गबन की रकम की वसूलयाबी का सवाल था तो वह उसमें से काटकर मिली होती और अब आगे और कितने वर्ष लगेंगे फंड वापस होने में ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---

जो जी० पी० फंड का प्रश्न है वह रुपया जरूर उनका जमा है, लेकिन उन्होंने सरकार को नोटिस दिया है कि सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जायगा और सरकार ने भी निर्णय लिया है कि मुकदमा लड़ा जाय। उनपर गबन का केस चला था जिसमें

उनको ६ मास की जेल हुई और ३०० रुपया जुर्माना हुआ। गबन का रुपया सरकार उनसे वसूल करना चाहती है, वह मुकद्दमा अदालत में लड़ा जायगा। क्या आप चाहते हैं कि गबन का रुपया जो गबन कर लेता है उससे वसूल न किया जाय ?

श्री हिम्मतसिंह---

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितना जी० पी० फंड है और कितना गबन का रुपया उनके हिसाब में लग रहा है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---

२६७.५० रुपये गबन के हैं।

श्री बाबूलाल---

६ वर्ष तक यह रुपया वसूल क्यों नहीं हुआ जब कि यह मामला बहुत पहले से चल रहा है ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---

चूंकि गबन का मामला अदालत में चल रहा था, हाई कोर्ट तक मुकदमा चला और उसमें उनको सजा हुई जिसमें ६ महीने का रिगरेस इम्प्रिजिन्टमेंट तथा ३०० रुपये का फाइन हुआ, इसी कारण इसमें देरी हुई।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

जी० पी० फंड का रुपया कितना है ? अगर वह गबन वाली रकम से ज्यादा है तो बाकी रुपये का भुगतान क्यों नहीं हुआ ?

लघु उद्योग मन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

जी० पी० फंड तो ३,००० रुपये का है मगर उसमें से उसको काटने के कोई नियम नहीं हैं इसलिये वह नहीं काटा जा सका। सरकार उन पर दावा कर रही है जब डिग्री हो जायेगी वह दे दिया जायेगा।

श्री बाबूलाल---

बाकी क्यों नहीं दिया गया ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमा समाप्त हुए कितने वर्ष हो गये ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)---

इसमें ऐसा है कि बीच में वे मुअत्तल भी हुए, जांच हुई, पुलिस का मुकदमा चला, हाई कोर्ट तक वह मुकद्दमा गया, इस बीच में वापसी का सवाल ही नहीं उठता। सवाल तो जब पैदा हुआ जब उनको सजा हो गयी। अब और कार्यवाही हो रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उसको सजा वगैरह हुई, मगर क्या जी० पी० फंड से उसको अटैच किया गया या नहीं ?

श्री चन्द्रसिंह रावत---

अटैच नहीं किया गया और अन्डर रूल्स अटैच नहीं किया जा सकता।

श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

वह मुकदमा जो चल रहा था, कब समाप्त हुआ ?

श्रीचन्द्रसिंह रावत--

१६-६-१९५४ को।

श्री यादवेन्द्र दत्त--

जब ५४ में केस खत्म हो गया तो ९ वर्ष तक अटैचमेंट क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

वह कह रहे हैं कि ला परमिट नहीं करता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

तो क्या वह रुपया उन्हें वापस किया गया ?

श्री चन्द्रसिंह रावत--

जी नहीं।

त्रिवेदीगंज ब्लाक से सहकारी समितियों को ऋण

*३--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि त्रिवेदीगंज ब्लाक (बाराबंकी) में विगत जनवरी सन् १९६० से १२ फरवरी, सन् १९६३ तक कितनी सहकारी समितियों को ऋण दिलाया गया और कब-कब कितना-कितना ?

श्री मुजफ्फर हसन--

विवरण† संलग्न है।

*४--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या यह बात सही है कि सैकड़ों प्रार्थना-पत्र ऋण के ब्लाक कार्यालय में इसलिये पड़े हैं कि ए० डी० ओ० सहकारिता उन्हें अग्रसारित नहीं कर रहे हैं यदि हां, तो कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी नहीं।

*५--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

क्या यह सच है कि धन की प्राप्ति न होने की वजह से ऋण के आवेदन-पत्र अग्रसारित नहीं किये जाते और इसी वजह से सुपरवाइजर भी आवेदन-पत्र तैयार कराने में दिलचस्पी नहीं लेते ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी नहीं।

एम्पलायमेंट कार्यालय, फतेहपुर से हरिजनों को नौकरी

*६--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या एम्प्लायमेंट कार्यालय जिला फतेहपुर के अधिकारी एवं कर्मचारियों के भ्रष्ट कारनामों से सम्बन्धित दिनांक १९ जुलाई, १९६२ का पत्र

---

†छापा नहीं गया।

उन्हें मुख्य मन्त्री जी तथा जिलाधीश, फतेहपुर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

जी हां।

उचित जांच की गई थी।

*७---श्री रघुवीर सहाय कैथवार---

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ के वित्तीय चालू वर्ष में कितने व्यक्तियों को जिला फतेहपुर के किस-किस विभाग में किस-किस प्रकार के काम उक्त एम्प्लायमेंट कार्यालय द्वारा दिलाये गये और उनमें से प्रत्येक में कितने हरिजनों को काम दिलाया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय---

†सूचना सदन की मेज पर रखी है।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार---

जब कुलियों, चौकीदारों और चपरासियों की जगह हरिजनों को ही रखने का आदेश है तो एम्प्लायमेंट कार्यालय, फतेहपुर ने इन जगहों पर १०, १२ फीसदी से अधिक हरिजन क्यों नहीं रखे ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

इम्प्लायमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन की सीनियारिटी के हिसाब से नाम भेजते हैं, जिस में हरिजन और नान-हरिजन दोनों आते हैं। हरिजनों को अलग से प्रायोरिटी रूल में नहीं है।

श्री रघुवीर सहाय कैथवार---

क्या मन्त्री जी को सूचना है कि जिला इम्प्लायमेंट कार्यालय के अधिकारियों ने क्रम छोड़कर हरिजनों को रोक कर दूसरी जाति वालों को नौकरी दिलाई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

ऐसी सूचना नहीं है। रघुवीर सहाय ने जो शिकायत भेजी थी उसकी जांच में भी ऐसी कोई बात नहीं आई। जिस पीरियड के लिये सवाल पूछा है उसमें सबमिशन ४३४ हुआ है नानहरिजन का, और ७२ हुआ है हरिजन का। तो परसेंटेज फेयरली हाई है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

यह देखते हुए कि हरिजनों का परसेंटेज सर्विसेज में पूरा १८ नहीं हो पा रहा है और केवल ३ से लेकर ७, ८ तक ही है, सरकार आदेश देगी कि हरिजनों के नाम प्रायोरिटी से भेजे जावें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

आल-इंडिया पालिसी से प्रायोरिटी फिक्स की जाती है। लेबर डिपार्टमेंट अलग से फंक्शन नहीं करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स डिसचार्ज्ड या रेंडर्ड सरप्लस या रिफ्यूजीज और स्वर्णकारों को इस कैटेगरी में हमने डाला है। अगर आल इंडिया पालिसी होगी तो जरूर उनके सुझाव पर विचार कर लेंगे।

---

†छापी नहीं गई।

जौनपुर महिला अस्पताल का प्रबन्ध

*८—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर महिला अस्पताल में गत तीन वर्षों में मरीजों की वृद्धि किस क्रम से बढ़ रही है और उनके देख-भाल के लिये कितने डाक्टर, नर्स, दाइयां, मेहतर और धोबी हैं ?

श्री धर्मसिंह—

इस अस्पताल में मरीजों की संख्या गत तीन वर्षों में इस प्रकार रही :—

१९६०	..	..	..	१३,२२५
१९६१	..	..	..	१५,८३४
१९६२	..	..	..	१९,५७७

अस्पताल में १ डाक्टर, १ नर्स, ४ दाइयां, ३ मेहतर और १ धोबी हैं।

*९—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि धोबी को कपड़े की धुलाई प्रतिमास कितनी दी जाती है और उसे कितने कपड़े प्रति दिन साफ करने पड़ते हैं ?

श्री धर्मसिंह—

धोबी को प्रतिमास २० रुपये धुलाई दी जाती है। वह औसतन ८ या ९ कपड़े प्रति दिन धोता है।

*१०—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि महिला अस्पताल में टेलीफोन, एक्सरे तथा आपरेशन थियेटर अभी तक क्यों नहीं लगाये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह—

जनाना अस्पताल जिला अस्पताल से बिल्कुल मिला हुआ है। जनाना अस्पताल का एक्सरे का कार्य जिला अस्पताल में हो जाता है और जिला अस्पताल में लगे टेलीफोन से जनाना अस्पताल का काम चल जाता है। इस कारण ये दो सुविधायें जनाना अस्पताल में अलग से नहीं प्रदान की गई हैं। आपरेशन थियेटर का निर्माण अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण भी अभी तक नहीं कराया जा सका है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह देखते हुए कि जौनपुर जिला महिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है वहां एक और नर्स व आपरेशन थियेटर की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

वहां के सिविल सर्जन ने कुछ अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की है जो निदेशक के पास राय के लिये भेज दी गई है। आपरेशन थियेटर के बनाने के लिये भी १९६३–६४ के कार्यक्रम में सम्मिलित करने की कोशिश की जा रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

धोबी का वेतन २० रुपये प्रति मास है जो बहुत कम है। क्या मन्त्री जी इसे बढ़ाकर ४५ रुपये करने पर विचार करेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सिविल सर्जन ने एक और धोबी मांगा है, अगर २ धोबी नहीं रखे गये तो इस पर विचार कर लिया जायगा।

निलम्बित पंचायत निरीक्षक

*११—श्री रघुबीरसिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित), श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्रसिंह, (जिला एटा) तथा श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने पंचायत निरीक्षक हैं जिन्हें निलम्बित हुए एक वर्ष से अधिक अवधि समाप्त हो चुकी है और क्या ऐसे पंचायत निरीक्षकों की एक सूची उनकी निलम्बन तिथि के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि प्रत्येक के निर्वाह भत्ते का भुगतान किस तिथि तक हो चुका है और कब तक से भुगतान होना शेष है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

प्रदेश में ८ पंचायत निरीक्षक ऐसे हैं जिन्हें निलम्बित हुए एक वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है। ऐसे पंचायत निरीक्षकों की सूची उनकी निलम्बन की तिथि तथा अन्य सूचनाओं सहित सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

*१२—श्री रघुबीरसिंह (अनुपस्थित), श्री सूबेदारसिंह (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री लोकपालसिंह—

उक्त निलम्बित पंचायत निरीक्षकों में से क्या ऐसे भी पंचायत निरीक्षक हैं, जिन्हें निलम्बन के उपरान्त अभी तक कुछ भी निर्वाह भत्ते के रूप में प्राप्त नहीं हो सका है? यदि हां, तो उन्हें निर्वाह भत्ता इतनी लम्बी अवधि तक प्राप्त न हो सकने के क्या कारण थे और क्या मंत्री महोदय ऐसे पंचायत निरीक्षकों की दयनीय दशा पर विचार करते हुए उन्हें अविलम्ब निर्वाह भत्ते का भुगतान कराने की व्यवस्था कर उन्हें सामान्य जन की भांति जीवनयापन की सुविधा प्रदान करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उक्त निलम्बित पंचायत निरीक्षकों में केवल एक पंचायत निरीक्षक ऐसे है जिन्हें निलम्बन के उपरान्त अभी तक निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा सका है। इसके लिये स्वयं पंचायत निरीक्षक ही उत्तर दायी हैं क्योंकि वे बिना किसी प्रकार की सूचना दिए हुए महीनों अनुपस्थित रहे। अब जब निदेशक, पंचायत राज ने इनको १७ अगस्त, १९६३ तक की अवधि का संपूर्ण निर्वाह भत्ता देने के आदेश प्रसारित कर दिए हैं।

*१३—श्री रघुबीरसिंह (अनुपस्थित), श्री सूबेदारसिंह (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री लोकपालसिंह—

क्या सरकार को उस शासकीय आदेश की जानकारी है जिसके अन्तर्गत निर्देशित किया गया हो कि निलम्बन अवधि में हेडक्वार्टर (मुख्यावास) पर उपस्थित न रह सकने वाले निलम्बित शासकीय कर्मचारी को भी मासिक निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या निलम्बित शासकीय कर्मचारियों की परेशानी दूर करने के लिये सरकार विभागीय अध्यक्षों को इस संबंध में पुनः आवश्यक आदेश अविलम्ब प्रसारित करने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए हैं जिनके अन्तर्गत उन निलम्बित शासकीय कर्मचारियों को निर्वाह भत्ता देने की मनाही की गयी हो जो हेडक्वार्टर्स पर उपस्थित नहीं रहते। अतएव इस संबंध में कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री रमाकान्त मिश्र को ३१–८–१९६१ के बाद २ वर्षों तक भत्ता न मिलने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

३१–८–१९६१ तक उनको भुगतान हो चुका है ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे भी पंचायत इंस्पेक्टर हैं जिन्हें मुकदमें के सिलसिले में मुअत्तल किया गया था और वे मुकदमें से छूट गये हैं या उन पर से मुकदमा हटा लिया गया है, तब भी उन्हें भत्ता नहीं दिया गया है और न नौकरी पर पुनः रखा गया है ? यदि ऐसे केसेज है तो उनमें शीघ्रता की जायगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ऐसे पंचायत इंस्पेक्टर केवल ८ ही हैं जो निलम्बित हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

लिखत-पढ़त के दौरान में मिश्र जी का भत्ता क्यों बन्द किया गया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सबसिस्टेंस अलाउंस उन्हें मिलता था । अगर किसी समय का नहीं मिला हो तो डी० पी० ओ० और....

श्री अध्यक्ष—

आपने कहा है कि उनको ६१ तक मिला है । प्रश्न यह है कि ६२ और आज तक का सबसिस्टेंस अलाउंस बराबर क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसकी सूचना मेरे पास ब्यौरेवार नहीं है । मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि ३१ अगस्त, ६१ तक का सारा भुगतान कर दिया गया है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

मुअत्तल अधिकारी को सबसिस्टेंस अलाउन्स इसलिये दिया जाता है कि उसकी गुजर हो सके तो इस प्रकार की लिखा पढ़ी का असर उस पर नहीं होना चाहिये । क्या इस ओर माननीय मंत्री जी कोई कदम उठायेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसके बारे में तो गवर्नमेन्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि जो आदमी मुअत्तल किया जायगा उसको किस प्रकार से अलाउन्स दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि जो भत्ता नहीं दिया गया है उसके बारे में कब तक कार्यवाही हो जायगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

केवल कृपा शंकर दुबे ही रह गये हैं, शेष सबको दिया जा चुका है । लेकिन अब इनके बारे में भी आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं उनको भी शीघ्र ही मिल जायगा ।

ट्रांस राप्ती एरिया, जिला गोंडा में मैनपावर मोबिलाइजेशन स्कीम

*१४—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा) तथा श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रांस राप्ती एरिया में बस्ती जिले के यातायात के विकास के लिये १,००,००,००० रुपये तथा ५०,००,००० रु० मैनपावर स्कीम में सरकार खर्च करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ट्रांस राप्ती एरिया का दूसरा जिला गोन्डा में उक्त विकास पर कितना खर्च करने जा रही है ?

सामुदायिक विकास मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—

ट्रान्स राप्ती एरिया में बस्ती जिले के यातायात के लिये रूरल मैन पावर योजना के अन्तर्गत अभी तक एक लाख दस हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है।

ट्रान्स राप्ती एरिया के दूसरे जिले गोन्डा में उक्त विकास पर कथित योजना के अन्तर्गत किसी कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है।

श्री ईश्वरशरण—

क्या सरकार बतायेगी कि १९६३–६४ के बजट में एक करोड़ रुपया ट्रान्स राप्ती एरिया की तरक्की के लिये बस्ती जिले में दिया गया था और मैन पावर स्कीम में ५० लाख और दिया गया है, लेकिन उनमें से अभी तक १ लाख १० हजार रुपया दिया गया है तो बाकी रकम कब तक और किस प्रकार से खर्च की जायगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

इस संबंध में बस्ती जिले के १८ ब्लाक्स हैं जिनमें से १ ब्लाक द्वितीय चरण और १७ ब्लाक तृतीय चरण में लिये गये हैं। गोन्डा जिले के ६ ब्लाकों में से ४ में इसको लागू कर दिया गया है। शेष को भी शीघ्र ही ले लिया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह एक करोड़ रुपया जो पिछड़े हुए इलाके के लिये रखा गया है क्या वह उस रकम में से है जो बजट में ८ करोड़ रुपये की रखी गयी है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह मेन पावर मोबिलाईजेशन स्कीम के मातहत है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मेरा प्रश्न तो १ करोड़ रुपये के बारे में है, उसका ब्यौरा नहीं मिला। मेन पावर स्कीम के मातहत तो ५० लाख रुपया ही है। क्या यह एक करोड़ रुपया तराई एरिया के लिये जो रुपया लिपिबद्ध है उसमें से है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जो एक करोड़ रुपये की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, वह तो कई विभागों का मिला कर होगा। मैन पावर स्कीम के मातहत जो ब्यौरेवार सूचना है वह माननीय सदस्य अगर दफ्तर में आजायें तो बता दी जायगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि मैनपावर मोबिलाइजेशन योजना के अन्तर्गत, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या आदेश दिये हैं और क्या कदम उठाये हैं, मोटे तौर पर बताने की कृपा करें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैनपावर मोबिलाइजेशन स्कीम के मातहत जो काम पी० डब्ल्यू० डी० के हैं वह पी० डब्ल्यू० डी० करेगा और जो सिंचाई विभाग के हैं, वह, वह करेगा। दूसरे विभागों के भी कार्य-क्रम हैं उनको वे करेंगे। पहली दूसरी और तीसरी सीरीज के अनुसार बजट में अलाटमेन्ट करके सूचना दे दी गयी है। संबंधित विभागों द्वारा वे काम पूरे करा दिये जायेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अभी एक करोड़ रुपया बस्ती जिले में यातायात के सम्बन्ध में देने के बारे में प्रश्न किया गया था, वह क्या वही रुपया है जो ट्रांस राप्ती योजना के अन्तर्गत ८ करोड़ रुपया बजट में या प्लान में दिया गया और यह रुपया उसी में से खर्च किया जायगा या अलग का यह रुपया है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

यह मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत ही एक करोड़ रुपया है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

मरा तो दूसरा ही सवाल है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मैनपावर मोबिलाइजेशन स्कीम गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की होती है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि फर्स्ट सीरीज, सेकेन्ड सीरीज और थर्ड सीरीज में जितना एलाटमेन्ट होता है उसी के अनुसार कुछ जिले निर्धारित करके इस योजना को स्वीकृत करते हैं। अब आप बजट या प्लान की डिटेल में सूचना चाहते हैं तो वह तो अभी हमारे पास है नहीं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

कहा गया है कि मैनपावर मोबिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत कुछ विभाग सौंपे गये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैनपावर मोबिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत समाज-कल्याण विभाग और महिला मंगल योजना को भी सौंपा गया है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इस संबंध में जब इन विभागों की योजनाओं को देखा जाय तभी कहा जा सकता है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

मैनपावर मोबिलाइजेशन स्कीम के अन्तर्गत जो ५० लाख रुपया खर्च होने की बात है, उसमें गोंडा जिले का कितना हिस्सा है, और गोन्डा जिले में कौन-कौन-सी सड़कें या नहरें बनायी जायेंगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

गोंडा जिले की हरैया, तुलसीपुर, गेसरी और पचपेड़वा क्षेत्र के ब्लाक लिये जायेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

क्या श्रम मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत जो आदेश भेजा गया है यहां से, वह कितने रुपये के खर्च से संबंधित है और उनकी जो प्रगति है वह कितनी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इसके लिये तो पूरी प्रिंटेड स्कीम है और मैं समझती हूं कि बहुत से मेम्बरों के पास वह पहुंच भी गयी है। उसमें ज्यादा इम्फैसिस इस पर है कि तीन स्टेज में अलग अलग ब्लाक लिये जायेंगे। अगर आप ज्यादा ब्यौरा चाहते हैं तो हमारे दफ्तर में आ जाइयेगा, मैं दिखला दूंगी। उसमें यह भी है कि किस पेज में कौन-कौन से ब्लाक लिये जायेंगे और कौन सा आगे लेने वाले हैं।

देवरिया जिले में ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग योजना

*१५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जनपद में जन-शक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ है?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

उक्त वर्ष में देवरिया जिले में ग्रामीण जन-शक्ति उपयोग के अन्तर्गत सिंचाई संबंधी कार्यों के लिये ५,६६,५०० रुपया तथा सड़कों के निर्माण के हेतु ५०,००० रु० की धनराशियां स्वीकृत हुई थीं।

*१६—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने कार्य उक्त योजना में प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

उक्त योजना के अन्तर्गत दो बांधों, पांच विकास क्षेत्रों के कुछ गांवों को ऊंचा करने तथा छः सड़कों की योजनाओं पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

*१७—श्री उग्रसेन—

उक्त योजना में किन-किन विकास खण्डों में नालों पर रेगुलेटर बनाये जावेंगे?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

लार, बरहज, भटनी भाटपुर, रानी, तमकोही, रामपुर, करछना, कसिया, रुद्रपुर तथा बुढी विकास खण्डों में नालों पर रेगुलेटर बनाने की योजना है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन से गांव हैं जो इस अवधि के अन्दर रेगुलेटर और सड़कें बना सके हैं और उनमें कितना धन खर्च किया गया है?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—

ब्लाक खड्डा में छितौनी गांव को ऊंचा करने का काम द्वितीय चरण में लिया गया और सेवरही ....

श्री उग्रसेन—

मैं यह नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

ये पूछ रहे हैं कि सन् १९६२-६३ में कहां-कहां रेगुलेटर बनाये गये और कितना रुपया खर्च किया गया?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

रुपया खर्च करने का ब्यौरा तो नहीं है। अगर आप उसकी सूचना चाहते हैं तो वह बाद में दे दी जायगी।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो भी रुपया यहां से दिया गया वह सब रखा हुआ है? उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और एक भी काम आज तक शुरू नहीं हुआ है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ऐसी बात नहीं है, कार्य तो आरम्भ हुआ है, रुपया सब नहीं रखा है, बहुत से ब्लाक्स में खर्च हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

कोई ऐसी सूचना है कि काम आरम्भ नहीं हुआ है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ऐसी बात नहीं है। काम आरम्भ हुआ है, आधार शुरू हुआ है और चल रहा है।

श्री उग्रसेन—

क्या आप बतायेंगे कि कौन काम कहां आरम्भ हुआ है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने कार्य दूसरे और तीसरे चरण में स्वीकृत हुए हैं और जिन पर काम आरम्भ हो गया है, जरा लम्बी सूची है आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं।

खड्डा ब्लाक में छितौनी बांध का ऊंचा करने तथा मजबूत करने का काम द्वितीय चरण में आरम्भ हो गया है, सेवराही ब्लाक में अहिरौली दान पिपरौली बांध के ऊंचा करने तथा मजबूत करने का काम द्वितीय चरण में आरम्भ हो गया है, भटनी ब्लाक में नीचे गांवों को ऊंचा करने का काम तृतीय चरण में आरम्भ हो गया है। भाटपार रानी, कसिया, रुद्रपुर तथा विशुनपुरा ब्लाक्स के नीचे गांवों के ऊंचा करने का काम तृतीय चरण में आरम्भ हो गया है। बरहज ब्लाक में रुद्रपुर बरहज सड़क का निर्माण तृतीय चरण में आरम्भ हो गया है। भटनी ब्लाक में भटनी बलवा अफगान सड़क का निर्माण तृतीय चरण में आरम्भ हो गया है। सलेमपुर ब्लाक में सलेमपुर मझौली सड़क का निर्माण तृतीय चरण में आरम्भ हो गया है। भाटपार रानी ब्लाक में मझौली भैरवा सड़क का निर्माण तृतीय चरण में आरम्भ हो गया है। लार ब्लाक में लार-रोड़ से लार तक सड़क निर्माण का कार्य तृतीय चरण में शुरू हो गया है। हाता बैतालपुर देसाई देवरिया ब्लाक में देवरिया हाता सड़क के निर्माण का कार्य भी तृतीय चरण में आरम्भ हो गया है।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, भटनी, भाटपार रानी, खड्डा सेवराही, रुद्रपुर और बरहज आदि में कहीं भी कोई काम आरम्भ नहीं हुआ है, अगर मंत्री जी जांच करायेंगे तो सब अफसरों को मुअत्तल करना पड़ेगा।

यह जो लार बरहज, भटनी, कसिया और रुद्रपुर आदि में नालों पर जो रेगुलेटर लगाने की योजना है वह कितनी बन गई है और कितनी कहां-कहां बाकी है?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

प्रत्येक ब्लाक के अनुसार कितना काम कहां हुआ है इतनी व्यौरे की सूचना नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ५० हजार रुपए में जिन ६ सड़कों पर काम होने को है उनकी लम्बाई क्या है और उनके कितने अंश पर काम हो चुका है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि देवरिया जनपद में छतौनी बांध पर कितना रुपया मैनपावर योजना का व्यय हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया है कि रुपये का व्योरा नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि जो बांध बना है वह टूट भी गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी तो बन रहा है, टूटने का प्रश्न ही कहां है ।

श्री उग्रसेन—

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि सब काम आरम्भ हो गया है तो इस आरम्भावस्था में कार्य की गतिविधि में कितने मील लम्बी सड़कें बन चुकी हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सड़कों की लम्बाई की सूचना नहीं है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मैं सभा सचिव महोदय से जानना चाहता हूं कि वरुणा नदी की बाढ़ से वाराणसी को बचाने के लिये जो रेगुलेटर बना है वह न हाई फ्लड में और न लो फ्लड में काम देता है, तो क्या ऐसे ही रेगुलेटर देवरिया में भी बन रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

रेगुलेटर जो सिंचाई विभाग की परिभाषा में आते हैं वे काम के लिये बनाये जाते हैं और इसी दृष्टि से आगे भी बनाये जा रहे हैं ।

श्री उग्रसेन—

इस बात को देखते हुए कि मन्त्री जी का उत्तर बिल्कुल अस्पष्ट है, अतः वह इसकी स्वयं जांच करेंगे और पूरी रिपोर्ट सदन को देंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इन सारे कामों को हम देखते रहते हैं और अब जब हम और आप मिलेंगे तो बता देंगे कि कितना काम आरम्भ हुआ है ।

हंसारी ग्राम के हरिजनों को कुओं के लिये अनुदान

*१८—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री दिनांक १३ फरवरी, १९६३ के प्रश्न संख्या २५ के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हंसारी, जिला झांसी के जिन हरिजनों को नये कुयें बनाने के हेतु १,९०० रुपया दिया गया है उनके नाम व पते क्या हैं, यह रुपया किस तारीख और किस माह में दिया गया तथा अब तक कुएं न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०४ पर।)

श्री लखपतराम शर्मा—

मैंने पूछा है कि अभी तक कुआं न बनाये जाने का क्या कारण है, इस पर मन्त्री जी प्रकाश डालेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इसमें दो कुएं हैं। बुद्धा बारबर से कहा गया कि उसने अभी तक नहीं बनवाया और जब भी उससे कहा जाता है तो वह आश्वासन दे देता है कि काम शुरू करने वाला हूं। यह मामला वहां की कमेटी के सामने पेश कर दिया गया है। अगर वह बनवायेगा तो ठीक है वरना उसकी ग्रांट कैंसिल कर दी जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा—

जो रुपया कुआं के लिये दिया गया वह पुराने कुएं पर सिर्फ प्लास्टर कर दिया गया और कुछ काम नहीं हुआ, क्या इसकी जानकारी मन्त्री जी को है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

ऐसी कोई जानकारी मुझको नहीं है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

जो खेमचन्द चमार को कुआं बनाने के लिये ग्रान्ट दी गई है तो तीन किस्त में क्यों ७५० रु० ही दिया गया बाकी १५० रु० क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

७५० रु० उसको दिया गया। उसके कुएं में कुछ पत्थर निकल आये। ईंटों का प्रबन्ध हुआ है और कम्प्लीट होने पर बाकी धन उसको दे दिया जायगा।

श्री विजयसिंह—

जो ९०० रु० की ग्रान्ट है तीन किस्तों में उसका पेमेंट हुआ है तो वाउचर्स का वैरीफिकेशन इन्स्पेक्टर करता है क्या वह वैरीफिकेशन हुआ ? दूसरे आपने कहा कि पुराने कुएं पर सीमेंट करा दिया गया इन दोनों में विरोधाभास है इसको मन्त्री जी देखेंगे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। अगर आप लिख कर देंगे तो जांच करा लूंगी।

हथियाराम में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने पर विचार

*१९—श्री राजनार्थसिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या गत ५ मई, १९६२ को गाजीपुर जनपद में हथियाराम में अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें हथियाराम के महन्त ने अपनी ६० हजार रुपये की इमारत तथा अस्पताल के सारे साज-शय्या का सामान देने का उल्लेख किया था ? इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह—

जी नहीं, हथियाराम के महन्त का ५ मई, १९६२ का कोई पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ। उनका १० मई, १९६२ का एक पत्र इस सम्बन्ध में जिलाधीश गाजीपुर को प्राप्त हुआ था, परन्तु उसमें इमारत आदि के मूल्य का कोई उल्लेख नहीं था। सरकार महन्त जी के उक्त दान प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए हथियाराम में एक आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना के औचित्य पर आवश्यक जांच कर रही है।

*२०—श्री राजनार्थसिंह—

शादियाबाद परगने में कहां-कहां आयुर्वेदीय, होम्योपैथ तथा एलोपैथ अस्पताल प्रस्तावित हैं ? उनकी स्थापना के सम्बन्ध में सरकार ने कौन-सा समय निर्धारित किया है ?

श्री धर्मसिंह—

शादियाबाद परगने में कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक औषधालय प्रस्तावित नहीं है।

श्री राजनार्थसिंह—

प्रश्न १९ के उत्तर में लिखा है कि हथियाराम के महन्त का ५ मई, १९६२ का कोई पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ था, इसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि ५ मई, १९६२ को मैंने स्वयं अपने हाथ से हथियाराम में अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिया था और उसमें उस इमारत का भी उल्लेख है जिसकी कीमत लगभग ६०,००० रु० के ऊपर है और महन्त ने उसे देने का वायदा किया था। यदि वह पत्र नहीं मिला तो २८ फरवरी, १९६३ को मुख्य मंत्री को कोई दूसरा प्रार्थना-पत्र मिला जिसमें उस इमारत का भी उल्लेख है और हथियाराम में अस्पताल खोलने की प्रार्थना की गई है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

एक पत्र १० मई, १९६२ का महन्त हथियाराम का मिला जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वहां अस्पताल खोला जाय तो इमारत दे देंगे। उसके बाद २६ मई को मुख्य मंत्री ने कहा कि ब्लाक का प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहां कर दिया जायगा। उसके बाद माननीय सदस्य ने उनसे यह कहा कि यह काम न किया जाय बल्कि महन्त वाली इमारत में आयुर्वेदिक अस्पताल खोल दिया जाय। उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री राजनार्थसिंह—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस स्थान की और इमारत की जांच के सम्बन्ध में आपके आदेश गये थे और सिविल सर्जन ने जांच करके पूरी कार्यवाही आपके पास भेज दी है ?

श्री धर्मसिंह—

जांच अभी जारी है। अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं।

श्री कृष्णानन्दराय—

गाजीपुर जनपद सदियाबाद परगने की जन-संख्या २ लाख है, वहां न कोई सड़क है, न रेल है और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेन्ट के कमीशन का व्यापक दौरा हुआ है और वहां की स्थिति को देख कर उसने बड़ी चिन्ता प्रकट की है, ऐसी स्थिति में सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे वहां कोई अस्पताल जल्दी से जल्दी खोल दिया जाय ?

श्री धर्मसिंह—

हथियाराम जो ब्लाक है उसके अन्तर्गत यह आता है और वहां पर हमारा विचार है खोलने का ।

आजमगढ़ जिले से हरिजनों के प्रार्थना-पत्र

*२१—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या समाज कल्याण मंत्री २३ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न ३ और ४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित प्रार्थना-पत्रों पर जिलाधीश द्वारा कौन-सी कार्यवाही की गई और परिणाम क्या हुआ ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

२३ मई, १९६२ के प्रश्न ३ और ४ से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र जिलाधीश द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र समितियों को आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित किये गये थे। उनमें से ४ प्रार्थना-पत्र फतेहपुर मण्डांव विकास क्षेत्र के और ३ घोसी विकास क्षेत्र से सम्बन्धित थे। इन क्षेत्रों की समितियों ने एक-एक प्रार्थना-पत्र, जो क्रमशः श्री तपेश्वर व श्री धरमू से सम्बन्धित थे, स्वीकृत किये और उनमें से प्रत्येक को ५०० रु० का अनुदान कूप-निर्माण के लिये स्वीकार किया। शेष प्रार्थना स्वीकार नहीं किये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतलायेंगे कि शेष जो ४ प्रार्थना-पत्र निर्माण और मरम्मत के लिये हैं उन्हें भी सरकार स्वीकार करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

माननीय सदस्य उस क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। उन्हें इसकी पूरी जानकारी होगी कि किन कारणों से गृह-निर्माण के पत्र स्वीकार नहीं किये गये। उन्होंने मेरा अब इस ओर ध्यान दिलाया है तो मैं इस विषय में जानकारी करूंगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या कोई इस प्रकार की योजना सरकार के विचाराधीन है कि प्रदेश की उन सभी हरिजन बस्तियों में कुएं के पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो जाय, जहां अब तक नहीं है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

चेष्टा इस बात की की जा रही है कि जहां बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है वहां कुएं बनाये जायं।

नौहझील ब्लाक में खाद में रेह नमक मिलाने की शिकायत

*२२—श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या सरकार को सूचना है कि मथुरा जिले के नौहझील विकास खंड के अन्तर्गत सुपरवाइजर सीड स्टोर इंचार्ज द्वारा वैज्ञानिक खाद में रेह, नमक मिलाकर वितरण किया गया है, जिसे नौहझील ब्लाक के नागरिकों द्वारा पकड़वाया भी है? यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। प्रदेश की जनता की जांच के लिये खाद के सैम्पुल लेकर रासायनिक परीक्षा के लिये एग्रीकल्चरल केमिस्ट उत्तर प्रदेश, कानपुर को भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

खाद में रेह, नमक मिलाने का मामला ११ महीने पहले रेड-हैण्डेड पकड़ा गया था और यह प्रश्न किये हुये ९ महीने हो गये तो क्या माननीय मंत्री जी जब तक इस विभाग के मंत्री रहेंगे तब तक यह सूचना आ जायगी ?

श्री चन्द्रसिंह रावत—

चाहे मंत्री इस विभाग के रहें या न रहें सूचना अवश्य प्राप्त हो जायगी और उस पर जायज कार्यवाही अवश्य की जायगी।

श्री राधेश्याम शर्मा—

यह सूचना कब तक आ जायगी और उस पर कार्यवाही कब तक हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

वह उन्होंने कह दिया।

मलेरिया उन्मूलन विभाग पीलीभीत में हरिजन

*२३—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन्टी-मलेरिया विभाग, जिला पीलीभीत में विभिन्न पदों पर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है उनमें हरिजन कितने हैं ?

श्री धर्मसिंह—

कुल कर्मचारियों की संख्या १७७ है जिन में १० हरिजन हैं।

*२४—श्री दुर्गाप्रसाद—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त विभाग में डी० डी० टी० छिड़काव करने के काम को प्रति वर्ष चुनाव होता है उस समय सरकारी आदेश के अनुसार १८ प्रतिशत सुरक्षित हरिजनों को रखा जाता था। यदि हां, तो सन् १९६०, १९६१ तथा १९६२ में कितने रखे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मसिंह—

छिड़काव के लिए चुनाव के समय सरकारी आदेश के अनुसार १८ प्रतिशत सुरक्षित स्थानों पर हरिजनों की नियुक्ति का प्रयत्न किया जाता है। १९६०, १९६१ तक १९६२ में छिड़काव के लिए २०२ कर्मचारी प्रति वर्ष रखे गये जिन में से ३, १९ तथा १६ हरिजन क्रमशः प्रतिवर्ष रखे गये। एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज से जो सूची प्राप्त हुई उसमें से उपरोक्त संख्या के व्यक्ति ही कार्य के योग्य पाये गये।

श्री मोहनलाल धुसिया—

क्या इस जिले के लिये सरकार को कोई ऐसी शिकायत मिली है कि नियुक्ति करते समय बगैर रुपया लिये उनको नियुक्त नहीं किया जाता ? अगर सरकार को इसकी कोई खबर नहीं है तो क्या वह इंक्वायरी करायेगी और अगर इंक्वायरी में कुछ मिला तो कोई ऐक्शन लेगी ?

श्री धर्मसिंह—

इस प्रकार की सूचना सरकार को नहीं है। यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करायेंगे।

श्री सोहन लालधुसिया—

क्या सरकार मेरी बात को सूचना मान कर कोई इंक्वायरी करायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

सूचना तो आप उनसे लें। अगर आप स्वयं सूचना देंगे तो उचित नहीं होगा।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यापकों का चुनाव भत्ता

*२५—श्री अमजद अली—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् के उन अध्यापकों का जिन्होंने पंचायत चुनाव, सन् १९६१ में कार्य किया था उनका अभी तक भत्ता नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक सरकार भुगतान करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आंजमगढ़ जिला परिषद् के उन अध्यापकों में से जिन्होंने विगत पंचायत निर्वाचन सन् १९६१ में कार्य किया था १२२ अध्यापकों को यात्रिक भत्ते के रूप में २,११२ रु० ७२ न० पै० (दो हजार एक सौ बारह रुपया बहतर नये पैसे) मात्र की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष अध्यापकों को भत्ता नहीं दिया जा सका है क्योंकि उनके भत्ते के बिल जिला परिषद् से बहुत विलम्ब से प्राप्त हुए तथा बिलों में अनेक त्रुटियां थीं। उन अध्यापकों को जिन्हें भत्ता अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है बिलों के पूर्व समीक्षित हो जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जा सकेगा।

महिला मंगल योजना, लखनऊ क्षेत्र

*२६—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ रीजन के कितने विकास खन्ड में महिला योजना स्वीकृत है, क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ रीजन के विकास खन्डों में कितनी विवाहित एवं कितनी अविवाहित सहायक विकास अधिकारी (महिला) कार्य कर रही हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

लखनऊ रीजन के ६१ विकास खन्डों महिला मंगल योजना स्वीकृत है। लखनऊ रीजन के विकास खन्डों में ३२ विवाहित तथा १८ अविवाहित सहायक विकास अधिकारी (महिला) कार्य कर रही है। शेष स्थान रिक्त है।

*२७—श्री रतीपाल—

कितनी सहायक विकास अधिकारी (महिला) का स्थानान्तरण एक वर्ष से कम समय में लखनऊ रीजन के अन्तर्गत जब से महिला योजना प्रारम्भ हुई है, किया गया है और क्यों?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रतीपाल—

यह २७-३-६३ का सवाल है। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी सूचना मंगा कर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह आ जायगी ।

जिला अस्पताल, बिजनौर का एक्सरे प्लांट

*२८—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय जिला अस्पताल बिजनौर में एक्सरे प्लान्ट बेकार पड़ा है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? यदि नहीं, तो १९६२-६३ में प्रतिमास कितने एक्सरे फोटो लिये गये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इस अस्पताल का एक्सरे प्लाट ८-१०-६२ से ४-३-६३ तक बेकार रहा क्योंकि एक्सरे ट्यूब खराब हो गई थी और फर्म से उसके बदलाने के विषय में पत्र व्यवहार चल रहा था ।

५ मार्च, सन् १९६३ से एक्सरे प्लांट बिलकुल ठीक प्रकार से काम कर रहा है। १९६२, ६३ के प्रति मास की एक्सरे एवं स्क्रीनिंग की संख्या निम्न प्रकार है :

मास	एक्सरे	स्क्रीनिंग
अप्रैल, १९६२	१२४	१८
मई, १९६२	१६७	१६
जून, १९६२	१०४	३४
जुलाई, १९६२	१०५	२२
अगस्त, १९६२	९१	३६
सितम्बर, १९६२	११६	३२
अक्तूबर, १९६२	२०	१८

अस्पृश्यता निवारण संबंधी मुकदमें

*२९—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत वर्ष अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के उल्लंघन में कितने मुकदमे दर्ज हुए और कितनों में सजायें हुयीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

९ मुकदमे दर्ज हुए और उनमें से ३ में सजायें हुईं ।

श्री मंगलदेव—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह किन-किन जिलों के मुकदमें हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

गढ़वाल, फर्रुखाबाद और कानपुर, तीन जिलों के हैं ।

श्री मंगलदेव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मुकदमों में सजायें हुईं वह किन जिलों के मुकदमें हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

गढ़वाल और फर्रुखाबाद जिलों के मुकदमों में सजायें हुईं ।

श्री श्यामलाल—

क्या सरकार सताने की कृपा करेगी कि जिन दो व्यक्तियों को सजा हुई वह कितने-कितने महीने की हुई और किस धारा और किस जुर्म में हुई ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—

गढ़वाल जिले के मुकदमें में ५०० रुपये जुर्माना की सजा हुई और फर्रुखाबाद जिले के मुकदमें में २०० रुपये जुर्माना की सजा हुई।

विकास क्षेत्र की जीपों पर व्यय

*३०—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद), श्री सुरेंद्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विकास क्षेत्रों में कितनी मोटर जीपें हैं ? उन जीप गाड़ियों को खरीदने तथा वित्तीय वर्ष, १९६१–६२ में मरम्मत तथा पेट्रोल में कितना-कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश के विकास क्षेत्रों में ६०२ जीपें हैं। इनमें से ४९७ जीपें भारत सरकार से टी०सी०एम० ऐड प्रोग्राम के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं जिनके मूल्य की सूचना अभी तक केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। १०५ जीपें स्थानीय क्रय की गई हैं जिनका मूल्य १५,३७,४८३·९३ रुपये है। १९६१–६२ में मरम्मत और पेट्रोल पर ९,९०,२६० रुपया व्यय हुआ ।

श्री जयश्रीराम, हरिजन कल्याण अधिकारी, आगरा का शेष वेतन

*३१—श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जयश्रीराम, जिला हरिजन कल्याण अधिकारी, आगरा का तर्मेदिक से बीमार होने से अप्रैल सन् १९६१ में देहांत हो गया परन्तु अभी तक विभाग ने मृतक के वारिसों को उसका बकाया वेतन नहीं दिया ? यहां हां तो क्यों तथा उसके शीघ्र भुगतान की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां, बकाया वेतन का बिल बनाकर उचित कार्यवाही हेतु महालेखाकार के पास भेज दिया गया है और चेष्टा की जा रही है कि भुगतान शीघ्र कराया जाय ।

*३२—श्री रामलखन वकील—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश वाराणसी ने उपरोक्त अधिकारी के बकाया वेतन भुगतान का बिल कब भेजा तथा उसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

स्वर्गीय श्री जयश्रीराम की पत्नी ने १,०२६·२५ रुपये का बिल जिलाधीश वाराणसी द्वारा १७–११–६२ को निदेशक को भेजा था, किन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं की

नोट—तारांकित प्रश्न २९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गई। इसका कारण यह था कि इसी बीच में महालेखापाल ने अपने पत्र दिनांक ३०-११-६२ द्वारा जय श्रीराम के बकाया वेतन के बारे में सूचना दी कि उन्हें १,९१२ रु० ८५ नये पैसे मिलने चाहिये। इस आधार पर जिलाधीश, वाराणसी ने दूसरा बिल बनाकर ११-४-६३ को सेवा में महालेखापाल को २६-४-६३ को भेज दिया गया। महालेखापाल ने कुछ त्रुटियां बिखाकर बिल को स्वर्गीय जयश्रीराम की पत्नी को संशोधन के लिये जुलाई, १९६३ में भेज दिया था। इन त्रुटियों को दूर करके उन्होंने बिल ५-९-६३ को वापस भेजा जिसे उचित कार्यवाही हेतु निदेशक ने महालेखापाल को १७-९-६३ को भेज दिया।

विकास खंड, घोसी में खाद संबंधी शिकायतें

*३३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिपाह इब्राहीमाबाद विकास खंड घोसी, जिला आजमगढ़ के निवासियों ने जिलाधीश, आजमगढ़ के यहां २६ मई, १९६०, ४ जून, १९६० एवं १० अगस्त, १९६१ को इस आशा का प्रार्थना-पत्र दिया था कि कोआपरेटिव सुपरवाइजर ने जाली हस्ताक्षर बनाकर हम लोगों के नाम से खाद ले लिया है और जिसकी जांच करने मधुवन सर्किल के गिरदावर कानूनगो और तहसीलदार, घोसी ९ अगस्त, १९६० और ३ अक्तूबर, १९६० को आये और जनता की ओर के बयानात हुये? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी?

श्री मुजफ्फर हसन—

सिपाह इब्राहीमाबाद विकास खंड घोसी आजमगढ़ के श्री शिवनाथ कुर्मी मंत्री ने दिनांक २६-५-६०, ४-६-६० एवं १०-८-६१ को प्रार्थना-पत्र दिये थे जिसमें उन्होंने खाद न पाने की शिकायत की थी। प्रथम दो प्रार्थना-पत्रों की जांच मधुवन क्षेत्र के सुपरवाइजर कानूनगो ने की थी, १०-८-६१ को प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्र विकास अधिकारी घोसी ने स्वयं की थी। दोनों जांच के समय प्रार्थना-पत्र में वर्णित आरोप निराधार पाये गये अतः ऐसी दशा में आगे कोई कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

*३४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १६ फरवरी, १९६३ को उक्त संबंध में कुछ व्यक्तियों से कुर्क अमीन द्वारा रुपया वसूल किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—

दिनांक १६-२-६३ को १० व्यक्तियों से कुर्क अमीन द्वारा रुपया वसूल किया गया है उनमें प्रार्थना-पत्र देने वाले श्री शिवनाथ पुत्र भागवत से भी १९.८८ रुपये खाद का मूल्य मय सूद के वसूल किया गया है। चूंकि जांच करने पर आरोप निराधार पाये गये थे इसलिये वसूली की गई।

गोंडा कोषाधिकारी द्वारा नियुक्तियां

*३५—श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला के खजाना अफसर ने अपने खजाना मुहकमें में जब से उक्त महोदय ने गोंडा खजाने का चार्ज लिया है, कितनी नियुक्तियां की हैं?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

राजाज्ञा दिनांक २६ अप्रैल, १९६० के अनुसार जिलाधीश ही कोषागार कार्यालय के नियुक्ति कर्ता अधिकारी हैं। केवल ६ सप्ताह तक के अवकाश वाले रिक्त पदों का प्रबन्ध कोषाधिकारी स्वयं करते हैं। गोंडा कोषाधिकारी ने गोंडा में पदभार संभालने की तिथि से अब तक ऐसी केवल १२ नियुक्तियां की हैं।

*३६—श्री रामप्रवध—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त खजाना अफसर ने कितनी नियुक्तियां इम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा बुलाये गये व्यक्तियों में से की हैं और कितने अपनी स्वेच्छा से तथा उनमें से कितने गोंडा जिले के और कितने और जिलों के तथा जिस जिले के हों, उस जिले के नाम क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कथित १२ नियुक्तियां गोंडा रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों में से ही हुई हैं। कार्य की सुचारुता तथा तुरन्त नियुक्ति करने की परिस्थिति में रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों की मांग न की गई। उक्त १२ नियुक्तियों में २ चपरासियों की नियुक्तियां भी सम्मिलित हैं जो नजारत के थे। अन्य ९ रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये विभागीय मुक्त अथवा प्रशिक्षित अभ्यर्थी रख लिये गये हैं। अंतिम बारहवीं नियुक्ति के लिये जब विभागीय मुक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हुये तो रोजगार कार्यालय से नाम मांगे गये। इसके लिये रोजगार कार्यालय से केवल एक नाम आया था परन्तु कोषाधिकारी का दूर का रिश्तेदार होने के कारण उसको बाद में नहीं रखा गया। इनमें से ६ गोंडा, एक मिर्जापुर, एक सीतापुर और एक बलिया तथा तीन बहराइच जिले के हैं।

*३७—श्री रामप्रवध—

क्या यह भी सत्य है कि नियुक्त किये गये व्यक्तियों में अधिकतर खजाने अफसर होम डिस्ट्रिक्ट के हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो व्यक्ति खजाने अफसर की स्वेच्छा से बिना इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के नाम भेजे हुये नियुक्त किये गये हैं ? इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१२ नियुक्तियों में से ३ व्यक्ति कोषाधिकारी के होम डिस्ट्रिक्ट के हैं परन्तु वे वास्तव में कई वर्ष से अधिकतर अपनी आर्थिक सुविधा के अनुसार गोंडा में ही रह रहे हैं। ये सभी व्यक्ति स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत भी हैं। कोषागार में कार्य की उपयोगिता और जनहित की सुविधा के लिये ये नियुक्तियां केवल अधिक से अधिक ४२ दिनों के लिये पूर्णतया अस्थायी रूप से ही हुई हैं अतएव किसी प्रकार की सरकारी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला नियोजन कार्यालय, फतेहपुर के निलम्बित कर्मचारी

*३८—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद डिवीजन के अन्तर्गत नियोजन कार्यालय में कार्य करने वाले कितने व्यक्ति इस समय निलम्बित अवस्था में हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इलाहाबाद डिवीजन में जिला नियोजन कार्यालय, फतेहपुर में नियोजन विभाग के कुल दो व्यक्ति इस समय निलम्बित हैं।

*३९—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उनका निलम्बन कब और किस अपराध में किया गया तथा वर्तमान समय में उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त निलम्बित व्यक्तियों में—

(१) श्री बिशुन चन्द अल्मोड़ा, ज्येष्ठ लिपिक, जिला नियोजन कार्यालय, फतेहपुर २७ मार्च, १९६० को राजकीय धन के दुरुपयोग तथा पंचायत पत्रिका के प्राप्त धन के गबन के प्रसंग में निलम्बित हुए थे। इसके सम्बन्ध में, उनके पैत्रिक विभाग-निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश में वैभागिक कार्यवाही हो रही है; तथा—

(२) श्री बृजराजशरण, कनिष्ठ लिपिक, जिला नियोजन कार्यालय, फतेहपुर ३ फ़रवरी, १९६३ से निलम्बित है तथा इनके विरुद्ध धोकाधड़ी तथा जालसाजी के अभियोग में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

ग्राम सभा, नेवारी के प्रधान की मानसिक स्थिति

*४०—श्री नाथूराम शिक्षक—

सरकार मेरी सूचना को सही मानकर यह जानकारी कराने का प्रबन्ध करेगी कि ग्राम सभा नेवारी के प्रधान श्री लुकमान जी एक वर्ष से पागल हैं? यदि हां, तो क्या ग्राम प्रधान का चुनाव पुनः कराने की कृपा करेंगी? यदि हां, तो कब तक चुनाव समाप्त हो जायगा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री लुकमान की मानसिक स्थिति के संबंध में सही जानकारी कराने के हेतु उन्हें नागरिक शल्य चिकित्सक, इलाहाबाद के सम्मुख डाक्टरी परीक्षा हेतु उपस्थित होने के आदेश दिये गए परन्तु अभी तक वे वहां उपस्थित नहीं हुए।

अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

कुरावली ब्लाक में थोरवा ग्राम को तकावी

*४१—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुरावली ब्लाक, जिला मैनपुरी से जो कुआं, बैल, पम्पिंग सेट आदि के लिये जो तकावी मौजा थोरवा, जिला मैनपुरी में दी गई है उसमें फर्द खतौनी दाखिल की गई है उसमें फर्द सीरदार ने फर्जी भूमिदारी लिख कर और रकबा व लगान बढ़ा कर लिखा गया है और उसी आधार पर तकावी बांटी गयी है? क्या सरकार उसकी इंक्वायरी करके बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने केस हैं और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। मौजा थोरवा विकास क्षेत्र कुरावली में सिंचाई, कूप तथा पम्पिंग सेट के लिये जो तकावी दी गई है वह न तो किसी फर्जी भूमिधरी पर दी गई और न कहीं लगान बढ़ाकर लिखा गया।

अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

नामिनेशन फार्म प्रधान पद व पंच पद संबंधी धन, गाजीपुर जिले में पंचायत मंत्रियों का भत्ता

*४२—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार नामिनेशन फार्म पंच तथा प्रधान पद के निर्वाचन के सिलसिले में १९६२ तक सरकार को कितना धन प्राप्त हुआ है और इस मद में कितना रुपया अभी तक जमा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश में जिलेवार नामिनेशन फार्म प्रधान पद और पंच पद के निर्वाचन के सिलसिले में १९६२ तक सरकार को २,१५,१०,९८१ रु० प्राप्त हुआ और खजाने में जमा है जिसका जिलेवार विवरण संलग्न सूची में उल्लिखित है ।

(देखिये परिशिष्ट 'घ' आगे पृष्ठ ४०५–४०६ पर)

*४३—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सत्य है कि गाजीपुर जिले के पंचायत मंत्रियों को महंगाई १९५०–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो कितने मन्त्रियों को नहीं दी गयी है ? क्या सरकार पंचायतों द्वारा आधा महंगाई भत्ता न वसूल होने के कारण जो कठिनाई उपस्थित हो रही है उसको दूर करने का कोई उपाय करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शासन द्वारा १ अक्तूबर, १९६१ से पंचायत मंत्रियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है । अतः इस तिथि से पूर्व महंगाई भत्ता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अक्तूबर, १९६१ से वित्तीय वर्ष १९६२ तक गाजीपुर जिले के केवल १७ पंचायत मंत्रियों को महंगाई भत्ता देना अवशेष है ।

गांव सभाओं से अंशदान की वसूली में कठिनाई को देखते हुये शासन ने यह आदेश प्रसारित कर दिये है कि गांव सभाओं से महंगाई भत्ते के अंशदान की वसूली में विलम्ब होने पर शासन द्वारा प्रदत्त सहायक अनुदान का भाग अर्थात् ६·२५ रुपये प्रति पंचायत मंत्री, प्रतिमास का भुगतान कर दिया जावे ।

मेसर्स भाटिया एजेंसी, बस्ती के विरुद्ध शिकायत

*४४—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है कि मेसर्स भाटिया एजेन्सी, बस्ती एक ऐसी फर्म है जो नकली दवाइयों की लाखों रुपयों की बिक्री प्रति वर्ष करती है और चैरिटेबिल हास्पिटल वाल्टरगंज, शूगर मिल, बस्ती में इस फर्म की नकली दवाइयां भी दी जाती हैं और कम्पनी रेट से कम दाम पर अपनी दवाइयों को बेचती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मेसर्स भाटिया एजेन्सी नामक फर्म बस्ती में है पर उसके द्वारा नकली दवाइयों के बेचे जाने की सूचना सरकार को नहीं है । प्राप्त सूचनानुसार चैरिटेबिल हास्पिटल वाल्टरगंज शुगर मिल बस्ती इस फर्म से दवाइयां नहीं क्रय करता है ।

*४५—श्री ऊदल—

क्या सरकार को पता है ड्रग्स इन्स्पेक्टर का इस फर्म के साथ सम्बन्ध हो गया है और इस सम्बन्ध में श्री जोगेन्द्रसिंह जी की दरख्वास्त मुख्य मन्त्री जी को २९ जनवरी, १९६३ को या फरवरी के पहले हफ्ते, सन् १९६३ में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच सरकार सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

ड्रग्स इन्सपेक्टर तथा उपरोक्त फर्म के आपस में किसी प्रकार के सम्बन्ध की सूचना सरकार को नहीं है । श्री जोगेन्द्रसिंह जी की एक दरख्वास्त इस विषय पर प्राप्त हुई थी पर तलाश के बावजूद भी उसके उपलब्ध न होने के कारण उस पर कोई कार्यवाही न की जा सकी । इन परिस्थितियों में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

कानपुर जिले में चिकित्सालयों को औषधियां

*४६—श्री शिवनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत प्रत्येक चिकित्सालय को सन् १९६१–६२ में कितने मूल्य की औषधियां सरकार द्वारा दी गयीं तथा प्रत्येक चिकित्सालय में उन पर अतिरिक्त व्यय कितना-कितना किया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०७–४०९ पर)

बाराबंकी जिले में हरिजनों को अनुदान

*४७—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, सन् १९५७ से मार्च, सन्, १९६२ तक जिला बाराबंकी के हरिजनों को किन-किन मदों में कितना-कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जिला बराबंकी में हरिजनों को मार्च, १९५७ से मार्च, १९६२ तक विभिन्न मदों में किये गये अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है:—

नाम मद	दिया गया रुपया
१—कूप-निर्माण	४२,३१३
२—गृह-निर्माण	४१,९५५
३—कृषि उत्थान	२४,१००
४—गृह उद्योग	२७,४०१
५—क्षय रोगियों की सहायतार्थ	१,२५०
कुल योग ..	१,३७,०१९

बर्डपुर विकास खंड की जीप लुम्बनी ले जाना

*४८—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती विकास खंड बर्डपुर नं० ९ की जीप तारीख २९ जनवरी, १९६३ को विकास खंड के बाहर नैपाल राज्य स्थित स्थान लुम्बनी को गयी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां ।

*४९—श्री चन्द्रपाल—

यदि हां, तो वह क्यों गयी थी तथा उस पर कौन गया था तथा जीप सीमा के बाहर किसकी अनुमति से गयी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त जीप रेलवे बोर्ड, भारत सरकार के सदस्य (परिवहन) को लेकर गई थी। सीमा के बाहर, जीप जिलाधीश बस्ती की अनुमति से गई थी।

*५०—श्री चन्द्रपाल—

उक्त जीप पर आने-जाने में जो व्यय हुआ वह किसने वहन किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पेट्रोल का खर्च सदस्य महोदय ने स्वयं वहन किया।

चिरई गांव विकास क्षेत्र के सराय मुहाना की भूमि

*५१—श्री रघुनाथसिंह—

क्या वाराणसी के राजघाट ऋषि वैली, ट्रस्ट शिक्षा संस्था का इस गांव से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है ? यदि हां, तो किस ढंग का और कब से ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

चिरई गांव विकास क्षेत्र के गांव सराय मुहाना की भूमि को ऋषि वैली ट्रस्ट, जिसका नाम अब बदल कर "The Foundation for New Education Rajghat, Varanasi" कर दिया गया है, ने सन् १९२९ में शिक्षा के माध्यम के लिये अर्जित किया था।

रसूलाबाद अस्पताल के कम्पाउन्डर के विरुद्ध शिकायतें

*५२—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के रसूलाबाद राजकीय अस्पताल में डाक्टर के अभाव में कम्पाउन्डर ही पूरा कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो यह कम्पाउन्डर कितने दिन से इस अस्पताल में कार्य कर रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

कानपुर जिले के राजकीय अस्पताल रसूलाबाद में डाक्टर के अभाव में कम्पाउन्डर ने ६-११-६० से २७-२-६३ तक अस्पताल का पूरा कार्य किया। उसके पश्चात् वहां पर डाक्टर कार्य कर रहा है।

*५३—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त अस्पताल के कम्पाउन्डर के विरुद्ध जनता ने कुछ शिकायतें जिला अधिकारियों से की हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां। कुछ शिकायतें गुमनाम (Anonymous) अथवा छद्म नाम से लिखी (Pseudonymous) अस्पताल में पैसा लेने, चरित्र संदेहपूर्ण होने, अस्पताल की दवायें बेचने, अपने पिता की दुकान से दवा लेने का सुझाव देने तथा मेडिकी-लीगल के केस में पैसा लेने के विषय में मिली थी। ऐसे गुमनाम पत्रों पर शासन साधारणतया कोई कार्यवाही नहीं करता है। फिर भी इन आरोपों की जांच की गई और वे निराधार पाई गईं। फिर भी इस कम्पाउन्डर का तबादला कर दिया गया है।

मोरना अस्पताल के जीप ड्राइवर का वेतन

*५४—श्री विजपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को पता है कि राजकीय अस्पताल कस्बा मोरना, जिला मुजफ्फरनगर में जो गाड़ी (जीप) अस्पताल में कार्य कर रही है, उसके ड्राइवर को पूरे एक साल से तनख्वाह नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक उक्त ड्राइवर को मय सूद के तनख्वाह बिलायी जायेगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां। क्योंकि पहले इस अस्पताल के जीप ड्राइवर की तनख्वाह विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश के बजट से दी जाती थी लेकिन मोरना क्षेत्र सोपान १ से सोपान २ में परिवर्तन हो जाने के कारण अब अस्पताल के जीप ड्राइवर की तनख्वाह चिकित्सा विभाग से दी जाती थी। इस विषय पर लगातार पत्र-व्यवहार क्षेत्रीय विकास अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मुजफ्फरनगर, और विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश से चलता रहा और अन्त में यूनीसिफ जीप ड्राइवर की तनख्वाह की स्वीकृति सरकारी आदेश १ जुलाई, १९६३ में जारी हो सकी। ड्राइवर को २० जुलाई, १९६३ को साल भर की तनख्वाह दे दी गई है।

वी० एल० डब्ल्यू० ट्रेनिंग, दोहरीघाट के लिये चुनाव

*५५—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६२-६३ में वी० एल० डब्ल्यू० ट्रेनिंग दोहरीघाट के लिए गाजीपुर जिले में कितने लड़के लिखित परीक्षा में बैठे थे और उनमें से कितने चुने गये ? इनमें कितने हरिजन तथा कितने पिछड़े कौम के थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बी० एल० डब्ल्यू० ट्रेनिंग के लिये गाजीपुर जिले से कुल २८४ लड़के लिखित परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से २५ चुने गये। इनमें ८ पिछड़ी जाति के थे। हरिजन कोई नहीं था।

*५६—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जितने लड़के चुने गये उनके लिखित और मौखिक क्रमांक क्या हैं। कितने ऐसे लड़के हैं जो लिखित में अच्छे क्रमांक (नम्बर) प्राप्त किये परन्तु मौखिक में बहुत कम नम्बर पाये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चुने गये अभ्यार्थियों द्वारा लिखित, शारीरिक तथा संदर्शन में प्राप्त अंकों का विवरण संलग्न है। इनमें ५ अभ्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में ५६ प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं संदर्शन में उनके अंक ४० एवं ४३ प्रतिशत के बीच हैं ?

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४१०-४१२ पर)

*५७—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस दोहरी घाट के चुनाव के सिलसिले में गाजीपुर जिले में कितनी आमदनी इस विभाग को हुई और कितना खर्च हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गाजीपुर जिले में उपरोक्त परीक्षा के लिये निर्धारित फार्म के विक्रय से कुल ४८५ रु० की आय हुई। ३३ रु० ४८ नये पैसे सर्विस पोस्टेज स्टाम्प पर व्यय हुआ ? अन्य व्यय केन्द्रीय रूप विकास आयुक्त के मुख्यालय पर हुआ जिसका जिलेवार विवरण देना संभव नहीं।

ऊंचा गांव विकास क्षेत्र

*५८—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर के ऊंचा गांव विकास क्षेत्र में कितने ग्राम हैं, कितनी ग्राम सभाएं हैं और इनकी कितनी जनसंख्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऊंचा गांव विकास क्षेत्र की ९१ ग्राम सभाओं में ११० गांव हैं तथा सन् १९५१ की जन-गणना के अनुसार ९९,०२१ जन-संख्या है ।

*५९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार को ज्ञात है कि ऊंचा गांव की क्षेत्र समिति ने इस क्षेत्र को ड्योढ़ा विकास क्षेत्र बनाये जाने की मांग सरकार से कई बार की है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस क्षेत्र को अब तक ड्योढ़ा स्तर प्राप्त क्यों नहीं हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

क्षेत्र समिति ऊंचागांव ने ऊंचागांव विकास क्षेत्र को ड्योढ़ा स्तर विकास खंड बनाने के लिये दो बार मांग की थी पर इन दोनों प्रस्तावों को जिला नियोजन अधिकारी ने नवम्बर, १९६२ में शासन को भेजा । शासन को यह मांग तब प्राप्त हुई जब विकास क्षेत्रों के सीमा परिवर्तन सम्बन्धी (डीलीमिटेशन) के प्रश्नों पर निर्णय हो चुका था और केन्द्रीय सरकार को इस निर्णय से अवगत कराया जा चुका था ।

*६०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे विकास क्षेत्र हैं जो कि गांव विकास क्षेत्र से छोटे हैं और उनको ड्योढ़ा स्तर प्राप्त है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऊंचागांव विकास क्षेत्र से क्षेत्रफल में २१ छोटे विकास खंडों को ड्योढ़ा स्तर प्राप्त है । क्षेत्रफल के आधार पर ड्योढ़ा स्तर नहीं दिया जाता है ।

बीसलपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति

*६१—श्री दुर्गाप्रसाद—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत, तहसील बीसलपुर क्रय-विक्रय समिति में वर्ष १९५९, १९६०, १९६१ व १९६२ में कितना घाटा तथा मुनाफा प्रति वर्ष में हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—

बीसलपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति जिला पीलीभीत को सहकारी वर्ष ५८–५९, ५९–६०, ६०–६१ व ६१–६२ में निम्नप्रकार लाभ व हानि हुई—

वर्ष	लाभ रु० में	हानि रु० में
१९५८–५९ ..	९,८४८–१६ न० पै०	–
१९५९–६० ..	५,२६०–३९ न० पै०	–
१९६०–६१ ..	–	२९,१९४–४५ न० पै०
१९६१–६२ ..	७,६९४–४५ न० पै०	–

*६२—श्री दुर्गाप्रसाद—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त समिति में किसी वर्ष पचास हजार रुपये से अधिक की हानि हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं।

*६३—श्री दुर्गाप्रसाद—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त समिति पर ही कर्मचारी अब तक कार्य कर रहे हैं जिनके द्वारा समिति को काफी हानि उठानी पड़ी ? यदि हां, तो सरकार उनके स्थानान्तरण करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

उक्त समिति को प्रारम्भ से अब तक केवल एक ही वर्ष अर्थात् १९६०-६१ में २९,१९४ रुपये ४५ न० पै० की हानि हुई और वह किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण नहीं हुई बल्कि माल का भाव गिर जाने के कारण हुई थी। इसलिये इस सम्बन्ध में किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खंड माल की खाद में गड़बड़ी

*६४—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने के कृपा करेगी कि अक्तूबर, नवम्बर, १९६२ से माल विकास खंड, जिला लखनऊ के क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा लगभग ३,२०० बोरी रासायनिक खाद मिक्सचर नं० २ वितरित की गयी थी ?

*६५—क्या यह सत्य है कि उक्त खाद में मिलावट सम्बन्धी शिकायत सरकार को मिली थी तथा सरकार द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था ?

*६६—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

घोसी विकास खंड में बोरिंग के लिये तकावी

*६७—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत घोसी विकास खंड के ग्राम लखत्री, मुबारकपुर में सन् १९५५ में किन-किन व्यक्तियों को बोरिंग कराने के लिए कितने-कितने रुपये की तकावी देने की कार्यवाही की गयी ? और प्रार्थियों को चेक के रूप में रुपया सन् १९६१ में दिया गया दिखाया गया परन्तु प्रार्थियों को १२ फरवरी, १९६३ को चेक द्वारा रुपया बैंक से आप्त हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

केवल एक कृषक को ३००-०० रु० की तकावी कुएं की बोरिंग हेतु स्वीकृत की गई और वह रुपया नियमानुसार उस कृषक के नाम पर सरकारी खजाने में जमा किया गया। लेकिन जब उस कृषक ने बोरिंग कराने में असमर्थता प्रकट की तो उसको जून २२, १९६१ को उक्त धनराशि का रिफन्ड वाउचर दे दिया गया। उसने मियाद के अन्दर उस वाउचर को नहीं भुनाया। फलस्वरूप उस वाउचर की मियाद बढ़ाकर उसे दे दिया गया और कृषक ने उसे १४ फरवरी, १९६३ को भुनाया।

पंचायत निरीक्षकों, सहायक विकास अधिकारियों का स्थायीकरण

*६८—श्री शिवदान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के विकास खंडों में पंचायत निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की संख्या पृथक-पृथक क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रदेश में पंचायत निरीक्षकों तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) के कुल ९३० पद हैं। इनमें पंचायत निरीक्षकों के ४४४ पद हैं। पंचायत निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पदों के विलयन के पश्चात् छाया क्षेत्रों को छोड़ कर शेष क्षेत्रों में पंचायत निरीक्षकों के पदों का नाम सहायक विकास अधिकारी (पंचायत एवं समाज शिक्षा) हो गया है।

*६९—श्री शिवदानसिंह—

उपरोक्त कर्मचारियों में कितनों का स्थायीकरण हो चुका है और स्थायीकरण का आधार क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपर्युक्त कर्मचारियों में से ५९४ कर्मचारी स्थायी हैं। इनका स्थायीकरण अनुपयुक्त व्यक्तियों को छोड़ने की शर्त के साथ ज्येष्ठता के आधार पर किया गया है।

*७०—श्री शिवदानसिंह—

शेष कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शेष कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में आवश्यक कार्यवाही निदेशक, पंचायत राज विकास आयुक्त के परामर्श से शीघ्र करेंगे।

त्रिवेदीगंज ब्लाक में सहकारी समिति के सदस्यों से ऋण की वसूली

*७१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी समिति, पांडे सराय ब्लाक त्रिवेदीगंज, बाराबंकी की मुन्नासिंह, रजबहादुर सिंह, की बकाया धनराशि ए० डी० ओ० कोआपरेटिव ने किस तारीख में वसूल किया और कब बैंक में जमा किया ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ब्लाक त्रिवेदीगंज जिला बाराबंकी की सराय पान्डे सहकारी समिति के श्री ब्रजबहादुर सिंह भतपूर्व सरपंच तथा श्री मुन्नासिंह नाम के दो सदस्यों से बकाया ऋण राशि ए० डी० ओ० (को०) ने १८-६-६२ तथा २६-६-६२ को वसूल की थी तथा जिला सहकारी बैंक लि० बाराबंकी में दिनांक २६-७-१९६२ ई० को जमा कराई थी।

*७२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित)—

क्या यह बात सही है कि उक्त सदस्यों का बकाया धन ए० डी० ओ० कोआपरेटिव ने दो माह पहले वसूल कर खर्च कर दिया और वहां के सरपंच द्वारा उच्च अधिकारियों को आवेदन-पत्र पर उसे २६ जुलाई, १९६२ को समिति के नाम जिला सहकारी बैंक बाराबंकी में जमा किया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ए० डी० ओ० (को०) के पास उक्त वसूली की धनराशि लगभग एक माह तक पड़ी रही थी जिसका कारण जून माह के अन्त में सहकारी बीज भंडारों के रबी बीज को बंद (Close) कराने तथा बकाया ऋण व बीज की वसूली के सम्बन्ध में अत्यधिक व्यस्त रहना तथा यकायक दिनांक २९-६-६२ से सख्त बीमार होना था। इस सम्बन्ध में समिति के सरपंच ने अक्तूबर, १९६२ में सहायक निबन्धक, बाराबंकी को एक शिकायती-पत्र अवश्य दिया था, लेकिन इस पत्र के पूर्व ही रुपया बैंक में जमा किया जा चुका था।

हरिजन कल्याण विभाग, वाराणसी से झरिहक को कूप निर्माण सहायता

*७३—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला वाराणसी के हरिजन कल्याण विभाग से ग्राम दरूनहा, तहसील भदोही के श्री झरिहक हरिजन को २ वर्ष पहले कुआं बनवाने के लिए रुपया मंजूर हुआ था, परन्तु आज तक कुआं बन कर तैयार हो जाने पर भी उसको रुपया नहीं मिला ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां। क्योंकि श्री झरिहक ने कार्य के पूर्ण होने की सूचना तथा रसीदें प्रेषित नहीं की थीं। अब चूंकि उन्होंने कार्य पूर्ण होने की सूचना दे दी है और रसीदें प्रेषित कर दी हैं। अतः भुगतान की कार्यवाही जारी है।

*७४—श्री गयाप्रसाद—

क्या यह भी सही है कि जिला वाराणसी के हरिजन कल्याण अफसर से पूछ-ताछ करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को जवाब देते हैं कि उन्हें मालूम नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी नहीं। सम्बन्धित व्यक्तियों से केवल यह कहा गया है कि तृतीय योजना काल में जैसे-जैसे उपलब्ध होता जायगा उन्हें भुगतान किया जायगा।

बदायूं जिले में निलम्बित पंचायत मंत्री

*७५—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में पंचायत विभाग में ऐसे कितने लिपिक और पंचायत मंत्री हैं जिन्हें निलम्बित हुये ६ माह से अधिक हो गये, परन्तु उनको वेतन का आधा भाग नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? जब कि निलम्बित कर्मचारियों ने आधे वेतन की मांग भी की ? ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गयी और वह अभी तक निलम्बित है, उनको बहाल क्यों नहीं किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला बदायूं में केवल एक पंचायत मंत्री है कि जिसे निलम्बित हुये ६ माह से अधिक हो गया है परन्तु वेतन का आधा भाग नहीं दिया गया। पंचायत मंत्री द्वारा आधे वेतन की मांग नहीं की गयी थी और नियमानुसार निर्धारित अधिकारी ने वेतन का १/४ भाग ही स्वीकृत किया।

उक्त पंचायत मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही अध्यक्ष, जिला परिषद् के विचाराधीन है। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो गई हो और वह अभी तक निलम्बित हो।

आई०टी०आई० अलीगंज, लखनऊ

*७६—श्री सुखराम दास (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० टी० आई०, अलीगंज, लखनऊ में इलेक्ट्रिशियन (शार्ट टर्म्स) में कितने छात्र हैं और इन छात्रों में कितने छात्र टेस्ट पास हैं, कितने नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय आई० टी० आई० अलीगंज, लखनऊ में कोई छात्र इलेक्ट्रिशियन (शार्ट टर्म्स) ट्रेड में शिक्षा नहीं पा रहा है। अतः किसी छात्र के मेडिकल टेस्ट पास करने का प्रश्न नहीं उठता।

*७७—श्री सुखरामदास—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस ट्रेड के सब विद्यार्थी स्टाइपेन्ड पाने के अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या राजनैतिक पीड़ित के आश्रित को स्टाइपेंड पाने का अधिकार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

*७८—श्री सुखरामदास—

क्या यह सच है कि इस संस्था में एमर्जेंसी पीरियड के छात्रों को पढ़ाने के लिए अभी पूर्ण सामानों की व्यवस्था नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तरफ शीघ्र ध्यान देगी, जिससे पढ़ाई सुचारुरूप से चल सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

गोपाल पेपर मिल लिमिटेड, बनकस

*७९—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर, जिला गोंडा के अन्तर्गत श्री गोपाल पेपर मिल लिमिटेड, बनकस विभाग में कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

काम के अनुसार डिपो में कर्मचारियों की संख्या १५ से ३० के बीच में होती है।

*८०—श्री सुखदेवप्रसाद—

उक्त कर्मचारियों से कितने घंटे प्रतिदिन कार्य लिया जाता है साथ ही क्या उन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या इसकी व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करने की सरकार कृपा करेगी और कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आमतौर से ५ घंटे प्रतिदिन उनसे काम लिया जाता है। साप्ताहिक छुट्टियों के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है। काम के अनुसार कभी तो बिना साप्ताहिक छुट्टी के पूरे सप्ताह बराबर ही काम लिया जाता है और कभी यह छुट्टी दी भी जाती है। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है क्योंकि डिपो के व्यवस्थापक ने इसी प्रकार के अपनी दूसरी डिपो पर फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ लागू करने के बारे में एक स्पेशल अपील कर रखी है जो हाईकोर्ट, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है।

बिन्दकी में जनाना अस्पताल की आवश्यकता

*८१—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिन्दकी नगरपालिका या उक्त तहसील में कोई सरकारी जनाना अस्पताल है या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

बिन्दकी नगरपालिका या उक्त तहसील में कोई सरकारी जनाना अस्पताल नहीं है।

*८२—श्री रक्षपालसिंह—

क्या यह सही है कि कुछ समय पूर्व (१९६१-६२) में उस समय के सिविल सर्जन की व अन्य सरकारी अधिकारियों की योजनानुसार बिन्दकी के किसी व्यक्ति द्वारा जनाना अस्पताल हेतु कोई बिल्डिंग इस आश्वासन पर बनायी गयी थी कि उसमें सरकारी जनाना अस्पताल चलाया जायगा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

यह सही नहीं है।

*८३—श्री रक्षपालसिंह—

यदि हां, तो उसमें अब तक सरकारी अस्पताल क्यों नहीं चलाया जा सका तथा भविष्य में वहां जनाना अस्पताल चलाने की सरकारी क्या योजना है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

प्रश्न नहीं उठता। भविष्य में वहां पर स्थानीय आवश्यकताओं का अध्ययन करने के पश्चात् तथा साधनों की उपलब्धि पर ही यह निर्णय हो सकेगा कि वहां पर जनाना अस्पताल खोला जाय अथवा नहीं।

मिर्जापुर जिले में आदिम जातियां

*८४—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर में समस्त विकास खंडों में आदिम जातियों (tribes) की अलग-अलग आबादी क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

मिर्जापुर के समस्त विकास खंडों में आदिम जातियों की अलग-अलग आबादी की संख्या उपलब्ध नहीं है।

*८५—श्री रामप्यारे—

क्या यह बात सही है कि मिर्जापुर की आदिम जातियां (aboriginal) जैसे गौड़, खरवार, पनिका, चैरो, पढ़ारी, धांगर, कोरवा, कोल, भुइयां, भुईहार, घासिया आदि को (scheduled) नहीं माना गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या यह सही है कि दुद्धी तथा राबर्ट्सगंज तहसीलों के कई एक ब्लाक जहां कि आदिवासियों की आबादी ६० प्रतिशत के भी ऊपर है उन जातियों को शैड्यूल ट्राइब्स न मानने के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा ट्राइबल ब्लाक (tribal block) नहीं खोले जा रहे हैं जबकि आदिवासी जातियों की आबादी के अनुसार ट्राइबल ब्लाक खुल जाना चाहिये था ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

(क) यह सही है कि इन जातियों को अभी अनुसूचित आदिम जाति नहीं माना गया है परन्तु भारत सरकार से कुछ जातियों को अनुसूचित आदिम जाति घोषित कराने की सिफारिश की गई है ।

ख—जब तक भारत सरकार द्वारा कोई जाति अनुसूचित आदिम जाति घोषित नहीं होतीं तब तक ट्राइबल ब्लाक (tribal block) खुलने का प्रश्न नहीं उठता ।

*८६—श्री रामप्यारे—

क्या समाज कल्याण मंत्री मिर्जापुर के आदिवासियों की गणना कराके केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेंगे कि उनको शैड्यूल्ड ट्राइब्स स्वीकार करे तथा जिस ब्लाक में उनकी आबादी अधिक हो उसे नियमित ट्राइबल ब्लाक घोषित करे ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

अनुसूचित आदिम जातियां घोषित कराने की सिफारिश भारत सरकार से की जा चुकी है और उनकी स्वीकृति आने पर ट्राइबल ब्लाक खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

ग्राम सभा ज्ञानीपुर की आय में कमी

*८७—श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला लखनऊ अन्तर्गत ग्राम ज्ञानीपुर में गांधी बाजार में कोई बाजार लगता था जिसका लाभ ग्राम सभा को २,७५० रु० होता था जो किसी व्यक्ति के कारण वहां नहीं लग रहा है तथा ग्राम पंचायत को भारी क्षति हो रही है ? क्या सरकार जांच करा कर ग्राम पंचायत को हानि से बचाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला लखनऊ अन्तर्गत ग्राम ज्ञानीपुर में एक बाजार गांधी बाजार के नाम लगती थी । इस बाजार से १९६१-६२ में ग्राम सभा ज्ञानीपुर को २,२६० रु० की आय हुई। सन् १९६२-६३ में उक्त बाजार २,७५० रु० में नीलाम की गई । भूतपूर्व जमींदार श्री मुश्ताक-अली ने ग्राम सभा के इस बाजार के पास की अपनी भूमि पर बाजार लगवाना शुरू कर दिया है । परिणामस्वरूप ग्राम सभा को बाजार से होने वाली आय १९६२-६३ से बन्द हो गई है ।

विकास क्षेत्र अधिकारी, लालगंज के विरुद्ध शिकायतें

*८८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के विकास खंड लालगंज के विकास अधिकारी के विरुद्ध उच्च अधिकारियों और सरकार के पास भ्रष्टाचार की कौन-कौन सी शिकायतें आयी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आजमगढ़ जिले के लालगंज विकास क्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध केवल लालगंज विकास क्षेत्र के प्रमुख द्वारा ३-१०-१९६२, १३-१०-१९६२ तथा १९-२-१९६३ को शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ।

*८९—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि श्री कुंज बिहारीसिंह, ग्राम भोजपुर, विकास खण्ड लालगंज, जिला आजमगढ़ का १०१ रु० गन्ना प्रक्रियात्मक समिति लालगंज लिमिटेड के हिस्से का उक्त अधिकारी ने जमा नहीं किया बल्कि स्वयं खा गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं । श्री कुंज बिहारी सिंह ग्राम भोजपुर से सहकारी प्रोसेसिंग सोसायटी के हिस्से के वसूल १०१ रुपया क्षेत्र विकास अधिकारी लालगंज से उसी दिन खो गया जिसकी सूचना सहायक निबन्धक सहकारी समितियां आजमगढ़ तथा उप-निबन्धक गोरखपुर को दे दी गई थी। क्षेत्र विकास अधिकारी ने उक्त धनराशि अब जमा कर दी है ।

*९०--श्री उमाशंकर--

क्या यह भी सही है कि उक्त विकास अधिकारी के विरुद्ध अनेक लोगों ने लिखित प्रार्थना-पत्र दिया है कि उन्होंने सुरक्षा कोष के लिए उनसे जो धन वसूल किया न उसकी रसीद दी न कोष में जमा ही किया ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

लालगंज विकास क्षेत्र के प्रमुख के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने सुरक्षा कोष हेतु प्राप्त धनराशि की रसीद न देने तथा जमा न करने की कोई शिकायत नहीं की ।

श्री रामनारायण गुप्त, सभापति, गांव पंचायत बरईगढ़ के विरुद्ध जांच

*९१--श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)--

प्रश्न संख्या १६,१७ नत्थी (ग) दिनांक ६-३-६३ के सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री रामनारायण गुप्त, सभापति, गांव पंचायत बरईगढ़ के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना-पत्रों की जांच कब करायी गयी थी ? क्या आरोपों व जांच की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

श्री रामनारायण गुप्त के विरुद्ध सर्वप्रथम तहसीलदार घाटमपुर द्वारा जांच की गई थी। उन्होंने जांच रिपोर्ट दिनांक ११ मार्च, १९६० को प्रेषित की थी जिसके आधार पर अतिरिक्त परगनाधीश घाटमपुर ने दिनांक १५ जून, १९६० को श्री रामनारायण गुप्त के विरुद्ध आरोप लगाये थे। तहसीलदार की रिपोर्ट तथा आरोप-पत्र की प्रतिलिपि† सदन की मेज पर रख दी गई है ।

*९२--श्री ज्वाला प्रसाद--

जांच हो जाने के कितने दिन पश्चात् श्री रामनारायण गुप्त ने सभापति के पद से त्याग-पत्र दिया ? इस मध्य कार्यवाही में ढिलाई क्यों बरती गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

श्री रामनारायण गुप्त ने अपने सभापति के पद से निर्दिष्ट आरोपों की जांच को समाप्ति के पूर्व ही दिनांक ५ अप्रैल, १९६२ को त्याग-पत्र दे दिया था। उनके विरुद्ध आरोपों की जांच में बिलम्ब होने का कारण यह था कि निर्धारित तिथियों पर वे स्वयं उपस्थित नहीं होते रहे तथा जांच करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र देकर जांच की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करते थे ।

*९३--श्री ज्वालाप्रसाद--

वर्ष १९५८-५९ के पश्चात् त्याग-पत्र देने के वर्ष तक गांव पंचायत बरईगढ़ के आय-व्यय की जांच क्यों नहीं की जा सकी ? इसमें विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का कारण है अथवा सभापति की उदासीनता ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

वर्ष १९५८-५९ से लेकर श्री रामनारायण गुप्त द्वारा सभापति पद से त्याग-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि तक गांव पंचायत बरईगढ़ के आय-व्यय के लेखे का निरीक्षण श्री गुप्त की उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के कारण नहीं किया जा सका, क्योंकि जब कभी उनसे आय-व्यय के कागज देखने की चेष्टा की गई तो या तो उन्होंने कोई हीला हवाला कर कागजात नहीं दिये अथवा इस अवधि में कानपुर में रहकर वकालत करने के कारण समय पर गांव में नहीं मिले। इसमें सरकारी कर्मचारियों की कोई लापरवाही नहीं रही है ।

सिविल अस्पताल, बुलन्दशहर के रिटायर्ड कर्मचारी

*९४---श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिविल अस्पताल बुलन्दशहर के पिछले दो वर्षों (१९६१-६२, १९६२-६३) में कितने कर्मचारी रिटायर हुए और क्या उनको इस समय सरकार से पेंशन मिल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव---

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास विभाग के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

*९५---कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि १७ जून, १९६१ को नैनीताल में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थायी समिति की बैठक में किसी भूतपूर्व उपमंत्री ने विकास विभाग के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये तथा विभागीय आयुक्त को भ्रष्टाचार के प्रमाण स्वरूप कुछ पत्र भी भेजे थे ? यदि हां, तो उक्त मामले में क्या अभियोग लगाये गये थे तथा उनमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां। १७ जून, १९६१ की उक्त मीटिंग में स्वर्गीय श्री मलखानसिंह ने यह आरोप लगाया था कि ग्राम सेवकों का स्थानान्तरण विकास आयुक्त के कार्यालय से अनुचित भेंट लेकर किया जाता है, तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप दो तीन गुमनाम पत्र भी भेजे थे, परन्तु गुप्त रूप से जांच करने पर उक्त आरोप निराधार और गलत पाये गये ।

बड़हलगंज, गोला, गगहा ब्लाकों में हरिजन कूप निर्माण सहायता

*९६---श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बड़हलगंज, गोला और गगहा ब्लाक में १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ में कितना रुपया हरिजनों को कुयें के निर्माण के लिये दिया गया है और इसमें से कितने हरिजनों ने कुओं का निर्माण नहीं किया और क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

उक्त ब्लाकों में हरिजनों को उक्त वर्षों में कूप निर्माण हेतु दिये गये धन का विवरण निम्न प्रकार है :---

वर्ष	बड़हलगंज	गोला	गगहा
१९५९-६०	७५०	४,०००	२,०००
१९६०-६१	२,४००	१,८००	५,८००
१९६१-६२	२०००	१,०००	१०००
	५,१५०	६,८००	८,८००

कुल ४० अनुदान गृहीताओं में से २ अनुदान गृहीताओं ने कूप निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया इसका कारण व्यक्तिगत परिस्थितियां, आर्थिक कठिनाइयां एवं श्रमदान कर सकने की असमर्थता है।

डेफ ऐंड डम्ब स्कूल, लखनऊ के कुछ अध्यापकों का हटाया जाना

*९७—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि डेफ ऐण्ड डम्ब स्कूल, लखनऊ के कुछ अध्यापकों ने एक प्रार्थना-पत्र माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस आशय का दिया था कि स्वर्गीय डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी के निधन पर उपरोक्त स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल बन्द करने से इन्कार किया और स्वर्गीय राष्ट्रपति के सम्बन्ध में कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे और वह प्रार्थना-पत्र राष्ट्रपति सचिवालय, दिल्ली के पत्र संख्या २४—दि—६३, दिनांक २५ मार्च, १९६३ को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय का कुछ अध्यापकों द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। किन्तु इस प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि तथा श्री शीतलप्रसाद त्रिपाठी को राष्ट्रपति सचिवालय से भेजे गये पत्र संख्या २४—दी—६३ दिनांक २५ मार्च, १९६३ की प्रतिलिपि के साथ श्री शीतलप्रसाद त्रिपाठी ने मुख्य सचिव को अपने पत्र दिनांक १३ जुलाई, १९६३ के साथ प्रेषित की थी। इन प्रार्थना-पत्रों पर निदेशक हरिजन तथा समाज कल्याण द्वारा जांच कराई जा रही है।

*९८—श्री भीखालाल—

क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र में हस्ताक्षर करने वाले अध्यापकों को स्कूल की प्रबंधक समिति ने सेवा से मुक्त कर दिया है? यदि हां, तो सेवा से हटाने के क्या कारण हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

राष्ट्रपति को भेजे गये प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले ६ अध्यापकों में से २ को प्रबंधक समिति ने सेवा से मुक्त कर दिया है तथा तीन अध्यापकों ने त्याग-पत्र दे दिया है।

अध्यापकों के सेवा से हटाये जाने तथा उनके त्याग-पत्र देने के कारणों की जांच की जा रही है।

*९९—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[हटा दिया गया।]

बुलन्दशहर जिले में सिलाई मशीनों का वितरण

*१००—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में सिलाई की मशीनें १९५७ से आज तक कितनी बांटी गयीं और किस-किस को दी गयीं ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

हेल्थ आफिसर पीलीभीत के खिलाफ शिकायत

*१०१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पीलीभीत जिले के हेल्थ आफिसर के खिलाफ जनता ने कोई आन्दोलन किया और मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लोगों ने तथा उसके मातहतों ने शिकायती प्रार्थना-पत्र व तार भेजे ? यदि हां, तो इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि कुछ नहीं किया, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

राज्य सरकार को जनता द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी पीलीभीत के खिलाफ आन्दोलन करने की कोई सूचना नहीं मिली। कुछ शिकायती पत्र मुख्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री के नाम आये, जिनकी जांच कराने पर शिकायतें साबित न हुईं। फिर भी जनहित को ध्यान में रखते हुये स्वास्थ्य अधिकारी का स्थानान्तरण फरवरी, १९६३ में कर दिया गया और वह हेल्थ आफिसर वहां से चला गया है।

*१०२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या यह सही है कि पीलीभीत जिले के नियोरिया क्षेत्र की हेल्थ विजिटर जो इस समय सम्भल में कार्य कर रही हैं, को उसी हेल्थ आफिसर ने छेड़ा व परेशान किया जिसकी शिकायत उसके पिता ने जुलाई या अगस्त, सन् १९६२ में मंत्री महोदय तथा डाइरेक्टर के नाम भेजी ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

एक शिकायती-पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशक के नाम नियोरिया क्षेत्र की हेल्थ विजिटर के बारे में जो शायद उसके पिता द्वारा लिखा गया था जुलाई, १९६२ में आया, जिसमें जिला स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई जिनके साबित न होने पर कोई कार्रवाई न की गई।

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों के स्थानान्तरण संबंधी प्रार्थना-पत्र

*१०३—श्री उमाशंकर—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोई ऐसा परिपत्र जिलों को भेजा है जिसके अनुसार जहां तक सम्भव हो पंचायत मंत्री अपने विकास क्षेत्र में ही या अपने घर से पांच मील की दूरी के अन्तर्गत ही रक्खे जायें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। ऐसा परिपत्र कोई नहीं भेजा गया है।

*१०४—श्री उमाशंकर—

यदि हां, तो क्या आजमगढ़ में उक्त सरकारी आदेश लागू किये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

*१०५—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि आजमगढ़ पंचायत कार्यालय में बहुत से पारस्परिक समझौते के स्थानान्तरण के प्रार्थना-पत्र पड़े हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं । ऐसे कोई मामले नहीं पड़े हुए हैं।

विकास खंड अधिकारी, सलेमपुर द्वारा श्री हरिकेवल प्रसाद के पीटे जाने की शिकायत

*१०६--श्री उग्रसेन--

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया द्वारा भेजा गया जनता का दिनांक ५ जुलाई, १९६३ का कोई मांग-पत्र उन्हें मिला है जिसमें श्री हरि केवल प्रसाद सोशलिस्ट कार्यकर्ता को विकास खण्ड अधिकारी, सलेमपुर द्वारा पीटे जाने पर न्याय की मांग की गयी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस सम्बन्ध में एक तार दिनांक ५ जुलाई, १९६३ को प्राप्त हुआ था।

*१०७--श्री उग्रसेन--

क्या विकास मंत्री उक्त पत्र को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और यह भी बतायेंगे कि उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त तार सदन की मेज पर प्रस्तुत है। उपरोक्त मामले की जांच जिला नियोजन अधिकारी देवरिया द्वारा की गई तथा आरोप तथ्यहीन पाये गये।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४१३ पर)

भदोही तहसील का सरकारी अस्पताल

*१०८--श्री गयाप्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिलान्तर्गत भदोही तहसील के सरकारी अस्पताल में कोई डाक्टर और लेडी डाक्टर को शीघ्र नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव--

वाराणसी जिलान्तर्गत भदोही तहसील के सरकारी अस्पताल में एक पुरुष डाक्टर तथा एक महिला डाक्टर क्रमशः २५-५-६३ व २०-७-६३ से कार्य कर रहे हैं।

चिनहट विकास अधिकारी के विरुद्ध शिकायत

*१०९--श्री बिपिनविहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के चिनहट विकास क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा जो चेक क्र० ०५८६४२ (स्टेट बैंक) ५०० रुपये के जिला परिषद् द्वारा जग्गौर कन्या पाठशाला एवं अध्यापिका गृह के सहायतार्थ भेजी गयी थी, वह ८ जनवरी, १९६३ को कैश कर ली गयी परन्तु वह रुपया न तो ब्लाक की कैशबुक में जमा किया गया और न सम्बन्धित कार्य के लिए ही दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त चेक ८ जनवरी, १९६३ को कैश करने के बाद धन को विधिवत् उसी दिन कैश बुक में बर्ज कर लिया गया है।

*११०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त धन लगभग ६ माह तक भी नहीं जमा किया गया और न सम्बन्धित प्रधान को ही दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सम्बन्धित प्रधान को इसके पूर्व दिये गये ३,००० रु० की धनराशि का विधिवत् हिसाब व पूर्ति रिपोर्ट विकास क्षेत्र चिनहट को प्राप्त न होने तथा उक्त प्रधान द्वारा इस विषय में निरन्तर आश्वासन देने के कारण यह रुपया ६ माह तक पड़ा रहा और अन्त में क्षेत्र विकास चिनहट के वैयक्तिक लेखे में जमा कर दिया गया।

*१११—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त विकास अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सम्बन्धित क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सदर अस्पताल, रायबरेली के वार्ड ब्वाय की दूसरी शादी

*११२—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या यह सही है कि जिला रायबरेली के सदर अस्पताल के एक वार्ड ब्वाय ने एक स्त्री के रखते हुए दूसरी शादी कर ली है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां।

वार्ड ब्वाय के कथनानुसार उसकी पहली स्त्री का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं था।

*११३–११५—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[२रे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

सुल्तानपुर जिले की सहकारी समितियों में गबन

*११६—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष जिला सुल्तानपुर म कितनी सहकारी समितियों में गबन की गड़बड़ियां पकड़ी गयीं और कितना रुपया गबन किया गया ? इन समितियों का नाम तथा स्थान क्या-क्या है तथा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जिला सुल्तानपुर में सहकारी वर्ष १९६२–६३ में बस सहकारी समितियों में कुल ६६,७३१ रु० ४५ नये पैसे के गबन व दुरुपयोग की गड़बड़ियां पकड़ी गयीं। इन समितियों के नाम व स्थान और सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध हुई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४१४–४१७ पर)

*११७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[२रे बुधवार के लिये प्र० सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*११८—श्री उग्रसेन—

[२रे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

विकास क्षेत्र, जसपुरा का मुख्यालय

*११९—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा, तहसील बांदा के अन्तर्गत ब्लाक जसपुरा, जसपुरा के नाम से है परन्तु उसका आफिस कानाखेरा है और सारे कर्मचारी वहां पर रहते हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह ठीक है कि जिला बांदा, तहसील बांदा के अन्तर्गत पूर्व प्रसार क्षेत्र जसपुरा, जसपुरा के नाम से है और उसका आफिस कानाखेरा में है और सारे कर्मचारी वहां पर रहते ह, कारण यह है कि क्षेत्रीय समिति विकास क्षेत्र जसपुरा ने अपना मुख्यालय कानाखेरा ही निश्चय किया है तथा विकास आयुक्त ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है।

*१२०—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सही है कि ग्राम जसपुरा इस नदी पार इलाके के बीच में स्थित है जब कि कानाखेरा बिलकुल किनारे पर है एवं सारी जनता के लिए बहुत ही दूर पड़ेगा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कानाखेरा विकास क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित है और ब्लाक की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के मध्य में स्थित है। यह सही है कि यह स्थान क्षेत्र की दक्षिणी सीमा से दूर तथा उत्तरी सीमा से नजदीक है, कानाखेरा सारी जनता के लिये दूर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राम कानाखेरा के नजदीक हैं, उनके लिये कानाखेरा नजदीक पड़ेगा। यह कहना ठीक न होगा कि जसपुरा पूरे क्षेत्र के मध्य में स्थित है।

*१२१—श्री शिवनाथसिंह—

क्या यह सही है कि वहां के ब्लाक प्रमुख ग्राम गलौली के रहने वाले हैं जो कि कानाखेरा के पास में ही है इसलिए ब्लाक को जसपुरा में न रख कर कानाखेरा ले जाना चाहते हैं? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सही है कि यहां के प्रमुख गलौली के रहने वाले हैं जो कि कानाखेरा के पास में ही हैं। जसपुरा ब्लाक का केन्द्र इस समय कानाखेरा में है, परन्तु इस मामले में अन्तिम निर्णय शासन द्वारा कभी नहीं हुआ है और विषय विचाराधीन है।

कानपुर जिले में नवीन चिकित्सालय

*१२२—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजकीय एलोपैथिक अस्पताल तथा आयुर्वेदिक औषधालय कितने खोले जा रहे हैं तथा कितने खुल चुके हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर के, ग्राम मंगलपुर में गत वर्ष चार शय्या युक्त एक राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना हो चुकी है।

चिकित्सालय स्थापनार्थ स्थानों का निर्णय वर्ष प्रति वर्ष लिया जाता है जिनकी संख्या धन की उपलब्धि तथा स्थान की महत्ता पर निर्भर करती है। अतः यह बताना भी अभी संभव नहीं है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में जिला कानपुर में कोई और चिकित्सालय खुल सकेगा अथवा नहीं।

*१२३—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में बिल्हौर तहसील के ग्राम सखरेज में एक एलोपैथिक अस्पताल दस वर्ष पूर्व खोलने का आदेश हुआ था और वह वहां न खुल कर उसी नाम से ग्राम शिवाली में खुल गया तथा कार्य कर रहा है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

ग्राम सखरेज में चिकित्सालय तथा कर्मचारियों के लिये उचित भवन के अभाव के कारण यह अस्पताल ग्राम शिवाली में खोला गया और वह अब भी वहां कार्य कर रहा है।

*१२४—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार ग्राम सखरेज की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तीसरी योजना में एक अस्पताल या औषधालय ग्राम सखरेज, जिला कानपुर में खोलने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१२५-१२६—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिये गये।]

पटियाली विकास खंड के बढ़ौला ग्राम में चिकित्सालय की आवश्यकता

*१२७—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्राम बढ़ौला, विकास खण्ड पटियाली जिला एटा में जो गंगा एवं बुढ़गंगा नदी के बीच स्थित है जिसकी आबादी ५ हजार से अधिक है तथा जहां मीलों तक कोई चिकित्सा का साधन नहीं है, एक सरकारी अस्पताल खोलने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

रुद्रपुर विकास खंड में धान का बीज

*१२८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास खण्ड से गत सन् १९६२ में धान का ऐसा बीज बांटा गया था जो जमा नहीं? यदि हां, तो क्यों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को क्या सजा दी गयी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास क्षेत्र में वर्ष १९६२ में जो धान का बीज बांटा गया था उसमें कोई खराबी नहीं थी। सम्भवतः नमी की कमी के कारण बीज नहीं जमा।

सरपंच जारई के विरुद्ध मुकदमा

*१२६—श्री नरेन्द्रसिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जारई पंचायत, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद के सरपंच ने एक फर्जी डिगरी किसी व्यक्ति के खिलाफ की थी जिसका मुकदमा चन्दौसी मुन्सफी में चला और सरपंच दोषी पाया गया ? यदि हां, तो सरकार ने सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

कनैली ब्लाक का मुख्यालय

१—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि ब्लाक कनैली, इलाहाबाद का हेडक्वार्टर कहां बनाया जा रहा है और कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त ब्लाक के मुख्यालय की स्थापना के लिये रक्सराइ नामक स्थान निश्चित हुआ है तथा यथासंभव शीघ्र ही भवन निर्माण कार्य पूरा होगा।

अकबरपुर ब्लाक के कर्मचारी

२—श्रीमती रामरतीदेवी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर ब्लाक, जिला फैजाबाद में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो उसी ब्लाक के निवासी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुल १० कर्मचारी ऐसे हैं जो उसी ब्लाक के निवासी हैं।

३—श्रीमती रामरतीदेवी—

ऐसे कर्मचारी एक ब्लाक में कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४१८ पर)

४—श्रीमती रामरतीदेवी—

क्या यह सत्य है कि ये कर्मचारी लोकल होने के कारण राजनीति में भाग लेते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

हैदरगढ़ तहसील के सेनेटरी इन्स्पेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही

५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार का ध्यान हैदरगढ़ ब्लाक (बाराबंकी) के सैनिटरी इन्स्पेक्टर द्वारा कुम्हारनपुरवा ककरी निवासिनी किसी औरत का शीलहरण करने के विषय में दैनिक स्वतन्त्र भारत के १० अगस्त, १९६२ तथा बाराबंकी जिले के मातृ-भूमि साप्ताहिक के २६ नवम्बर, १९६२ के अंकों में प्रकाशित समाचारों की ओर ध्यान गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां। प्रश्न नहीं उठता।

६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार की ओर से विभागीय कार्यवाही की गयी और क्या सरकार उक्त घटना के अनुसार उक्त इन्स्पेक्टर को मुअत्तल कर विभागीय कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उपरोक्त कथित घटना के पश्चात् श्रीमती सुर्ज पाला ने जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, बाराबंकी के न्यायालय में एक मुकद्दमा दायर किया, जिस पर कि न्यायाधीश ने विचार के पश्चात् निर्णय दिया है कि यह मुकद्दमा निराधार तथा झूठा है और केवल कुछ लोगों के बहकाने पर दायर किया गया है। अतः इस आधार पर न्यायाधीश ने सेनेटरी इन्स्पेक्टर श्री किशनलाल को निर्दोष ठहराया।

चूंकि मामला उपरोक्त न्यायालय के विचाराधीन था इसलिये सेनेटरी इन्स्पेक्टर के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। अब इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि न्यायाधीश ने श्री किशनलाल को निर्दोष ठहराया है।

आजमगढ़ जिले में चिकित्सालयों का सुधार

७—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री दिनांक २० फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में संलग्न सूचना के क्रम-संख्या ४ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जांच किसके द्वारा और किस बात की करायी जा रही है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जांच जिला स्वास्थ्याधिकारी, आजमगढ़ द्वारा निम्नलिखित विषयों में कराई जा रही है :—

१—कथित ग्राम की तथा उसकी ५ मील के परिधि में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव है अथवा नहीं।

२—उस ग्राम की तथा उसकी ५ मील के परिधि में जनसंख्या क्या है।

३—कर्मचारियों के आवास के लिये एवं चिकित्सा के लिए सशुल्क अथवा निःशुल्क भवन मिल सकता है अथवा नहीं।

४—अन्तरिम जिला परिषद् की क्या राय है।

५—ग्रामवासियों से अन्य प्रकार की सहायता जैसे उपयुक्त भूमि, भवन एवं नगद मिलने की सम्भावना है अथवा नहीं।

न्याय पंचायत, धौरा के सरपंच का चुनाव

८—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय पंचायत, धौरा ब्लाक भोजपुरा, जिला बरेली के पंचों का चुनाव अथवा नामजदगी हो चुकी है? यदि हां, तो कब और उनके नाम क्या हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

न्याय पंचायत धौरा में निर्धारित २५ पंचों में से २१ पंचों की नामजदगी क्रमशः दिनांक १९ जुलाई, १९६२ और १५ नवम्बर, १९६२ को हुई थी जिसमें निम्नलिखित पंच नामजद किये गए:—

दिनांक १९ जुलाई, १९६२ को नामजद

१—शहजादे लाल
२—कमरूलहक
३—रामदास
४—लालता प्रसाद
५—करनसिंह
६—राम प्रसाद
७—शिव प्रकाश
८—डोरी लाल
९—बाबू राम
१०—गंगाराम
११—खलील अहमद
१२—अलीखां
१३—राम सहाय
१४—गोथे लाल
१५—राम लाल
१६—मोहम्मद अहमद
१७—रहीमुद्दीन
१८—मुक्ता प्रसाद
१९—भूपाल राम

दिनांक १५-११-१९६२ के नामजद

२०—हिम्मत राय
२१—खरग सेन।

९—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त न्याय पंचायत के पंचों के चुनाव के पश्चात् क्या सरपंच का चुनाव भी हो गया है? यदि हां, तो कब और उनका नाम क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

न्याय पंचायत धौरा के सरपंच का चुनाव दिनांक १७ अगस्त, १९६२ को हो गया जिसमें श्री शिव प्रकाश को सरपंच चुना गया।

१०—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार के पास ऐसी सूचनाएं अथवा प्रार्थना-पत्र आये हैं कि उपर्युक्त न्याय-पंचायत के सरपंच व पंचों को अभी तक चार्ज नहीं दिया गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री शिव प्रकाश वर्तमान सरपंच न्याय पंचायत धौरा ने दिनांक ४ अक्तूबर, १९६२, २७ दिसम्बर, १९६२ और ३० दिसम्बर, १९६२ को भूतपूर्व सरपंच से चार्ज न मिलने के संबंध में प्रार्थना-पत्र क्षेत्र विकास अधिकारी, भोजीपुरा को दिये थे जिनपर आवश्यक कार्यवाही करके उनको दिनांक २३ फरवरी, १९६३ को पुलिस द्वारा चार्ज दिलवाया गया था।

पंचों को चार्ज न मिलने के संबंध में कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुए थे। पंचों को कोई विशेष चार्ज नियमानुसार दिलाने की आवश्यकता नहीं है। उनका शपथ ले लेना ही चार्ज प्राप्त करना माना जाता है।

बस्ती जिले में सिंचाई कूपों के लिये तकावी

११—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में बस्ती जिले में सिंचाई कूप निर्माण के लिये सिंचाई विभाग द्वारा कितनी तकावी वितरित की गयी थी ? वह तकावी सूद के साथ थी या नहीं ? यदि नहीं, तो सूद के साथ क्यों वसूली की जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बस्ती जिले में वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में सिंचाई कूप निर्माण के लिये सूद सहित ६,०५० रुपया की तकावी वितरित की गई। फलस्वरूप सूद के साथ वसूली की जा रही है।

फतेहपुर जिले में निर्माण-कार्यों के लिये ऋण

१२—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर व बिजईपुर व धाता ब्लाकों में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना कालों में रास्ते, पुल व पंचायतघर बनाने या पक्का कराने के सिलसिले में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना ऋण व अनुदान दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बांछित सूचना† सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

१३—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों ब्लाकों में उक्त अवधि के भीतर दिये गये ऋणों व अनुदानों का सही उपयोग किन-किन व्यक्तियों नें नहीं किया ? उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बांछित सूचना† सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

आगरा कमिश्नरी के विकास खंडों की जीपें

१४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा कमिश्नरी के अन्तर्गत विकास खंडों में जो जीप कारें हैं उनमें सन् १९६१-६२ ई० में प्रत्येक जीप ने कितना-कितना पेट्रोल खर्च किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४१९–४२१ पर)

चोलापुर विकास खंड की अजगरा पंचायत के कार्य

१५—श्री रघुनाथसिंह—

क्या विकास मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि वाराणसी के चोलापुर विकास खंड की अजगरा पंचायत ने तीसरे आम चुनाव के बाद गांव की सफाई, रोशनी, रास्तों, औषधालयों,

---

†छापी नहीं गई।

कुओं की सफाई और मरम्मत व खेती की उन्नति की कोई व्यवस्था की है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो इन पंचायतों के अनिवार्य कर्त्तव्य की पूर्ति कराने में जिले के विभागीय अधिकारियों ने कब-कब क्या कार्यवाही की और क्या फल निकला ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वाराणसी के चोलापुर विकास खंड की अजगरा पंचायत ने तीसरे आम चुनाव के बाद गांव की सफाई, रोशनी, रास्तों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत एवं खेती की उन्नति के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की है—

१—स्वच्छता सप्ताह मना कर गांव वालों को सफाई की व्यवस्था करने के लिये प्रेरित किया गया ।

२—आर्थिक स्थिति सुदृढ न होने के कारण रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी ।

३—समय-समय पर श्रमदान द्वारा रास्तों की मरम्मत की व्यवस्था की गई है।

४—औषधालय की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। साधारण रोगों के उपचार के लिये औषधि पेटिका से ग्राम सेवक द्वारा आवश्यकतानुसार दवा दी जाती है।

५—कुओं की सफाई और मरम्मत के लिये गांव पंचायत द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई।

६—खेती की उन्नति के लिये खरीफ एवं रबी अभियान की बैठकों में खेती की उन्नतिशील पद्धतियों पर प्रकाश डाला गया है।

१६—श्री रघुनाथसिंह—

इन कार्यों को पूर्ण करने के लिये पंचायतों को विशिष्ट अधिकार दिये जाने पर भी अजगरा पंचायत ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण गांव पंचायत अजगरा विकास संबंधी बहुमुखी कार्यक्रमों में प्रगति नहीं कर सकी ।

१७—श्री रघुनाथसिंह—

तीसरे आम चुनाव के बाद से इस पंचायत ने अपनी कुल कितनी बैठकें कीं और आखिरी बैठक के विचारणीय विषय क्या थे और उसमें क्या पंचायत के हिसाब-किताब का विवरण भी पेश किया गया था ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

तीसरे आम चुनाव के बाद इस गांव पंचायत ने कुल १० बैठकें की हैं। आखिरी बैठक में गत बैठक की कार्यवाही के पुष्टीकरण के अतिरिक्त जन्म-मृत्यु गत माह की आय-व्यय, सुरक्षा कोष में योगदान एवं श्रमदान आदि विषयों पर विचार किया गया था । उक्त बैठक में गांव पंचायत के हिसाब-किताब का विवरण भी पेश किया गया था ।

दहगवां ब्लाक में खाद के गड्ढे, सीमेंट के लिये प्रार्थना-पत्र

१८—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में ब्लाक दहगवां, ग्राम दहगवां में खाद के लिये कितने गड्ढे मंजूर हुये? उसमें से कितने बन गये तथा कितने बाकी हैं? जो बाकी हैं उनका क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बदायूं जिले के ब्लाक दहगवां के ग्राम दहगवां म केवल चार खाद के गड्ढे मंजूर हुये थे जिनमें से दो बन चुके हैं। शेष दो गड्ढों में से एक के लिय सीमेंट दी जा चुकी है, किन्तु संबंधित अनुदान गृहीता ने कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया है तथा दूसरे अनुदान गृहीता ने प्राप्त सूचना के अनुसार अभी ईंटे आदि नहीं ली हैं।

१९—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक दहगवां, जिला बदायूं म जो प्रार्थना-पत्र सीमेंट के लिये प्राप्त होते हैं उनकी ऐंट्री के लिये कोई रजिस्टर है अथवा नहीं ? यदि है, तो उस पर कब से कब तक की ऐंट्री मौजूद है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, वहां ऐसा रजिस्टर है जिसमें माह सितम्बर, १९६२ से आये हुए सभी प्रार्थना-पत्र दर्ज हैं।

बाराबंकी जिले में सैनिटरी इंस्पेक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

२०—श्री द्विजेंद्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में हर ब्लाक में कौन-कौन सैनिटरी इन्स्पेक्टर कब-कब से काम कर रहे हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

बाराबंकी जिले में १६ ब्लाक हैं जिनम १५ सेनिटरी इन्स्पेक्टर कार्य कर रहे हैं। सैनिटरी इन्स्पेक्टरों के नाम, ब्लाकों के नाम और उन ब्लाकों में उनके कार्य काल की अवधि निम्नलिखित है:—

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४२२-४२३ पर)

२१—श्री द्विजेन्द्र नारायण—

कितने और कौन सैनिटरी इन्स्पेक्टरों के मकान उन्हीं ब्लाकों में हैं जहां उनकी नियुक्ति है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

केवल एक सैनिटरी इन्स्पेक्टर कुंवर जगदीशसिंह का मकान (Home place of residence) उनकी नियुक्ति के ब्लाक पूरे डलई के ग्राम मंझेसा में है।

२२—श्री द्विजेंद्र नारायण—

सरकार के पास इस प्रकार की कितनी शिकायती दरख्वास्तें आयी हैं कि ये लोग अपने पद का दुरुपयोग करके जनता में एक प्रकार का आतंक फैलाये हुए हैं कि हम तुम्हारा चालान करके एडल्ट्रेशन ऐक्ट में सजा करा देंगे ? ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्या कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

इस प्रकार के तीन शिकायती पत्र स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में प्राप्त हुए जिनमें दो गुमनाम (anonymous) थे और एक असत्य नाम से लिखा हुआ (pseudonymous) था। ऐसे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लिखे गये पत्रों पर शासन कोई कार्यवाही नहीं करता है।

कानपुर जिले में निजी हरिजन छात्रावासों को सहायता

२३—श्री शिवनाथसिंह—

क्या स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत किन-किन निजी हरिजन छात्रावासों को कब से और कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जिला कानपुर में १९५१–५२ से १९६०–६१ तक निजी हरिजन छात्रावासों को दिये गये अनुदान की सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। १९६०–६१ के पश्चात् किसी छात्रावास को अनुदान नहीं दिया गया।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४२४–४२५ पर)

उमारमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हरिजन छात्रावास के लिये अनुदान

२४—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के उमारमण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का हरिजन छात्रावास के अनुदान के हेतु जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था उसके प्राप्त होने की तथा वापस करने की क्या तिथि थी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

प्रार्थना-पत्र विद्यालय के एक अध्यापक महोदय जिले के कार्यालय में लाये थे जिसमें त्रुटियां बताकर तुरन्त मूल रूप में वापस कर दिया गया था। जिला कार्यालय में इसकी प्राप्ति का रिकार्ड नहीं रक्खा गया। इसलिये निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

२५—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वह प्रार्थना-पत्र किस माध्यम से प्राप्त हुआ था तथा किस माध्यम से वापस किया गया, क्योंकि विद्यालय को वापस नहीं मिला ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

प्रार्थनापत्र विद्यालय के एक अध्यापक महोदय लाये थे और वह उसी समय उन्हीं के द्वारा वापस कर दिया गया था।

टी० बी० चिकित्सा केन्द्र

२६—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कितने टी०बी० चिकित्सा केंद्र हैं तथा उनमें कितने कम्पाउन्डर हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम पंचायतों व ग्राम सभाओं का आडिट

२७—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह इस योजना पर विचार करने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभाओं के फंडों का आडिट

विशेष आडिटरों द्वारा कराया जाय जिससे पंचायत तथा ग्राम सभाओं में किये हुये भ्रष्टाचार को रोका जा सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ग्राम पंचायतों के फंड का आडिट पंचायत आडिट संगठन के आडिटरों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के हिसाब-किताब का विशेष आडिट भी कराया जा सकता है। समस्त गांव पंचायतों के हिसाब-किताब का विशेष आडिट कराना आवश्यक नहीं है। यह शासन के लिये संभव भी नहीं है।

जिला फर्रुखाबाद में विकास खंडों की जीपें

२८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला फर्रुखाबाद के विकास क्षेत्रों की जीप कारें वहां के गत उप-चुनाव के प्रचार के संबंध में प्रयोग की गईं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

विकास क्षेत्रों की कोई भी जीपकार वहां के गत उपचुनाव में प्रयोग में नहीं लाई गई।

२९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस विषय में क्या सरकार से सोशलिस्ट पार्टी ने कोई शिकायत की ? यदि इस किस्म की कोई शिकायत की, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई छानबीन की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस संबंध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

गोरखपुर जिले में चेचक

३०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको इस बात की कोई सूचना है कि गत अप्रैल मास में गोरखपुर जिले के फरेंदा, महाराजगंज, सदर तथा बांसगांव तहसीलों के किन-किन गांवों में चेचक से लोग पीड़ित थे ?

३१—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त तहसीलों में कितने व्यक्ति चेचक रोग से ग्रसित हुये उनमें कितने ठीक हुये तथा कितनों की मृत्यु हो गयी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

गोरखपुर जिले के फरेन्दा, महाराजगंज, सदर तथा बांसगांव तहसीलों के निम्नलिखित ग्रामों में अप्रैल, १९६३ मास में चेचक की बीमारी से लोग पीड़ित थे।

१—फरेंदा तहसील में—

कोई नहीं।

२—महराजगंज तहसील में—

१—निचलोई

३--सदर तहसील में--

१--गुलरिया लंगारी,
२--हरखपुर,
३--श्रीकोनिया नं० १,
४--नाखा नं० १,
५--नाखा नं० २ ।

४--बांसगांव तहसील में--

१--बंकाला,
२--बंकट,
३--लखन खुर्द,
४--पोहिला,
५--मुरारपुर ।

उपरोक्त तहसीलों में अप्रैल, १९६३ मास में ६२ व्यक्ति चेचक से ग्रसित हुए और उनमें से ३२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई शेष ३० व्यक्ति ठीक हो गये ।

मुरादाबाद जिले में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

३२--श्री रियासत हुसैन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मुरादाबाद में मैटर्निटी सेन्टर कहां-कहां चल रहे हैं और उसमें कितना-कितना स्टाफ है ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

तहसील मुरादाबाद में निम्नलिखित स्थानों पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र (मैटर्निटी सेन्टर) चल रहे हैं और केन्द्रों के कर्मचारियों की संख्या उनके सामने अंकित है :

केन्द्र के नाम	कर्मचारी जो काम कर रहे हैं		
	स्वास्थ्य निरीक्षिका	मिडवाइफ	दाई
१--ताजपुर	१	१	..
२--हरथाला	..	१	..
३--बखवारा	..	१	..
४--अघवानपुर	..	..	१
५--मुन्डापान्डे	१	१	१
६--सकराखेरा	..	१	१
७--जैती सदुलापुर	..	..	१

रायबरेली के सदर अस्पताल में एम्बुलेंस न होना

३३--श्री भगवानदीन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के सदर अस्पताल में कोई एम्बुलेंस गाड़ी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

जी हां, सदर अस्पताल, रायबरेली में कोई एम्बुलेंस नहीं है। धनाभाव के कारण वहां अभी कोई एम्बुलेंस नहीं दी जा सकी है।

३४—श्री भगवानदीन—

क्या यह सही है कि बिना गाड़ी के जिले के दूसरे अस्पतालों से जो कि करीब ३०—३० मील की दूरी पर हैं मरीजों को लाने में बहुत देर लग जाती है?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

३५—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार एक एम्बुलेंस गाड़ी का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में जिला अस्पतालों में एम्बुलेंस की व्यवस्था की एक योजना सम्मिलित है। संकट कालीन समय होने के कारण यह योजना अभी चालू नहीं की जा सकी है। इस योजना के चालू होने पर रायबरेली के जिला अस्पताल को एम्बुलेंस देने की व्यवस्था की जा सकेगी।

सदर अस्पताल रायबरेली

३६—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली सदर अस्पताल में सन् १९६३ में कितने मरीज भरती किये गये उनमें से मर्द और औरतों की संख्या क्या है? उन मरीजों में कितने मरे और कितनों को अच्छा किया गया तथा कितने अभी अस्पताल में हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सदर अस्पताल, रायबरेली में (जनाना तथा मर्दाना दोनों में) सन् १९६३ में (अगस्त, १९६३ तक) कुल ३३१२ रोगी भरती किये गये। इनमें १४०६ पुरुष, १४९७ स्त्रियां तथा ४०९ बच्चे थे। इन रोगियों में १७७ की मृत्यु हुई, २९८१ स्वस्थ हुए तथा १५४ अभी अस्पताल में हैं।

३७—श्री रतीपाल—

क्या सरकार को पता है कि उक्त अस्पताल में कितने डाक्टर और कितने नर्सें इस समय पर कार्य कर रहे हैं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

उक्त अस्पताल में इस समय ४ डाक्टर तथा १५ नर्सिंग कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, बुलन्दशहर के डाइरेक्टर्स का चुनाव

३८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २९ मार्च, १९६३ की जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, बुलन्दशहर के डाइरेक्टर्स का चुनाव होने वाला था, उसको क्यों मुलतवी किया गया?

श्री मुजफ्फर हसन—

दिनांक २९-३-६३ को जिला कोआपरेटिव बैंक, बुलन्दशहर के वर्ष १९६१-६२ के कार्य पर विचार करने के लिये वार्षिक साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया था पर कुछ समितियों के डेलीगेटों के नाम बैंक में दर्ज न किया जाने सम्बन्धी आपत्तियों के कारण सभा की राय से इस अधिवेशन को बैंक में तत्कालीन चेयरमैन द्वारा स्थगित कर दिया गया।

कानपुर की बेना झाबर श्रमिक बस्ती से स्मृति पत्र

३९—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित बेनाझाबर की नयी श्रमिक बस्ती के निवासियों का कोई स्मृति-पत्र मकानों के सम्बध में २३ जून, १९६३ से ३० जून, १९६३ के बीच सरकार को प्राप्त हुआ है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

४०—श्री मन्नालाल—

यदि हां, तो उक्त स्मृति-पत्र में क्या मांग की गयी है तथा सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस स्मृति-पत्र में मांग की गई है कि मकानों के किराये में कमी की जाय और उसे श्रमिक के वेतन के दशांक से अधिक न रखा जाय।

भारत सरकार से सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित इन गृहों का पूरा किराया तो भूमि के मूल्य, मकानों की लागत तथा अन्य खर्चों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किन्तु पात्र (Eligible) श्रमिकों से केवल साहाय्यित (Subsidised) किराया लिया जाता है और इस साहाय्यित किराये को और कम करना सम्भव नहीं है।

कानपुर की बारबर यूनियन का मांग पत्र

४१—श्री रक्षपालसिंह—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में कानपुर की 'बारबर' यूनियन के मंत्री का कोई मांग-पत्र साप्ताहिक दूकान बन्दी के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

४२—श्री रक्षपालसिंह—

यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है, अथवा क्या करने की योजना है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस पर विचार किया जा रहा है।

मुख्यालय संचालक, हरिजन कल्याण विभाग में नियुक्तियां

४३--श्री गंगाप्रसाद--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्यालय संचालक हरिजन कल्याण विभाग में सन् १९५५ से सन् १९५८ तक कितने लिपिक निकाले गये तथा उनके स्थान पर कितने लोग नियुक्त किये गये ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

केवल दो लिपिक निकाले गये तथा उनके स्थान पर दो की नियुक्ति की गई।

आजमगढ़ जिले में जनशक्ति योजना, ए० डी० ओज

४४--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनशक्ति योजना के अनुसार आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत फूलपुर, पवई और अहरोला विकास खण्डों में कौन-कौन से काम लिये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के इन विकास खंडों में अभी तक कोई काम स्वीकृत नहीं हुए हैं।

४५--श्री दौलतलाल--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कुछ ए० डी० ओ० एक ही ब्लाक में ३ साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शीघ्र ही उनके स्थानान्तरण करने पर विचार किया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आजमगढ़ जिले में ७ ऐसे सहायक विकास अधिकारी हैं जो एक ही ब्लाक में तीन साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। उनके स्थानान्तरण की इस समय कोई आवश्यकता नहीं समझी जा रही है।

मैनपुरी जिले का हिन्दूपुर आयुर्वेदिक औषधालय

४६--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कुरावली विकास खण्ड में जो परिवार नियोजन की तरफ से सोशल वर्कर कार्य कर रहे हैं उन्होंने अब तक कितने आपरेशन किये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

सोशल वर्कर का कार्य आपरेशन करना नहीं है। अतः कुरावली के सोशल वर्कर द्वारा आपरेशन करने का प्रश्न नहीं उठता।

४७--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में जो हिन्दूपुर आयुर्वेदिक औषधालय है उसके लिये दवाइयों का जो अक्तूबर, सन् १९६१-६२ में कोटा मिलना था वह अब तक न मिलने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

इस औषधालय के लिए ६२५ रु० वार्षिक मूल्य की दवाइयों का कोटा निर्धारित था। लेकिन इंडेन्ट निर्धारित मास के अन्दर न प्राप्त होने एवं स्टेट फार्मेसी में पूरे कोटे की सभी दवाइयां उपलब्ध न होने के कारण पहली बार केवल ३५८ रुपये १६ नये पैसों के मूल्य की ही दवायें निर्धारित मास में न भेजी जाकर १५ फरवरी, १९६३ को भेजी जा सकीं। कोटे का शेष भाग २६६ रुपये ८४ नये पैसों के मूल्य की दवाइयां २३ मई, १९६३ को भेज दी गईं। इस तरह से अब तक कुल कोटे की दवायें उक्त औषधालय को प्राप्त हो गई हैं।

२---श्री रियासत हुसैन---

[दूसरे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आश्वासन समिति का १७ वां प्रतिवेदन†

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का १७वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन आश्वासनों की स्थिति बताई गई है जो सदन में २६ मार्च, १९६२ से ४ जून, १९६२ की अवधि में दिये गये थे। इन आश्वासनों को सदन में दिये गये लगभग सवा साल हो चुका है, परन्तु समिति द्वारा इन पर विचार करने की तिथि तक इनमें से केवल ५०·३४ प्रतिशत आश्वासनों की ही पूर्ति हुई है। समिति के नियमानुसार आश्वासन की पूर्ति समान्यतया ३ मास में हो जानी चाहिये, किन्तु यह खेद का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी ४९.६६ प्रतिशत आश्वासन अभी अपूर्ण हैं और जिन आश्वासनों की पूर्ति हुई भी है उनमें न्यूनतम तथा अधिकतम क्रमशः १ माह दस दिन तथा १ वर्ष १२ दिन का समय लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विचार है कि जो आश्वासन सदन में दिये जाते हैं वह केवल सदस्यों को ही नहीं बल्कि वे माननीय सदस्यों के माध्यम से जनता को दिये जाते हैं। अतः इनकी पूर्ति में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

८ मई, १९६२ को श्री रामसुन्दर द्वारा दोहरीघाट नहर से पानी न मिलने के कारण सिंचाई कर में छूट विषयक प्रश्न पर यह आश्वासन दिया गया था कि उस पर विचार जरूर किया जायगा। इस बारे में सिंचाई विभाग से अभी तक केवल यही सूचना प्राप्त होती रही है कि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार १७ मई १९६२ को श्री मुकुटबिहारी लाल के एक प्रश्न के उत्तर में यह आश्वासन दिया गया था कि रुदौली जिला बाराबंकी में जनाने अस्पताल के लिये अंतरिम जिला परिषद् के एक भवन को खरीदने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस प्रश्न पर भी समिति को एक वर्ष तक यही सूचना प्रस्तुत की गई है कि आवश्यक सूचना स्वास्थ्य सेवा निर्देशक के यहां से प्राप्त नहीं हो सकी है। इन दो दृष्टान्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन को अपने अधीनस्थ विभागों पर कितना नियंत्रण है।

श्रीमन्, मैं इस वाक्य को पुनः दुहराना चाहता हूं कि इन दो दृष्टान्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन का अपने अधीनस्थ विभागों पर कितना नियंत्रण है।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

श्रीमन्, यह इसी से सिद्ध होता है कि अपने अधीनस्थ विभागों को बार बार स्मरण कराने के उपरांन्त वे उनसे आश्वासनों की पूर्ति हेतु सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। अतः शासन को इस ओर उचित कार्यवाही करनी चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां माननीय सदस्यों को बाद में वितरित की जायंगी, क्योंकि यह अभी तक छपकर प्राप्त नहीं हो सकी हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैं रिपोर्ट्स के छपने के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय दुबे जी, कल इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और मैंने स्वयं इस पर जोर दिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

श्रीमन्, आप इस बात पर ध्यान दें कि विधान सभा की प्रोसिडिंगस ५/६ महीने में छपकर आ रही हैं। यह बीच आफ रूल्स हो रहा है। कमेटियों की रिपोर्ट्स भी नहीं छप रही ह, यह भी बीच आफ रूल्स हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान इस ओर जाना चाहिये कि बीच आफ रूल्स न होने पाये।

श्री अध्यक्ष---

यह बात मेरे नोटिस में आ चुकी है। इसलिये मैंने माननीय उपनेता सदन से कहा था कि इससे बड़ी परेशानी हो रही है।

प्रदेश में चीनी तथा पाकिस्तानी जासूसों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक कार्यस्थगन प्रस्ताव माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी जी का है। जो सूचना माननीय माधोप्रसाद जी ने भेजी है उसका सम्बन्ध है---चीनी तथा पाकिस्तानी जासूस बड़ी संख्या में रह कर आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इसको मैंने माननीय गृहमंत्री के पास भेज दिया है। यद्यपि यह ठीक है कि यह विषय सेंटर से सम्बन्धित है लेकिन इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि यथाशक्ति मंत्री जी सदन के सामने, इस सम्बन्ध में, अगर कुछ बयान दे दें तो सदन भी स्थिति से अवगत हो जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

प्रान्त से भी यह सम्बन्ध रखता है। उनकी सी० आई० डी० . . .

श्री अध्यक्ष---

वहीं मैं कह रहा हूं कि हमसे भी सम्बन्ध रखता है।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

इस में संदेह नहीं कि यह बड़े महत्व का प्रश्न है, लेकिन चूंकि इसका सम्बन्ध पूर्णतया केन्द्रीय सरकार से है, हमारे पास उसकी कोई सूचना भी नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष---

मैंने निवेदन किया कि हमारे सदन की यह प्रथा रही है कि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित विषयों पर यहाँ चर्चा नहीं उठायी जा सकती। किन्तु कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी प्रतिक्रिया हमारे प्रान्त पर और विशेषकर बार्डर एरियाज पर पड़ सकती है। मेरा निवेदन यह था कि इसको आप स्टडी कर लीजिये, गोपनीयता आदि को ध्यान में रखते हुए जो कुछ बयान दे सकें, वह दे दें, तो बड़ा अच्छा होगा। इसको आप देख लें।

श्री हरगोविन्दसिंह---

ठीक है।

श्री रामसुन्दर पांडेय द्वारा प्रश्नों के उत्तर के संबंध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मेरा एक प्रश्न था, तारांकित प्रश्न संख्या १६, जिसका उत्तर दिया गया था कि माननीय सदस्य इस की प्रतिलिपियां मेरे कमरे मे देख सकते हैं। मैं उस वक्त भी कहना चाहता था लेकिन चूंकि आप अपनी राय जाहिर कर चुके थे इसलिए टोकना पसन्द नहीं किया। उस हुक्म के मुताबिक मैं कमरे में गया माननीय रामनारायण पांडेय के, वह कमरे में मौजूद नहीं थे। पी० ए० ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे पास फाइल नहीं है, आप फिर कल आने का कष्ट कीजियेगा। तो इस प्रकार का जो उत्तर दे दिया जाता है क्या वह सिर्फ सवालों का उत्तर टालने के लिए है या माननीय सदस्यों को परेशान करने के लिए है ? या तो इस प्रकार का उत्तर देना बन्द करवाइये या इसके साथ साथ यह भी सूचना मिलनी चाहिए कि फलां वक्त में, फलां दफ्तर में आकर फाइल देख सकते हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)---

अध्यक्ष महोदय, मैं माफी मांगता हूं। वह काउंसिल में बैठे रहे होंगे। वरना हमे क्या मिलता है कि आपको बुलाएं और परेशानी का आलम पैदा करें ? आप बतला दें तो उस वक्त मैं पहुंच जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---

उनका कहना सिर्फ यह है और मैं उसे मुनासिब समझता हूं कि उत्तर देते समय ही उनको बतला दिया जाय कि अमुक समय पर आ जायं और पत्रावली देख लें।

श्री राममूर्ति---

इसका खयाल रखा जायगा आइन्दा के लिए।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत कई एक सूचनाएं आयी हैं। माननीय लखपतराम जी, आप मुझसे मिल लीजियेगा, उसमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। आपकी सूचना अभी मैंने नहीं देखी है। शेष जो हैं उनको मैं स्वीकार नहीं कर सका हूं।

एक माननीय उमाशंकर जी का है सूखा के बारे में कि सगड़ी तहसील में भयंकर सूखा पड़ गया है। इसको मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है कि वह फौरन इसके ऊपर उचित कार्यवाही करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

केवल सगड़ी तहसील में ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के बहुत से स्थानों में सूखा पड़ा है। अगर आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं तो माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर दें कि प्रदेश में जिन जिन स्थानों पर सूखा पड़ा है उन सबके बारे में सूचना वह दें।

श्री अध्यक्ष--

(श्री लखपतराम शर्मा के खड़े होने पर) माननीय लखपतराम शर्मा जी, पहले मैं खत्म कर लूं। आपका प्रश्न जो है वह सुरक्षित है। आपसे मैंने कहा कि आप मुझसे मिल लें। उसमें मुझे आपसे बात करनी है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था और आपसे मिला भी था और आपने कहा भी था कि उसको मैं दफा ५२ में लें लूंगा। (व्यवधान) जो कम्युनिस्ट प्रिजनर्स हैं उनके बारे में कुछ न कुछ वक्तव्य यहां दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठ जायं। माननीय काशीनाथ जी का एक है नियम ५२ का प्रश्न, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में झगड़ा है। उसमें एक कमीशन की नियुक्ति हो चुकी है और वह कमीशन मौके पर जा भी रहा है। माननीय काशीनाथ जी सिर्फ यह चाहते थे कि जो टर्म्स आफ रेफरेंस हैं वह मालूम हो जायं। मैं काशीनाथ जी से कहूंगा कि या तो वह अल्पसूचित प्रश्न द्वारा पूछ लें या माननीय मंत्री जी जो उससे सम्बन्धित हों वह टर्म्स आफ रेफरेंस बता दें। तो माननीय सदस्य को सुविधा होगी।

श्री चन्द्रपाल और माधोप्रसाद जी का एक है बीज भंडार के बारे में कि कुछ लोगों ने बीज लिया है उनसे दुबारा रुपया वसूल किया जा रहा है ....

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

कोई बीज भंडार में विश्वास नहीं कर रहा है। अगले मर्तबे कोई बीज वहां से नहीं लेगा। इस वक्त भी बड़ा आतंक वहां छाया हुआ है। एक बार वसूली हो गई, फिर दोबारा वसूल किया जा रहा है। इसका महत्व तो. ....

श्री अध्यक्ष--

हम इसका महत्व समझते हैं। लेकिन यह बहुत ही अस्पष्ट और वेग (Vague) सा लिखा है--"अनुमान है कि हजारों रुपया" तो अनुमान के ऊपर नियम ५२ नहीं आ सकता।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

रसीदें मेरे पास रखी हुई हैं, रसीदें मैं ले आया हूं।

श्री अध्यक्ष--

ज्यादा अच्छा यह हो कि आप स्पेसिफिक इस्टांसेज दें।

श्री झारखंडे राय जी के दो थे। जो कल मैं लाया नहीं था वह २५ परसेंट लगान की वृद्धि के सम्बन्ध में है। उसको मैंने स्टेटमेंट के लिए २७ तारीख को मुकर्रर कर दिया है और माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है।

आज उनकी एक सूचना आयी है, डी० आई० आर० के अन्तर्गत जो लोग गिरफ्तार हुए हैं और कारावास में पड़े हैं उनके सम्बन्ध में। आपने यह लिखा है कि नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यह नियम

बुरा है और संकटकाल की समाप्ति पर इसकी वैधता को चुनौती दी जा सकती है । देश के प्रख्यात कानून वक्ताओं ने इस नियम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रहार कहा है ।

जो भी कहा हो, लेकिन कानून के अन्तर्गत यह पकड़े गए हैं । जहां तक मुझे ज्ञात है सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला किया है कि इस सम्बन्ध में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है । इसे अविलंबनीय महत्व का प्रश्न भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नजरबन्द लगभग साल भर से चले आ रहे हैं । अगर आप चाहें तो अल्पसूचित प्रश्न द्वारा सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

सूचना के अन्त में श्रीमन्, यह लिखा है कि केन्द्रीय सरकार ने बार-बार आश्वासन दिया है कि नजरबन्दों के मामलों को देखा जाय और उसी को लेकर बहुत सी राज्य सरकारें केरल, आन्ध्र मद्रास ,और उड़ीसा ऐसी हैं जहां ये लोग छोड़े गये हैं । लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर सरकार की राय उल्टी है । जितने लोग बन्द हैं उनमें अधिकांश लोगों को फेमिली एलाउंस और जेलों में जो अन्य सुविधाएं मिलती है, वे भी नहीं मिली हैं और तरह-तरह की यातनाएं उनको दी जा रही हैं । ये बहुत से मजदूर नेता हैं और इनको इसलिये बन्द रखा गया है ताकि वे मजदूरों के हित के लिए लड़ाई न लड़ सकें । यह बहुत ही अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न बन जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

इस बात को अगर मान भी लिया जाय तो भी मेरा निवेदन यह है कि नियम ५२ के अन्तर्गत यह विषय अविलंबनीय नहीं है । इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लिया जाय ताकि आपको मालूम हो सके कि सरकार की क्या नीति है । नियम ५२ के अन्तर्गत यह नहीं आ सकता ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

हम जब आपसे चैम्बर में मिले थे तब आपने हमें यह आश्वासन दिया था कि नियम ५२ के अन्तर्गत ले लेंगे, लेकिन फिर भी हमारी दरख्वास्त है, हम अल्पसूचित प्रश्न देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार क्या ३ दिन के अन्दर उत्तर दे देगी, इसके लिए आप सरकार को विवश कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो मेरे अख्तियार की बात है, आपके अख्तियार में वह नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, बहुत से ऐसे लोग नजरबन्द हैं जिनके विरुद्ध सरकार सिद्ध नहीं कर सकी है कि उन्होंने चीन का प्रचार किया है । ६ महीने से ज्यादा से लोग जेलों में पड़े हुए हैं, राज्य सरकार को अधिकार है कि उनके केसेज को ६ महीने के बाद देखकर, अगर उन पर चार्ज नहीं है, तो उनको छोड़ सकती है । वह भी नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात आप अल्पसूचित प्रश्न द्वारा भी जान सकते हैं ।

श्री झारखंडेराय—

श्रीमन्, आपने नियम ५२ के अन्दर इसे स्वीकार नहीं किया है । लेकिन क्या सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है और क्या आप सरकार से कोई इस प्रकार से आग्रह नहीं कर सकते कि वे खुद ही कोई व्यक्तव्य दे दें कि आखिर ये कम्युनिस्ट लोग क्यों गिरफ्तार किये गये, और इन पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झारखंडे राय]

मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा रहा है ? अब इमर्जेन्सी भी बहुत मानों में खत्म सी हो गयी है तब इनको बन्द रखने का क्या कारण है ? अगर इस पर कोई वक्तव्य देकर सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर दे तो हमें भी आसानी होगी, सदन को और बाहर जनता को भी समझने में आसानी होगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे सरकार अपनी नीति को स्पष्ट कर सके।

श्री उग्रसेन—

मेरा एक नियम ५२ बाराबंकी के सम्बन्ध में है, जरा उसे भी आप देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो मेरे हाथ में ही है। जो आज श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी ने नियम ५२ के अन्तर्गत दिया है वह इस प्रकार है —

"कुछ दिन पहले प्रस्तावित गोरखपुर खाद कारखाने से प्रभावित होने वाले काश्तकारों ने अपनी भूमि का उचित मुआवजा एवं पुनर्वास आदि के लिए सत्याग्रह चलाया था। फलस्वरूप सरकार के नुमाइन्दे। श्री रामसहाय जी। आई० ए० एस०, सचिव, वन विभाग, सरकार के निदेश पर गोरखपुर सत्याग्रही काश्तकारों के प्रतिनिधियों से मिलने तथा बात करने के लिये आये थे। बातचीत के फलस्वरूप दोनों पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार ३,२०० रुपया (तीन हजार दो सौ रुपया) प्रति एकड़ मुआवजा देना सरकार ने स्वीकार किया और मुआवजे की रकम तीन महीने के अन्दर भुगतान करने का आश्वासन मिला था। २८ सितम्बर को इस समझौते को हुये ३ मास हो रहे हैं किन्तु यहां के जिलाधिकारियों से बात करने पर इस बात की सम्भावना कम प्रतीत हो रही है कि २८ सितम्बर तक काश्तकारों को मुआवजा मिल सकेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि २८ सितम्बर तक मुआबजा नहीं मिलता है और सरकार जबरदस्ती उनकी भूमि हस्तगत करती है तो काश्तकार फिर से सत्याग्रह करने के लिए विवश होंगे। काश्तकार पुनः सत्याग्रह प्रारम्भ करने की तैयारी कर चुके हैं। सरकार द्वारा अपना वायदा न पूरा करने के कारण सरकार के प्रति घोर असंतोष तथा उत्तेजना का वातावरण पैदा हो रहा है।"

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, वे फिर से सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनसे जो वायदा किया गया था और जिसके आधार पर उन्होंने सत्याग्रह वापिस लिया था। वह वायदा पूरा नहीं किया गया और उनको मुआविजा देने के लिए कोई प्राविजन भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो एन्टीसीपेट कर रहे हैं। अभी तीन महीने पूरे तो नहीं हुए हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

वह गड़वड़ी करने के लिए तैयार हैं और अगर गड़बड़ी हो जाय, ब्रीच आफ पीस हो जाय, सरकार का काम रुक जाय, फिर कदम उठाने से क्या फायदा होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं लेकिन नियम ५२ में आप ऐन्टीसीपेट तो नहीं कर सकते हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मेरा भी इसी गोरखपुर के सम्बन्ध में था।

श्री अध्यक्ष—

कब दिया है ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

आज ही दिया है।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं निवेदन कर दूं। जहां तक मुझे याद है उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई हाल की घटना होनी चाहिए। अविलम्बनीय विषय होना चाहिये। ऐन्टीसीपेशन नियम ५२ का विषय नहीं हो सकता।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह अविलम्बनीय महत्व का विषय नहीं हो सकता जब कि वहां पर सत्याग्रह हो जाय, सरकारी काम रुक जाय, मारपीट हो जाय, कुछ लोग जेल चले जायं ?

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, तो ठीक है।

श्री उग्रसेन—

वहां पर इस बात की गर्म चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भूमि सम्बन्धी झगड़ा निपटा नहीं रही है। तो हो सकता है कि यह फैक्टरी दूसरी जगह चली जाय। माननीय अलगूराय शास्त्री ने वायदा किया था, लेकिन अब भी भूमि का झगड़ा पड़ा हुआ है। अगर कुछ कारखाने का नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी चाहे वह सरकार सुचेता जी की हो या गुप्ता जी की हो। वहां पर झगड़ा होने वाला है, यह बात याद रहे।

श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

दफा ५२ में हमने भी अपना एक प्रस्ताव दिया था कि बाराबंकी में डी० पी० ओ० ने १३ तारीख को एक लड़की को गायब कर दिया है और उसका आज तक पता नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

वह आफिस में होगा। मेरे पास नहीं है। अगर आफिस में पड़ा होगा तो देख लिया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैंने भी एक नियम १०६ के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजा है।

श्री अध्यक्ष—

आप तो कायदे और कानून से वाकिफ हो गये हैं। अगर आपने प्रस्ताव भेजा है तो देख लिया जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

आप तो श्रीमन्, नियमों के लिये सक्षम अधिकारी हैं। किसी भी नियम को किसी दफा में, किसी दूसरी दफा में बदलकर उसको ले सकते हैं। अगर मेरे प्रस्ताव में नियम लिखने में कुछ गलती हो गई हो, तो उसको आप बदल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

है आपका कौन-सा प्रस्ताव ?

श्री कल्पनार्यासिंह—

लगान को चौथाई करने के विषय में है। मुझे आशा थी कि वह ले लिया जायगा, लेकिन वह नियम ५२ का विषय नहीं बन सका ।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जितने नियम ५२ के नोटिस आये थे, उन सब को मैंने आपके सामने पढ़ दिया। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और नियम ५२ का नहीं है। अगर कहीं दफ्तर में दिया है तो मैं देख लूंगा कि वह क्यों नहीं आया ।

श्री कल्पनार्यासिंह—

आज नहीं। वह कल मैंने दिया था और आपसे बदलने के लिये कहा है । अगर नियमों में कोई बात है तो उसको बदल दीजिये और उस पर बहस करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

श्री कल्पनार्यासिंह—

मेरा प्रस्ताव नियम १०६ में है। उसके अन्तर्गत इस विषय पर बहस होनी चाहिये। यह सरकार ने वायदा किया था कि लगान १ बटा ४ घटा दिया जायगा, तो इसी सम्बन्ध में इस पर बहस होनी चाहिये। उस नियम के अन्तर्गत वह निश्चित रूप से आता है ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा ।

विधान सभा के १६ सितम्बर को आहूत सत्र को निरस्त किये बिना उसे २३ सितम्बर को आहूत करने के संबंध में उठाये गये व्यवस्था तथा विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार

श्री अध्यक्ष—

कल माननीय बहुगुणा जी ने जो बात कही थी वह ठीक मालूम होती है कि रिवीजन एप्लीकेशन वहां थी। आज मेरे पास जो सूचना आयी है उसके अनुसार वह रिवीजन एप्लीकेशन खारिज हो गयी है। तो अब उसके सबजुडिस होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

यह किस तारीख का लेटर है ?

श्री अध्यक्ष—

यह मेरे पास श्री एल० पी० निगम के यहां से लेटर आया है, जो इस प्रकार है—

Sri Shanti Bhushan,
Senior Standing Counsel.

D. O. No. S—3592
High Court,
Allahabad,
Dated September 24, 1963.

DEAR SRI NIGAM,

As desired by you on phone today, the certified copy of the application which was filed by Sri Shiv Dayal Singh in his Civil Revision no. 979 of 1963 for challenging the validity of the Ordinance, has been obtained and

is being sent through Sri Ram Gopal Gupta who happened to be going to Lucknow.

I am, however, informed by my office who inspected the file of the case today that the revision itself has been dismissed yesterday. It had been fixed for final hearing for 25th September but was listed yesterday with the report that the record had not been received and the counsel for the applicant who had undertaken to pay the expenses of the special messenger for bringing the record had not deposited the said expenses. It appears that when the matter was taken up in the court, the learned counsel for the applicant made a statement that he does not want to pursue the matter any further. The Hon'ble Court accordingly dismissed the revision.

In view of he dismissal of the revision, the application for challenging the validity of the Ordinance has become infructuous.

Yours faithfully,
(Sd.) SHANTI BHUSHAN,

Sri L. P. Nigam.
L. R., Uttar Pradesh Government.
Lucknow.

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

यह राम गोपाल गुप्त कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह कोई भी हों, लेकिन वह लेटर लाये हैं। यह आर्डर मालूम होता है कि २३ तारीख को पास हुआ और २४ को यह पत्र लाया गया है और मुझे यह आज ही मिला है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय हुकुम सिंह जी ने फिर रांग स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह मामला सबजुडिस है, जबकि यह डिस्मिस हो चुका था।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा था कि मेरी सूचना ऐसी है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आपने कल पूछा था कि क्या यह सबजुडिस है, तो उन्होंने कहा था कि हां, यह सबजुडिस है। और इसके बाद आपने उसे परस्यू किया था और आपने कहा था कि कापी भेजो, तो उन्होंने इस प्रकार सदन को रांग इंफार्मेशन दी है।

श्री टन्नेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मेरा निवेदन है कि आप बीच में उनकी तरफ से क्यों निवेदन करते हैं। उन्हें ही कहिये कि वे बतलायें।

श्री अध्यक्ष—

यह पत्र निगम साहब ने भेजा है। माननीय गृह मंत्री जी, आप इस सम्बन्ध में कुछ बतलाना चाहते हैं ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविंदसिंह)—

जहां तक मुझे इत्तला है, शान्तिभूषण जी ने एक दरख्वास्त दी थी कि चूंकि यह आर्डिनेंस हो गये हैं लिहाजा पिटीशंस में रिस्ट्रेन्ट आर्डर पहले से था वह वैकेट कर दिया जाय और उस पर कल ही यह आर्डर हुआ था। उन्होंने फिर कहा कि हम परस्यू नहीं करना चाहते हैं, मेरी यह इन्फार्मेशन है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

सवाल यह है कि अब भी आप ही 'शायद', और 'ऐसा हुआ, वैसा हुआ' कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किस की है कि मंत्री जी को सही इत्तला दी जाय? गलत इत्तला के लिये मंत्री जी को कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

यह तो कंट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट हो रहे हैं। आपके सामने एक लेटर है कि २३ तारीख को फैसला हुआ, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि कल उन्होंने वापस लिया, यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

जो उनका लेटर है और जो मेरे पास सर्टिफाइड कापी आयी है वह मैंने आपको पढ़ कर सुनायी है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

आपने स्वयं कहा था कि कोई सज्जन राम गोपाल नाम के यह लेटर लेकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास नहीं, यह श्री एल० पी० निगम साहब के पास श्री शांति भूषण, सीनियर स्टैंडिंग काउन्सिल का लेटर है जो आया है। उन्होंने बजाय डाक से भेजने के किसी व्यक्ति के हाथ भिजवा दिया।

श्री रामायणराय—

आपकी समझ में ठीक हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको बिलकुल ठीक समझ रहा हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

इसकी सूचना भी प्राप्त हो गयी। १६ सितम्बर वाला सदन के अवमान का प्रश्न तो आपके सामने रखा है, मैं निवेदन करूंगा कि आप उसे पढ़ दें और अगर इजाजत दें तो मैं कुछ कह दूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं कह रहा था कि कल मेरे मन में जो भ्रम था...(व्यवधान)

एक सदस्य—

आपके मन का भ्रम तो निवारण हो गया, लेकिन उत्पन्न करने वालों को क्या सजा मिली ? वह तो भ्रम इसलिये हुआ कि जो कांग्रेस के नामजद अध्यक्ष हैं वही बने रहें।

श्री अध्यक्ष—

अब इस वक्त तो यह प्रश्न ले लिया जाय। (श्री नेकराम शर्मा के खड़े होने पर) नेकराम जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री नेकराम शर्मा—

इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने के पूर्व मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अब यह सब—जुडिस तो रहा नहीं। मैं चाहूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहें उनको आप अवसर दें और फिर अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

अवसर तो मैं अवश्य दूंगा, कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसपर मैं अवसर न दूं, सिर्फ नियम जो हैं उन सब का पालन हम सब करेंगे।

श्री उग्रसेन—

दो प्रश्नों पर आपको देखना होगा। पहला प्रश्न यह है कि जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है कि जो अध्यादेश निकाला गया वह अवैध था, अवैधानिक था। दूसरा यह है कि क्या सरकार को इस बात की सूचना नहीं थी कि २३ तारीख को जो पेटीशन हाईकोर्ट में थी वह खारिज हो गयी और उसकी सूचना होते हुये सदन को जानबूझ कर सरकार ने धोखे में रखा, इसलिए उसके नुमाइंदों पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न पैदा होता है। इसलिये आप शांतिपूर्वक सुनिये और तीन दिन सुनिये, फिर उसके बाद जो फैसला देना हो वह दीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं सरकार द्वारा असत्य भाषण के लिए विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख रहा था कि विशेषाधिकार के सम्बन्ध में यह नियम है कि एक ही प्रश्न एक दिन में लिया जाय, एक से अधिक प्रश्न न उठाया जायगा। तो एक ही पर हम विचार करेंगे। दूसरे को बाद में ले लेंगे। विशेषाधिकार के कैप्शन में दोनों चीजें आ जाती हैं—विशेषाधिकार और अवमान।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

१६ सितम्बर को मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष—

उससे पहले श्री टम्बेश्वरी प्रसाद ने दिया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

नरसिंह नारायण जी ने तो अधिकारी की जिम्मेदारी तक ही अपने को सीमित रखा है, मैंने मुख्य मंत्री के विरुद्ध दिया है जिसमें वह भी कवर हो जाता है, इसलिये मेरे वाले में दोनों डिस्कस हो सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

ठीक है, तो आप मुझे सुन लें।

एक सदस्य—आपने परसों फरमाया था कि बाढ़ पर बहस होगी.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आपने कहा था कि आप इस बारे में मुझे सुनेंगे और मेरे प्रस्ताव को आपने पढ़ने के लिये भी कहा था.....

श्री अध्यक्ष—

मैं वही पढ़ने जा रहा हूं। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद का ४ सितम्बर का है और माननीय नरसिंह नारायण जी का १६ सितम्बर का है। दोनों को ही मैं पढ़ दूंगा। माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का इस प्रकार है—

"दिनांक ३०-८-६३ को एक विज्ञप्ति इस सम्बन्ध में प्रकाशित हुई कि सदन की बैठक महामहिम राज्यपाल ने दिनांक १६-९-६३ को बुलाई है। तत्काल ही वह सूचना माननीय मुख्य मन्त्री चन्द्रभानु गुप्त ने रद्द करवा दी जो उनको कांग्रेस हाई कमांड के बेजा दबाव के कारण करना पड़ा। सदन की बैठक में इस प्रकार का व्यवधान डालना नियमों (सदन) के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। आपके माध्यम से विशेषाधिकार के इस प्रश्न को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं।"

माननीय नरसिंह नारायण का इस प्रकार है :—

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आदरणीय सदन के अवमान का एक प्रश्न श्री अमिय भूषण मलिक, निदेशक सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध दिनांक २३-९-६३ के आगामी अधिवेशन में उठाना चाहता हूं। आशा है ऐसा करने की आज्ञा, अध्यक्ष महोदय, देने की कृपा करेंगे।

निदेशक सूचना विभाग द्वारा जारी किये गये प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विधान मंडल के दोनों सदनों को १६ सितम्बर, को आहूत करने तथा विना प्रथम विज्ञप्ति के निरस्त हुये दूसरी विज्ञप्ति में २३ सितम्बर, (विधान सभा) तथा १६ सितम्बर, १९६३ (विधान परिषद्) को बुलाने निमित्त जो दैनिक अंग्रेजी पत्र "नेशनल हेराल्ड" में ६ सितम्बर, १९६३, पृष्ठ पर ३ छपा है तथा जिसको कटिंग नत्थी है, से प्रदेश की जनता में आदरणीय सदन के स्तर को गिराकर सार्वजनिक अवमान किया गया जिससे सदन की मान मर्यादा को धक्का पहुंचा तथा इसके स्तर को गांव पंचायत के समक्ष नीचे लाने की चेष्टा की गयी। इतना ही नहीं, २३ सितम्बर से विधान सभा को बुलाने वाले प्रेस नोट में भी यह उल्लेख नहीं है कि १६ सितम्बर से बुलाने वाला प्रेस नोट निरस्त किया जाता है।"

उपरोक्त प्रेस नोट को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निदेशक सूचना विभाग ने बिना किसी प्राधिकार के १६ सितम्बर का प्रेस नोट जारी किया।

भारतीय संविधान में केवल महामहिम राज्यपाल को ही सदन को आहूत करने तथा विज्ञप्ति को निरस्त या परिष्कृत करने का अधिकार है, परन्तु जब कोई सरकारी विभाग या उसका अधिकारी राज्यपाल महोदय के उक्त कृत्यों को स्वयं बिना प्राधिकार के प्रयोग करने लगता है तो उससे सदन की अप्रतिष्ठा होती है और इस तरह से वह अवमान का दोषी होता है। इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस की १५वीं वाल्यूम के पृष्ठ १२० पर देखा जाय, तो उसमें स्पष्ट दिया है कि कृत्य जो सदन को नागरिकों की दृष्टि में गिराने की दृष्टि रखते हैं तथा जन-साधारण में उसके प्रति घृणा तथा अवमान का प्रसार करते हैं, उसके दृष्टांत हों या न हों, वे सदन के अवमान का प्रश्न बन जाते हैं। अतः मैं निदेशक सूचना विभाग के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं।"

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, इसके पूर्व कि आप इस प्रश्न को लें, आपके समक्ष एक व्यवस्था का प्रश्न भी उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा कि वह व्यवस्था का प्रश्न इस विशेषाधिकार

के प्रश्न के पूर्व ले लिया जाय। हमारा तो कहना है कि यह सदन बैठ ही नहीं सकता था, यह अगेन्स्ट कान्स्टीट्यूशन है।

श्री उग्रसेन—

मेरा भी यही निवेदन है कि १६ तारीख को इस सदन का सत्र आहूत किया गया और १७ तारीख को सरकार ने अध्यादेश निकाला। उसको यह कैसे अधिकार हुआ? पहले आप नियमों के अनुसार इसको देख लें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

मेरा यह निवेदन है कि जब यह प्रश्न समाप्त हो जाय तब उसको लिया जाय। मैंने भी आयटम नम्बर ५ पर एक आपत्ति की है।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि रिट पेश है और इसलिये इस विवाद को सदन में रोक दिया जाय। इस पर आपने व्यवस्था दी और सदन की कार्यवाही रोक दी गयी, मगर यह सूचना गलत निकली। कोई रिट हाईकोर्ट में पेश नहीं थी। इस प्रकार सदन की कार्यवाही को गलत रिपोर्ट देकर रोका गया, यह स्वयं एक विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है।

श्री अध्यक्ष—

यह बात तो हो चुकी है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, पहले आप व्यवस्था दे दें कि आप विशेषाधिकार का प्रश्न पहले ले रहे हैं अथवा व्यवस्था का प्रश्न जो माननीय नेकराम जी और उग्रसेन जी ने पेश किया है, जिससे माननीय सदस्य उसी के बारे में अपने विचार प्रकट करें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जहां तक मैं समझता हूं, ये दोनों दरख्वास्तें जो विशेषाधिकार के रूप में आपके सामने हैं, वह सवाल खत्म ही हो जाता है, अगर आप १६ तारीख वाली बात को मान लेते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि पहले यह फैसला हो जाय कि १६ तारीख को यह सदन आहूत हुआ या नहीं हुआ। इसलिये जो यह बात प्वाइन्ट आफ आर्डर के रूप में उग्रसेन जी ने उठाई है पहले आप उसी पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि मेरे इस बारे में निश्चय का विशेषाधिकार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब मैं यह जरूरी समझता हूं और सदन मुझसे इस बारे में सहमत होगा कि जो तथ्य हैं, जो सही बातें हैं, वे सदन के सामने आ जायं कि १६ तारीख को क्या हुआ और २३ तारीख को क्या हुआ और उनका कानूनी असर क्या है? अगर सही दृष्टिकोण हमारे सामने आ जाय तो हम तथ्यों के आधार पर कान्स्टीट्यूशनल दृष्टिकोण को सामने रख कर ठीक निर्णय कर सकेंगे कि कहां तक सदन का अवमान हुआ है और श्री सी० बी० गुप्त या कोई और अधिकारी उसके भंग करने के कहां तक दोषी हैं? इसलिये मैं अवश्य यह चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिये इस कान्स्टीट्यूशनल प्वाइंट पर, १६ तारीख और २३ तारीख के सम्बन्ध में, थोड़ी सी बातें सुन लूं।

*श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवकाश दिया। हमारे संविधान की धारा १७४ में हमारे राज्यपाल को अधिकार है, विधान मंडल के अधिवेशन को बुलाने का। आपकी आज्ञा से मैं संविधान की धारा १७४ को पढ़ दूं—

"(1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session."

श्रीमन्, मैं 'सिटिंग और सेशन' इन दोनों शब्दों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। संविधान की धारा १७४ के अनुसार महामान्य राज्यपाल को अधिकार है कि वे विधान मंडल को आहूत करें। जब १६ तारीख के लिये राज्यपाल महोदय ने विधान मंडल को आहूत किया तो श्रीमन्, एक समन इश्यू किया था दोनों सदनों को बुलाने के लिये। यह नहीं था कि असेम्बली को बुलाने के लिये अलग समन हो और कौंसिल के बुलाने के लिये अलग समन हो। जहां तक मेरा खयाल है एक ही समन द्वारा उन्होंने लेजिस्लेचर को बुलाया। फिर, मान्यवर, राज्यपाल महोदय को कोई अधिकार नहीं था एक समन निकालने के बाद १६ तारीख को कौंसिल को बुलाने का और २३ तारीख को असेम्बली को बुलाने का।

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब है कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं था कि २३ तारीख को असेम्बली को बुलायें।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरे कहने का मतलब यह है कि १६ तारीख को विधान मंडल को बुलाने का एक ही समन था। एक समन असेम्बली के लिये हो और एक समन कौंसिल के लिये हो, ऐसा नहीं था, दोनों को अलग अलग उन्होंने नहीं बुलाया।

श्री अध्यक्ष—

यह एक आर्डर था।

श्री नेकराम शर्मा—

आहूत करने का एक समन था। २३ तारीख के लिये जो दूसरा समन हुआ, इस मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में और दूसरे नियमों में चाहे कुछ भी कहीं लिखा हो, लेकिन राज्यपाल महोदय को भी इस संविधान के विपरीत जाने का कोई अधिकार नहीं है कि वे असेम्बली को अलग बुलावें जबकि दोनों के लिये एक ही समन ईश्यू हुआ हो। इसके लिये वे दूसरा समन ईश्यू कर सकते थे। जनरल क्लाजेज की बातों को हम संविधान में लागू नहीं कर सकते। यह कहीं प्रोवीजन नहीं है कि गवर्नर के आदेश से कौंसिल और असेम्बली दोनों को बुलाने के लिये एक समन ईश्यू हो और उसके पश्चात् कौंसिल तो बैठे और असेम्बली का समन विदड्रा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

तो आपका आर्गूमेंट है कि गवर्नर एक हाउस को नहीं बुला सकता, उसे दोनों हाउस को बुलाना चाहिये?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नेकराम शर्मा—

अलग से बुला सकते हैं, उनको अधिकार है, लेकिन उसके लिये समन अलग होना चाहिये था। राज्यपाल महोदय ने १६ तारीख को असेम्बली और कौंसिल दोनों को बुलाने के लिये एक ही समन ईश्यू किया था, जबकि २३ तारीख के असेम्बली सेशन के लिये उन्हें दूसरा समन ईश्यू करना चाहिये था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक संयुक्त घोषणा की, उसे अलग अलग नहीं किया। वह यों का यों ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सरकार ने, मुख्य मंत्री ने, पदाधिकारियों ने और आफिसेज ने इस तरह संविधान को रेप किया और इस तरह से उन्होंने संविधान की धाराओं को मिसयूज किया। यह बड़े ही दुख की और शर्म की बात है कि जब हम संविधान की कसम सदन में ले चुके हैं तो दो समन हमारे सामने होने चाहिये थे जिससे १६ तारीख से कौंसिल और २३ तारीख से असेम्बली बैठती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने बड़ी कृपा करके पार्लियामेंटरी डिक्शनरी को कोट किया और मैं आपका आभारी हूं कि आपने उस दिन सदन को एक नयी बात कही। उससे हमको लाभ हुआ, उसके शब्दों को आप पार्लियामेंटरी डिक्शनरी के पृष्ठ १७५ पर देखें, यहां सेशन की परिभाषा दी है कि—

"The first of these begins on the day on which the new Parliament is directed by royal proclamation to meet, and continues until Parliament is prorogued by the Queen."

जब उन्होंने प्रोक्लेमेशन किया, क्वीन ने उसी दिन सेशन आरम्भ हुआ। 'अगर आप रूल्स को देखें तो उन में भी "सेशन और सिटिंग" की परिभाषा अलग दी हुई है।

"Session" means the period of time between the first meeting of the Assembly upon the summons of the Governor under Article 174(1) and its prorogagation or dissolution under Clause (2) thereof ;

"Sitting" means the sitting together of the members of the House for transacting business on any day from its commencement till the House rises for the day ;

पार्लियामेंटरी डिक्शनरी के अनुसार सेशन उसी दिन से माना जायगा जब से आहूत किया गया। मैंने स्वयं अच्छे जूरिस्ट् को कन्सल्टस किया, मैं तो कोई विशेष ज्ञान नहीं रखता। आप भी बहुत अच्छे लाइयर हैं, आपके अनुसार और सब समझने वाले कानूनदाओं के अनुसार और पार्लियामेंटरी डिक्शनरी के अनुसार कोई और माने नहीं निकल सकते। मैंने तमाम अंग्रेजी जानने वालों को कन्सल्ट किया है, हो सकता है मैं अधिक न समझ पाता होऊं, लेकिन साफ दिया हुआ है कि जब रायल प्रोक्लेमेशन के द्वारा मीट करने के लिये समन हो गया, उसी दिन सेशन आरम्भ हो गया। और सिटिंग उस समय से आरम्भ होगी जब से सदन बैठेगा। एक सेशन में कई मीटिंग हो सकती हैं। हम मीट करते हैं २३ से। सब से महत्वपूर्ण बात है कि दोनों सदनों के लिये १६ का प्रोक्लेमेशन हुआ। राज्यपाल महोदय उसी वक्त कौंसिल को अलग से समन करते और असेम्बली को अलग से समन करते, यह नहीं हुआ। उस प्रोक्लेमेशन के अनुसार १६ से दोनों हाउस समन होते हैं। पांडेय जी और टम्बेश्वरीप्रसाद जी की बात तो बाद की है। विज्ञप्ति निकली यह तो आप बाद में निर्णय करेंगे, लेकिन संविधान में गवर्नर को यह अधिकार नहीं है, संविधान स्पष्ट है कि गवर्नर महोदय ने जो समन ईश्यू किया वह ज्वाइंटली किया, वह सेपेरेटली करते तब बात दूसरी थी। इस तरह से हम १६ तारीख से सेशन में हैं।

इसके अलावा मैं आर्टिकिल २१३ की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। गवर्नर महोदय की पावर है आर्डिनेंस निकालने की, गवर्नर की वही पावर्स हैं जो लेजिस्लेचर की हैं, लेकिन

[श्री नेकराम शर्मा]

३ रेस्ट्रिक्शंस गवर्नर पर हैं। आर्टिकल २१३ के (१) (२) (३) में यह है कि अव्वल तो अगर प्रीवियस परमिशन प्रेसीडेंट की किसी विषय में ले ली गई है तब हो सकता है.....

श्री अध्यक्ष—

आर्डिनेंस की बहस बाद में हो जायगी।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं यह कह रहा था कि आर्टिकल २१३ के अनुसार भी दोनों सदन सेशन में हों तो आर्डिनेंस नहीं आ सकता। हमारे यहां १६ को कौंसिल बैठ गई और आर्डिनेंस १७ को आया, जजमेंट निकला, कैबिनेट बैठ गई और आर्डिनेंस ईशू कर दिया गया। हाईकोर्ट की कन्टेम्ट हुई, यह बात तो अलग है, लेकिन सदन की, सरकार की और आपकी मर्यादा का यह प्रश्न बन गया है, सदन के आप अध्यक्ष हैं, इस से आप की मर्यादा का प्रश्न भी संबंधित है। गवर्नमेंट की मशीनरी असेम्बली विभाग, अध्यक्ष जी और यहां की सारी प्रोसीडिंग्ज पर हावी होती जा रही है।

गवर्नर ने जब समन कर लिया तो आपको ही अधिकार था, फिर गवर्नर को अधिकार नहीं था कि वह कैंसिल कर दें। आप बता दें कोई संविधान की धारा है जिसमें गवर्नर को अधिकार हो। ऐसा भारत में कहीं नहीं हुआ कि गवर्नर दोनों सदनों को बुलायें और एक सदन बैठ जाय और दूसरे सदन के लिये २३ तारीख को मीट करने के लिये आदेश निकाले जायं और वह आदेश भी यहां से न निकले, बल्कि श्री निगम, सेक्रेटरी टु गवर्नमेंट के दस्तखत से निकले हम आशा करते हैं इसकी रक्षा आपके हाथ में है। सेशन कब से आरम्भ हुआ ? जब से गवर्नर ने १६ तारीख से मीट करने को बुलाया। सिटिंग हो सकती है २३, २४ को, लेकिन सेशन तभी से माना जायगा जब से गवर्नर ने बुलाया हो। इसलिये आर्डिनेंस जो निकला वह इनवैलिड था वह जारी नहीं हो सकता था। इसको ध्यान में रख कर आप अपना फैसला देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

श्रीमन्, मुझे यही कहना है जैसा माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद १७४ में गवर्नर लेजिस्लेचर को बुलाते हैं। उन्होंने खुद पढ़ा कि उसमें क्या लिखा है। उसमें साफ है "The Governor shall from time to time summon the House or Houses of Legislature" इसमें दोनों के माने हैं, वह एक को बुलायें या दोनों को बुलाये। उनकी आपत्ति यह है कि चूंकि दोनों एक साथ बुलाये गये थे और उनमें यदि एक हो और दूसरा न हो इस लिये विधान की स्प्रिट को वायलेट किया गया है। मैं इस बात को नहीं मानता। जिस व्यक्ति को सेशन के समन करने का अधिकार है उसको विदड्राल और कैंसिलेशन का भी अधिकार होता है। आर्टिफिल १७४ में यह नहीं दिया हुआ है कि समन करने का क्या तरीका है, यह कहीं नहीं लेडाउन किया है। जो प्रदेश की विभिन्न विधान सभाओं और परिषदों के नियम हैं वह अलग अलग है। हमारे यहां की प्रक्रिया नियमावली के नियम ४ में दिया हुआ है कि "समय-समय पर सभा का आवाहन राज्यपाल द्वारा नियत समय और स्थान पर समवेत् होने के लिये किया जायेगा।" (२) उपनियम (१) के अन्तर्गत आवाहन-पत्र इस प्रकार नियत तिथि से साधारणतया चौदह दिन पूर्व सचिव द्वारा निर्गत किये जायेंगे परन्तु यदि सत्र अल्प सूचना पर या आपातिक रूप में बुलाया जाय तो प्रत्येक सदस्य को आवाह्न पत्र पृथक पृथक निर्गत करना आवश्यक न होगा किन्तु तिथि एवं स्थान का प्रख्यापन गजट तथा समाचार-पत्रों में प्रकाशित कर दिया जायेगा और सदस्यों को तार द्वारा सूचित किया जायेगा।" हमारे यहां नोटिफिकेशन का कोई कायदा नहीं है। एक चीज है, जिस समय आदेश अध्यक्ष के पास आवे कि इस तारीख को सेशन बुलाना है तो यह देखना है कि १४ दिन का समय होना चाहिये। गवर्नर महोदय ने एक आर्डर ईश्यू किया जिसके अन्तर्गत उन्होंने कहा कि १६ को असेम्बली बुलायी जानी चाहिये। प्रेस नोट की बात में मैं नहीं जाना चाहता। कोई नोटिफिकेशन प्रेस में नहीं हुआ कि १६

तारीख को असेम्बली बुलायी जायगी। यह आर्डर हुआ, ठीक है कि १६ को कौंसिल और असेम्बली बुलायी जायगी। लेकिन टेलीफोनिक यह सूचना मिल गई कि असेम्बली १६ को नहीं बुलायी जायगी, यह आदेश जारी न किये जायें और कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन नहीं इश्यू हुआ कि १६ तारीख को असेम्बली बुलायी जाने वाली है। मैं मानता हूं गवर्नर को अधिकार है कि वह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की ऐडवाइस पर डेट को बदल सकते हैं और उन्होंने बदली। उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन ईश्यू हुआ, जिसमें कहा गया कि २३ को असेम्बली हो। उस नोटिफिकेशन में पहले आदेश की चर्चा करने की किसी स्टेज पर बात नहीं उठती क्योंकि जब नोटीफिकेशन ईश्यू ही नहीं हुआ तो विदड्रा करने की बात ही नहीं उठती। लिहाजा यह आपत्ति करना कि इसमें कोई विधान की अवहेलना हुई है, मैं समझता हूं कि यह बात किसी तरह से भी दूर तक अपनी जगह फिट इन नहीं होती। नेकराम शर्मा जी का कहना है कि जिस डेट को सेशन समन कर दिया वही डेट मानी जानी चाहिये। इस संबंध में मैं वसु की कमेंटरी, वाल्यूम २ से जिसमें "सेशन" की डेफिनीशन दी हुई है, पढ़ देना चाहता हूं—

"Session" means the whose period, from the time when the assembly meets to the time when it is prorogued.

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि टेलीफोन से समाचार मिला। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नर महोदय ने मंत्री महोदय को सूचना दी या आपको सूचना दी।

श्री रामायणराय—

कैसे आपको ज्ञात हुआ, यह मैं भी जानना चाहता हूं।

श्री नवलकिशोर—

टेलीफोन पर आपत्ति है तो.....

श्री रामायणराय—

आपत्ति नहीं है। सिर्फ यह जानकारी करना चाहते हैं कि टेलीफोन से किस को सूचना दी गयी। माननीय मंत्री यह बयान किस आधार पर दे रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—

मैं बतला दूं कि यह जो सूचना आती है वह लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से आती है। (व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं यह जानना चाहता था कि टेलीफोन से जो सूचना आई वह आपको प्राप्त हुई या माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुई।

श्री बलवन्तसिंह (जिला कानपुर)—

यह कंटेम्प्ट आफ दी हाउस का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

पहले आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तो सुन लीजिये कि वह क्या कह रहे हैं ?

श्री रामायणराय—

इसमें एक वैधानिक प्रश्न उठ जाता है। सदन को बुलाने का अधिकार मान्यवर को है। इसलिये इस बात की सफाई हो जानी चाहिये, आया नवलकिशोर, गृह मंत्री जी को यह टेलीफोन मिला या राज्यपाल महोदय ने मान्यवर को टेलीफोन द्वारा यह सूचना दी कि १६ तारीख से असेम्बली न चलाई जाय।

श्री अध्यक्ष—

उन्हें बतलाने तो दीजिये कि वह क्या कह रहे हैं?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

हम तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपको टेलीफोन मिला या नहीं मिला?

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मेरा संबंध है मुझे टेलीफोन नहीं मिला।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

यह टेलिफोनिक सूचना कब माननीय नवलकिशोर जी को मिली? इसे वह बतला दें।

श्री अध्यक्ष—

गृह उपमंत्री टेलीफोन का जो जिक्र कर रहे थे वह बतला दें कि टेलीफोन से उनका क्या मतलब था?

श्री नवलकिशोर—

यह जो टेलीफोन की बात पर इतना शोर मचा, मैंने यह कहा कि गवर्नर के यहां से सूचना आई। वह इत्तला गवर्नमेंट के पास आई। लेजिस्टेटिव डिपार्टमेंट में वह आती है और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से आपके यहां आती है। उसका यही कायदा है। लेकिन यहां शोर मचा दिया गया और बात सुनी नहीं गयी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह गलतबयानी है। आपने अभी कहा था कि टेलीफोन से सूचना मिली। मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं।

श्री रामायणराय—

प्रोसीडिंग अभी पढ़ी जाय। यह विशेषाधिकार का हनन हुआ है। यह प्राइमा-फेसी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष—

ये सब बातें हमारे सामने हो रही हैं न?

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह से हिचकिचा रहे हैं। एक बात कह दिया तो मानिये सीधे-सीधे, नहीं तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उनके खिलाफ मैं प्रस्तुत करता हूं, यह हमारी नोटिस आप ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

हां, बिल्कुल ठीक है।

श्री नवलकिशोर—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि कोई नोटिफिकेशन इस तरह का ईश्यू नहीं हुआ कि १६ तारीख को असेम्बली बुलायी जाय। लिहाजा यह कहना कि कोई विज्ञप्ति छपी थी और उसको खारिज किया गया, गलत है।

श्री नेकराम शर्मा—

आपने कहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी फाइल पर ही मौजूद है और इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का प्रेस नोट भी प्रेस वालों के पास मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के सुन लीजिये। आपको अधिकार होगा जवाब देने का। माननीय केशरी प्रसाद जी, आपका मंशा मेरे से पूछने का यह था कि गवर्नर का कोई टेलीफोन मेरे पास आया या नहीं, तो वह मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई टेलीफोन नहीं आया।

श्री नवलकिशोर—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो विज्ञप्ति सबसे पहले छपी उसमें १६ तारीख की बात थी और उसके ऊपर आपके आफिस से जो नोटिसेज ईश्यू हुये....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं एक बात जानना चाहता था....

श्री अध्यक्ष—

माननीय रामसुन्दर जी, कायदा यह है कि जो महानुभाव बोल रहे हों अगर किसी के व्यवधान पर वे बैठ जायं, तो माननीय सदस्य कह सकते हैं। अगर वह ईल्ड नहीं करते तो आपको बीच में नहीं रोकना चाहिये। जब उनकी बात समाप्त हो जायगी, तब आप प्रश्न कर सकेंगे, बीच में नहीं।

श्री नवलकिशोर—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि न तो १६ तारीख को असेम्बली बुलाने का कोई नोटिफिकेशन हुआ, न आपके आफिस से कोई नोटिसेज मेम्बर साहबान को इस तरह के ईश्यू किये गये कि १६ तारीख को विधान सभा होगी। जो नोटिफिकेशन हुआ वह २३ तारीख का हुआ। जैसे मैंने कहा, नोटिफिकेशन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो आपके आफिस से जो नोटिसेज ईश्यू हुये। वह २३ तारीख के वास्ते ईश्यू हुये। १६ तारीख के बारे में किसी किस्म की कोई कार्यवाही किसी स्टेज पर नहीं हुई। लिहाजा जो २३ तारीख को बुलाने का आर्डर है गवर्नर का, वह बाई इम्प्लीकेशन सुपरसीड करता है उस आर्डर को जो पहले १६ तारीख का था। इसके अन्दर कोई चीज न अनकांस्टीट्यूशनल है और न नियमों का उल्लंघन ही है और चूंकि दोनों आर्डर, पहले १६ तारीख को और बाद को २३ तारीख को बुलाने के गवर्नर के हैं इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता, यही मेरा निवेदन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह जानना चाहता था कि जो पहले १६ तारीख को असेम्बली बुलाने का गवर्नर का आदेश था तो फिर उन्होंने क्या अध्यक्ष जी को कोई सूचना दी कि १६ तारीख को असेम्बली नहीं होगी ?

श्री अध्यक्ष—

आपने यह कहा कि २३ तारीख के लिये जब आदेश हुआ और २३ तारीख के लिये समन्स जारी हुये तो इम्पलाइडली उसका अर्थ यह हुआ कि यद्यपि उस आदेश के शब्दों में १६ तारीख के आदेश का निरसन नहीं हुआ, तो भी इम्पलाइडली हो गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं यह जानना चाहता था कि आपके कार्यालय में उस तारीख को मना करने की कोई सूचना गवर्नर के यहां से आयी थी ।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझसे बार-बार पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा ।

एक बात मैं बता दूं । १६ तारीख के लिये गवर्नर का आदेश हुआ कि असेम्बली बुलायी जाय, यह निर्विवाद मालूम देता है । इधर से जो कहा गया कि पहले १६ तरीख के लिये असेम्बली बुलायी गयी थी, इसको तो आप चैलेंज नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) सुन लीजिये । इस तरह से शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है । आप भी जानना चाहते हैं और हम भी कहना चाहते हैं लेकिन इस ऊधम से कौन-सा लाभ हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

जो हमारे यहां सूचना आई है उसे मैं सुना दूं ताकि शांति हो जाय । मेरे पास यह सूचना आई है—

दिनांक २९ अगस्त, १९६३ के उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में अवश्य प्रकाशित किया जाय ।

"भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के अधीन मिले अधिकारों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा को दिनांक १६ सितम्बर, १९६३ को साढ़े दस बजे दिन से विधान भवन, लखनऊ में १९६३ ई० के द्वितीय सत्र के लिये आहूत करते हैं ।"

फिर दूसरी विज्ञप्ति अलग है । विधान परिषद् के लिये अलग है, एक नहीं है ।"भारत के संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के अधीन मिले अधिकारों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को दिनांक १६ सितम्बर, १९६३ को ११ बजे दिन से विधान भवन, लखनऊ में १९६३ ई० के द्वितीय सत्र के लिये आहूत करते हैं ।"

तो एक जरा-सी बात जो माननीय नेकराम जी ने कही उसमें अन्तर यह है कि सूचनायें ज्वाइंट नहीं थीं बल्कि, अलग-अलग थीं । (व्यवधान) मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं । एक की संख्या है ५०९८/१७–३५२-६२, दिनांक २९ अगस्त, १९६३ और दूसरी की ५०९८(१)/१७—३५२– ६२ दिनांक २९ अगस्त, १९६३ । इसमें आप देखेंगे कि दोनों के लिये अलग-अलग विज्ञप्तियां हैं, आदेश हैं ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं डायरेक्टर आफ इंफार्मेशन और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से जो विज्ञप्तियां जारी की गईं, उनको पढ़ देना चाहता हूं जिससे सफाई हो जाय । एक तो १६ तारीख की यह है कि···।

श्री अध्यक्ष—

जब आप बहस करेंगे उस समय बताइयेगा। इस समय आप कृपया बैठ जाइये। मैं बहस नहीं कर रहा हूं बल्कि जो मेरे पास सूचना आई उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। बहस बाद में कीजियेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये।

*श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न सदन के सामने रखा है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। नेकराम जी ने जो तथ्य रखे और जवाब में नवलकिशोर जी ने जो उत्तर दिया और श्रीमन् ने तथ्य रखे उसमें दो बातें हैं। पहला प्रश्न यह है कि आया २९ अगस्त को राज्यपाल महोदय ने जो विज्ञप्ति निकाली कि १६ को सदन बैठेगा, यह ठीक है; उसका जवाब श्रीमन् ने दे दिया। वह विज्ञप्ति निर्विवाद है २९ अगस्त की जिसे १६ को राज्यपाल ने सदन आहूत करने के लिये निकाला है।

श्री अध्यक्ष—

विज्ञप्ति नहीं, आदेश।

श्री उग्रसेन—

इससे मेरा कथन और मजबूत हो गया।

श्री अध्यक्ष—

उसके बाद दूसरा आदेश २३ के लिये है।

श्री उग्रसेन—

नवलकिशोर जी तर्क देते हैं कि अगर २९ तारीख की विज्ञप्ति को महामहिम राज्यपाल ने खारिज नहीं की तो २३ तारीख को बुलाने के लिये १६ सितम्बर को जो असाधारण आदेश प्रकाशित हुआ उसके बाद पहला आदेश मर जाता है। यह सरकार का तर्क है। हम लोगों ने जो उठाया है उसमें तीन-चार शब्द हैं। एक तो है मीटिंग, दूसरा है सेशन, तीसरा है सिटिंग। क्या जो सत्र १६ से शुरू हुआ, उसमें सत्र कौन था, मीटिंग कौन थी और सिटिंग कौन थी। क्या यह जायज था कि जब सत्र हो .....

एक सदस्य—

माननीय वंशीधर पांडेय से हाउस के अन्दर एक बाहर के सज्जन बात कर रहे है... वह जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं विशेषाधिकार को भंग करते है। वह मेम्बर हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस अवधि के अन्दर सरकार को क्या अधिकार था कि अध्यादेश निकालती। मेरा निवेदन है कि यह महामहिम राज्यपाल ने जो १६ तारीख को आदेश दिया, वह आदेश है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार ने महामहिम को जानबूझ कर फांसने के लिये १६ की विज्ञप्ति निकलवा दी । २३ को बैठने के लिये १६ तारीख के असाधारण गजट में निकलवाने के लिये सरकार ने महामहिम राज्यपाल को राय दी। आप कहेंगे कि महामहिम राज्यपाल के आचरण पर हम बहस नहीं कर सकते । अब मैं सर्कम्स्टैंशल एविडेंस क्या है उस पर आऊंगा । आप क्रिमिनल ला के जानकार हैं। मैं तो कानून पढ़ा नहीं हूं लेकिन इतना जानता हूं कि बड़े-बड़े मुकदमें जो सुप्रीम कोर्ट में है। वातावरण से कैसे सिद्ध हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या सिद्ध कर रहे हैं?

श्री उग्रसेन—

मैं आबहवा का जिक्र कर रहा हूं। जिस आबहवा में माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने महामहिम को राय दी कि एक और विज्ञप्ति निकाल दो। लाजिक में दो तरीके होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। मुख्य मंत्री यह भी राय दे सकते थे कि आप पहली नोटिस को कैंसिल करें और दूसरी नोटिस निकालें। इंग्लैन्ड के कांस्टीट्यूशन में कहा गया है कि बादशाह मर गया, बादशाह जिन्दाबाद। मगर मुख्य मंत्री ने कहा क्योंकि मुख्य मंत्री को डर था कि महामहिम राज्यपाल पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, मुख्य मंत्री रह चुके हैं, सब जानते हैं, अगर यह बात कहेंगे तो भड़क जायेंगे इसलिये कह दिया कि आप विज्ञप्ति निकाल दीजिये और उससे साफ जाहिर है कि सरकार चाहती थी कि जो गलती है उसको महामहिम को बीच में लाकर ठीक करे। इसी बीच में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक फैसला दिया, जो पहले से रिट पेंडिंग थी उसके ऊपर, और उसमें यह कहा कि हम और कुछ मानें या न मानें, माननीय विचित्र नारायण जी, आप भी सुनिये क्योंकि सारी खुराफात आपकी जड़ से है; जजों ने यह कहा कि यह हम नहीं मान सकते। जिला परिषदों में जब दोनों तरफ के घोड़े छूटे हुये थे, विरोधी पक्ष के भी और सरकारी पक्ष के भी उम्मीदवार खड़े थे, तो किसी एक पक्ष के उम्मीदवार को नामजद कर देना यह जनतंत्र की हत्या है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, आप विषय पर आ जाइये ।

श्री उग्रसेन—

मैं विषय पर ही आ रहा हूं। अब हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया । सारे उत्तर प्रदेश में एक महीने के अन्दर चुनाव कराना है और (व्यवधान).... मैं आबोहवा का जिक्र कर रहा हूं, यह पहले ही कह दिया । प्रश्न केवल यह है कि १६ को जो आदेश हुआ तो माननीय गुप्ता जी के सामने एक चीन की दीवार खड़ी हो गई कि जजों के इस फैसले का मुकाबिला कैसे करें। दूसरा इनके पास कोई चारा नहीं था । इनके नामजद अध्यक्ष, श्रीमन्, खुद आप जानते हैं फैजाबाद में ही उलट जाते और सभी जगह उलट जाते, इसलिये इन्होंने दूसरी विज्ञप्ति फिर निकलवा दी । लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि पहला आदेश अगर वापस नहीं हुआ तो असेम्बली का सत्र उस समय से बिल्कुल चालू है।

दूसरा तर्क हमारा यह है, माननीय नवलकिशोर जी कहते हैं कि पहला आदेश अवैध हो गया जब २३ को आहूत करने के लिये दूसरा आदेश जारी हो गया । श्रीमन्, मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में भी एक जगह लिखा है, मैंने उसमे से नोट किया है। सेशन क्या है? सेशन,

सत्र। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस, सोलहवें एडीशन के २७८ पृष्ठ पर पढ़िये, सेशन या सत्र कहते हैं उस अवधि को, जो अवधि सदन के भंग होने पर या सत्रावसान होने पर और फिर सदन के खुलने के बीच में हो । तो अवधि प्रारम्भ हो गई, सत्र प्रारम्भ हो गया और अधिवेशन चालू हो गया । अधिवेशन से मतलब मीटिंग से है। मीटिंग शब्द विदेश की पार्लियामेंट में और सब जगह आया है। तो मीटिंग या अधिवेशन प्रारम्भ हो गया। एक चीज जो नहीं शुरू हुई, वह है सिटिंग । सिटिंग नहीं शुरू हुई। अब प्रश्न यह उठता है कि जब सत्र प्रारम्भ हो गया और अधिवेशन महामहिम राज्यपाल की विज्ञप्ति से चालू हो गया तो असेम्बली इन सेशन हो गई। असेम्बली इन सेशन का मतलब होता है, जैसे लोक सभा अगर सत्र में हो तो उसको अधिवेशन कहते हैं। अधिवेशन शुरू हो गया इसलिये सत्र चालू हो गया । तो दो तथ्य हमारे पक्ष में है और एक तथ्य उनके पक्ष में है । हमारे पक्ष में अधिवेशन चालू हो गया, सत्र चालू हो गया और माननीय नवलकिशोर जी के पक्ष में सिटिंग नहीं शुरू हुई। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सदन अधिवेशन में हो, जब सदन सत्र में हो, अधिवेशन आहूत हो, तो क्यों सारी जनतंत्रीय पद्धतियां, सारी नैतिकता, सारी संसदीय परम्पराओं की हत्या करके महामहिम को राय दी कि वह अध्यादेश निकालें ? इसका क्या जवाब है ? और फिर यह कहना चाहता हूं कि सरकार एक भी ऐसा उदाहरण इंगलैण्ड की पार्लियामेंट का, अमेरिका के हाउस आफ रिप्रिजेंटेटिव्ज का, जापान की डाइस का या बर्मा की पार्लियामेंट का दिखा दें, कहीं की एक भी रूलिंग दिखा दे कि जहाँ अधिवेशन चालू हो गया हो, सत्र चालू हो गया हो और बैठक न हो रही हो, इस तरह से आर्डिनेंस निकाला गया हो और वह भी उसकी कोई इमर्जेन्सी नहीं थी। इस अध्यादेश की जल्दबाजी क्या थी कि महामहिम को इस टूटी हुई नाव में चढ़ा दिया ?

श्री अध्यक्ष---

यह आप दूसरी बात कह रहे हैं। जो वास्तविक प्रश्न है उस पर आ जाइए।

श्री उग्रसेन---

तो सरकार एक भी ऐसी व्यवस्था विदेश की, किसी भी पार्लियामेंट की कौंसिल की या हाउस आफ रेप्रेजेंटेटिव्ज की दिखा दे, आपको सन्तुष्ट कर दें, आदरणीय सदन को संतुष्ट कर दें, कि महामान्य राज्यपाल को गलत राय नहीं दी गयी। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो यह अध्यादेश जारी करने के लिए महामान्य राज्यपाल से सदन को आहूत करने के लिये १६ के बजाय २३ का दूसरा आदेश जारी करवा लिया, वह अनुचित था, बिलकुल जनतांत्रिक प्रणाली का हनन करने वाला था और इसे नहीं होना चाहिए था ।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय उग्रसेन जी जब बोल रहे थे तो, श्रीमन्, वह इतनी गर्मी और जोर से बोल रहे थे कि कन्सीटुयुशनल प्वाइंट पर सुनने वाले को ऐसा आभास हो रहा था कि सचमुच कोई बड़ी कान्टीट्यूशनल क्रासिस हमारी स्टेट में आ गयी है। श्रीमन्, इस सदन के आदरणीय साथी चाहे जितने जोर शोर से इस प्वाइंट को ले आयें, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि अगर वे लोग ठंढे दिल से सोंचे और कांस्टीटेयूशन की तरफ नजर डालने का प्रयास करें तो वे देखेंगे कि १६ से २३ तारीख का जो कन्फलिक्ट आ गया है उसमें न तो कोई प्वाइंट आफ आर्डर का क्वैश्चन इन्वाल्व होता है और न कोई प्रिविलेज का क्वैश्चन इनवाल्व होता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---

इस वक्त प्रिविलेज के क्वैश्चन की बात नहीं है ।

श्री कृष्णानन्दराय---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि थोड़ी देर के लिये अगर बहस के लिए यह भी मान लिया जाय कि १६ तारीख को आहूत किया गया सत्र २३ तारीख को पुनः बुलाया गया और १६ तारीख का आदेश निरस्त हुआ या नहीं तो यह प्रश्न प्वाइंट आफ आर्डर के लिए रैलेवेन्ट नहीं हो सकता । इसलिए प्वाइंट आफ आर्डर हम केवल उन प्रश्नों पर उठा सकते हैं जो हमारी सदन की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित हैं जिनके ऊपर नियम बन चुके हैं और जिनके आधार पर सदन स्वयं अधिकारी है उन नियमों के प्रचलित करने का, उन्हीं के बारे में वैधानिक आपत्ति उठाई जा सकती है । श्रीमन्, यह जो हाउस की सिटिंग या हाउस का सेशन बुलाने का प्रश्न है वह श्रीमन् के अधिकार में नहीं है, बल्कि कान्स्टीट्यूशनल राइट गवर्नर का है । गवर्नर इस हाउस की सिटिंग या सेशन को कब बुलावे, यह पूर्णरूप से उनका वैधानिक अधिकार है । इस पर भी इस सदन को कोई कान्स्टीट्यूशनल राइट नहीं है कि हम उस पर विवाद कर सकें । प्रिविलेज के बारे में श्रीमन् कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकिल १९४ देखने की कोशिश करें । उसमें भी इस सदन के प्रिविलेज का कोई क्वैश्चन नहीं उठता है । तो न तो इस पर कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया जा सकता है, न कोई प्रिविलेज का क्वैश्चन ही उठाया जा सकता है और न कन्टैम्प्ट का कोई क्वैश्चन आ सकता है ।

श्री दीपनारायणसिंह---

श्रीमन्, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

अगर वह ईल्ड नहीं करते हैं तो फिर, प्वाइंट आफ आर्डर, जब वह बोल चुकें तब आप पूछ लीजियेगा ।

(श्री कृष्णानन्दराय के बैठ जाने पर)

श्री दीपनारायण सिंह---

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि राज्यपाल महोदय सदन को जब आहूत करते हैं तो सदन को आहूत किये जाने के आदेश को रद्द किये जाने के बाद हम यह जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपना पहला आदेश कैसे व कब वापिस ले लिया ? मैं यह जानना चाहूंगा आपसे भी और कृष्णानन्द राय जी से भी कि सदन अगर सही तरीके से १६ सितम्बर को आहूत हुआ और उसके बाद २३ तारीख को बैठा तो ७ दिन की उसकी कार्यवाही में रुकावट पड़ी या नहीं और यही मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करता हूं कि सदन के ७ दिनों के कामों में रुकावट पड़ी और जिसके द्वारा रुकावट पड़ी, वह दंडनीय है ।

श्री अध्यक्ष---

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

अब हम उठेंगे । इसके पूर्व मैं यह सोच रहा था कि इस बहस को कल खत्म किया जाय क्योंकि अब मैं २ बजे से नहीं आ सकूंगा, तो कल के लिये अगर आप राजी हो जायं तो अच्छा है ।

कुछ सदस्य---

ठीक है । आपके सामने ही यह बहस हो तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है। यह बहस कल होगी।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

परीक्षाओं में असफल हरिजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां बन्द हो जाने के संबंध में वक्तव्य

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे एक प्रश्न करना था और वह यह कि २३ तारीख को, जहां तक मैं समझता हूं, हम पांच माननीय सदस्यों ने नियम ५२ में एक सूचना दी थी। उसमें एक मैं था, एक माननीय भीखालाल जी थे, माननीय सुरजनराम जी थे . . .

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

अभी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं हो सकता जब तक कि इस बारे में कोई चीज आप के सामने न आ जाय। अभी तो वक्तव्य ही नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

वक्तव्य देने के लिये आदेश हुआ है, इसलिये शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

श्री श्यामलाल---

क्या इस पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

उस समय, श्रीमन्, मैं अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में था। जिस समय इस पर आदेश हुए थे और उस समय उन्होंने कहा था कि वक्तव्य वे देंगे, लेकिन अगर क्लैरिफिकेशन के लिये सवाल होंगे तो मेरा अधिकार है, मैं उसके लिये इजाजत दे दूंगा। तो खास सवालों को आप पूछने की इजाजत दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर आदेश है यह : ओनली फार स्टेटमेंट। तो इसमें अगर आप एक आध सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं।

*समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मंत्री के नाम से लिख दिया गया है लेकिन यह वक्तव्य मेरे विभाग से संबंधित है इसलिये मुझे आज्ञा दी जाय कि मैं इस पर वक्तव्य दूं।

श्री उपाध्यक्ष---

जरूर, आप ही वक्तव्य दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

श्रीमन्, दसवें दर्जे से ऊपर समस्त हरिजन छात्रों को भारत सरकार का वजीफा मिलता है। इस वजीफे के साथ ही फीस का रुपया भी उनको दिया जाता है। प्रिंसिपलों को इस प्रकार के आदेश हैं कि उनका रुपया जब वे खजाने से निकालें तो फीस का रुपया लेने के बाद वजीफे का रुपया हरिजन छात्रों को दे दें। भारत सरकार के वजीफे के नियम के अनुसार फेल होने वाले विद्यार्थियों को वजीफा नहीं मिलता। और उसके साथ ही फीस का रुपया भी नहीं मिलता। लेकिन पिछले दो सालों में राज्य सरकार ने उन हरिजन विद्यार्थियों को जो केवल पहली बार कुछ ही नम्बरों से फेल हुए थे सिर्फ फीस का रुपया विभागीय बजट की बचत से दे दिया था। इस वर्ष संकटकालीन स्थिति के कारण बजट कम कर दिया गया है। इसलिये बचत की कोई आशा दिखलाई नहीं देती। यदि इस सुविधा को इस वर्ष भी जारी रखा जाय तो अनुमान है कि लगभग ४ लाख रुपये की जरूरत होगी। इन रुपयों के सप्लीमेंटरी ग्रांट से भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिये हरिजन विद्यार्थियों को यह सुविधा इस वर्ष नहीं दी जा सकी। इस संबंध में जारी किये गये आदेश से एक भ्रम भी पैदा हो गया है। कुछ जिलों में इसका मतलब यह लगाया गया है कि दसवें दर्जे से नीचे भी यह सुविधा इस साल नहीं मिलेगी, लेकिन गलत है। एक दूसरे आदेश के जरिये यह सफाई कर दी गयी है और अब आशा की जाती है कि दसवें दर्जे से नीचे इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं पैदा होगी। हरिजन विद्यार्थियों की इन कठिनाइयों पर मैं स्वयं भी विचार कर रहा हूं और इस नियम ५२ के नोटिस से पहले कई माननीय सदस्यों ने एक प्रार्थना-पत्र मेरे पास भेजा है जिस पर कि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा हूं।

श्री श्यामलाल---

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने साफ-साफ अपने वक्तव्य में कह दिया कि दसवीं कक्षा के नीचे के जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं उनसे फीस नहीं ली जायगी, लेकिन अब तक जिन विद्यार्थियों से फीस ले ली गयी है और जिन्होंने थाली-लोटा बेंच कर दिया है, क्या उनसे वह लौटवा देने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

हमारे यहां से इसका क्लैरिफिकेशन भेज दिया गया है और अगर्चे कोई विद्यार्थी ऐसा बतावेंगे कि उन्होंने फीस दी है और वह फिर वापस न करें, तो मैं जरूर वापस कराने की कोशिश करूंगा।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जबतक गवर्नमेंट का यह आदेश नहीं गया था उस समय तक विद्यार्थियों से फीस नहीं ली गयी थी इस आशा पर कि जैसा कि गत वर्षों में उनकी फीस माफ हो गयी थी, इस वर्ष में भी हो जायगी और प्रादेशिक सरकार उसके लिए फंड देगी, लेकिन अब ३-३ महीने की एकदम से फीस मांगी जा रही है। वह विद्यार्थी जो नाम लिखा चुके हैं प्राइवेट अपीयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टी० सी० लेने के लिए उन्हें ६ महीने की फीस देनी होगी। तो जो कुछ सदस्यों के प्रार्थना-पत्र हैं जिस पर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, उस पर क्या जल्दी निर्णय ले सकेंगे ताकि जो विद्यार्थियों के सामने कठिनाई है वह दूर हो सके ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव---

मैंने अपने वक्तव्य में बता दिया है कि दसवें दर्जे के नीचे के विद्यार्थियों का प्रश्न पैदा नहीं होता। जो ऊपर के हैं उनके एक एक व्यक्तिगत केस पर विचार किया जा सकता है। दूसरे

यह कि बचत का रुपया जितना हुआ उसमें से मैंने दे दिया। अब अगर कोई ऐसे लड़के हैं जिनको कोई कठिनाई है, तो माननीय सदस्य मुझे बतायें, मैं अपने डिस्क्रीशनरी फंड से उनकी मदद कर सकता हूं। लेकिन कोई जनरल नियम नहीं बन सकता। आप उन केसेज को मुझे बतायें, जिस किसी फंड से भी उनको सहायता की जा सकेगी, करने की कोशिश करूंगा। इसके लिये हर एक केस को कंसीडर करना पड़ेगा। हम हर तरह की कोशिश करेंगे कि उनकी पढ़ाई जारी रखी जा सके, मगर कोई रूल नहीं बना सकते।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, पहले भी फेल्योर्स की फीस माफ होती रही है। तो अब कौन-सी परिस्थिति आ गयी जिसके कारण नया सर्कुलर निकाल कर इसे बन्द कर देना पड़ा ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

नियम तो इसके लिये पहले से ही भारतीय सरकार का था, मगर अब तक उसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा था। कोई लड़का अगर २-४ नम्बरों से फेल हो जाता था तो उसकी फीस माफ कर दी जाती थी। बात यह थी कि जो रुपया बचा था, उसको बजाय बचाकर रखने के हमने यह किया था कि इन लोगों को उससे मदद कर दी थी। नियम तो पहले से ही था।

श्री सुरजन राम 'विशारद' (जिला आजमगढ़)--

यह देखते हुये कि पूर्वी जिलों के हरिजन बहुत गरीब हैं और वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ कर बैठ जाते हैं क्योंकि वे ७-८ रुपया महीना फीस का नहीं दे सकते। उसके लिये क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश जारी करेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जायं क्योंकि जो किताबें जिला बोर्ड तथा सरकार द्वारा उनको दी जाती हैं वे भी अभी तक नहीं दी गयी हैं। १,२०० रुपया आजमगढ़ जिले से जो रिफंड हुआ, क्या उसे इस मद में खर्च करके उनको और सहूलियतें दी जायेंगी ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

जो लड़के फेल हो जाते रहे, उनको भी अब तक हम मदद करते रहे क्योंकि उस नियम का स्ट्रिक्टली पालन नहीं किया गया, अब उस पर अमल करने की कोशिश की गयी है। वैसे तो हर अधिकारी का यह फर्ज है ही कि वह इनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दे। अब अगर कहीं कोई खास असुविधा हो तो माननीय सदस्य उसको मेरी जानकारी में लायें, मैं उसको दूर करने के लिये आदेश जारी करूंगा। जो लड़के यह मांग करते हैं कि उनके पास पढ़ने के लिये पैसा नहीं है, उनको मैं अपने डिस्क्रीशनरी फंड से रुपया देकर उनकी सहायता करता ही हूं। कहीं कोई दिक्कत हो तो माननीय सदस्य मुझे बतायें, मैं उनके हुक्म की तामील करूंगा।

श्री श्यामलाल--

जिन प्रिंसपलों और हेडमास्टरों ने जानबूझ कर विद्यार्थियों को परेशान करने के लिये दसवें क्लास के नीचे के विद्यार्थियों से भी फीस, सरकारी सर्कुलर के उल्लंघन में वसूल की है उनके विरुद्ध गवर्नमेंट ने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यह महसूस किया गया कि मुमकिन है यह गलतफहमी हो गई हो और हमने सर्कुलर जारी कर दिया।

कतिपय विधेयकों पर विचारार्थ कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी २४ सितम्बर, १९६३ को बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित कार्यों व विधेयकों पर विचार तथा उनके पारण के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित किया जाय:

(१) उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२५ सितम्बर, १९६३ को २ घंटे।

(२) कांस्टीट्यूशन (सिक्सटींथ) अमेंडमेंट बिल, १९६३, द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थन का संकल्प—२५ सितम्बर, १९६३, को आधा घंटा।

(३) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२५ सितम्बर, १९६३ को एक घंटा।

(४) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ उत्तर प्रदेश, श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, के अननुमोदन के संकल्प—२६ सितम्बर, १९६३।

(५) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२७ सितम्बर, १९६३ को सायंकाल ५ बजे तक।

(६) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२७ सितम्बर, १९६३, को आधा घंटा।

(७) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा परित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२७ सितम्बर, १९६३, को एक घंटा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

३० सितम्बर के लिये क्या प्रोग्राम है?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो बाढ़ और बढ़ी हुई कीमतों पर है। वह इसमें नहीं है।

कतिपय विधेयकों पर विचारार्थ कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण के संबंध में संकल्प

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित कार्यों और विधेयकों पर विचार तथा उनके पारण के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है:—

(१) उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी (एकोमोडेशन) रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२५ सितम्बर, १९६३, को दो घंटे।

(२) कांस्टीट्यूशन (सिक्सटीन्थ) अमेंडमेंट बिल, १९६३, द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थन का संकल्प—२५ सितम्बर, १९६३ को आधा घंटा।

(३) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२५ सितम्बर, १९६३, को एक घंटा।

(४) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ के अननुमोदन के संकल्प—२६ सितम्बर, १९६३।

(५) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२७ सितम्बर, १९६३ को सांयकाल ५ बजे तक।

६—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२७ सितम्बर, १९६३ को आधा घंटा।

७—उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२७ सितम्बर, १९६३, को एक घंटा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन निम्नलिखित कार्यों और विधेयकों पर विचार तथा उनके पारण के लिये कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है :—

(१) उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२५ सितम्बर, १९६३ को २ घंटे।

(२) कांस्टीट्यूशन (सिक्सटीन्थ) अमेंडमेंट बिल, १९६३, द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के अनुसमर्थन का संकल्प—२५ सितम्बर, १९६३ को आधा घंटा।

(३) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण २५ सितम्बर, १९६३ को एक घंटा।

(४) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) अध्यादेश, १९६३, उत्तर प्रवेश मुस्लिम वक्फ़ संशोधन अध्यादेश, १९६३ तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६३ के अनुमोदन के संकल्प—२६ सितम्बर, १९६३।

(५) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२७ सितम्बर, १९६३ को सांयकाल ५ बजे तक।

(६) उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२७ सितम्बर, १९६३ को आधा घंटा।

[श्री उपाध्यक्ष]

(७) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश द्वारा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार व उसका पारण—२७ सितम्बर, १९६३, को एक घंटा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ (क्रमागत)††

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो तथा जो अपना प्रतिवेदन १ मास के अन्दर प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं आप के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो मूल अधिनियम है उसके उद्देश्य और कारणों में और जो संशोधन पेश किया गया है उसके उद्देश्य और कारणों में भिन्नता ही नहीं, कोई मेल ही नहीं है। दोनों का अर्थ ही अलग-अलग है। जब यह कानून पहले पहल लाया गया था उस समय उसके उद्देश्य और कारणों में यह लिखा गया था कि इस प्रदेश में रिफ्यूजियों की तादाद बहुत बढ़ गयी है, उनको एकोमोडेशन देने का सवाल है, इसलिये यह ऐक्ट बनाया जा रहा है। आज उस बात से न तो इनकार किया जा रहा है और न इकरार ही।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन के कारण तो बताये गये हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

लेकिन यह संशोधन विधेयक किसी कानून के उद्देश्य और कारणों को तो बदल नहीं सकता। कानूनी दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि प्रिएम्बिल कानून का भाग नहीं होता लेकिन सरकार उद्देश्य और कारणों में बदलाव नहीं कर सकती। अगर उस बिल के प्रिएम्बिल में पब्लिक परपज भी लिखा होता तो भी काम चल जाता और यह बिल आ सकता था। माननीय मंत्री जी जरा इस बात पर प्रकाश डालें। इस विधेयक को देखकर तो ऐसा मालूम होता है कि यह अलहदा से ही पेश किया गया है। अगर माननीय मंत्री जो उस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अतिरिक्त दूसरा ही विधेयक पेश करना चाहते थे तो पूरा विधेयक दूसरी प्रकार से पेश करते। उसके पास हो जाने के बाद यह अपने आप निरस्त हो जाता, इसको अवधि बढ़ाने की कोई आवश्यकता ही न होती।

जहां तक अवधि बढ़ाने की बात है, इसमें संशोधन किया जा रहा है कि इसको अवधि ६ साल के लिये बढ़ा दी जाय। उद्देश्य और कारणों को बदल कर आप लोगों को आंखों में धूल डालना चाहते हैं। आप यह कर भी सकते हैं, लकिन मैं आप का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे प्रदेश की जनता में एक ओर भ्रम पैदा होगा और इस सरकार के प्रति विश्वास में जो दिन प्रति दिन ह्रास होता जा रहा है, उसमें यह एक और कड़ी जोड़ देगा।

---

†२३ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

††२४ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही से।

माननीय मंत्री जी और सरकारी पक्ष के लोग कहते हैं कि विरोधी दल के लोग उनको नेक सलाह नहीं देते, तो मैं तो उनको नेक सलाह देता हूं, पता नहीं वे उस पर अमल करेंगे या नहीं, यह तो उनके भाषण देने पर ही मालूम होगा। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इस पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि कल माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि चाहे विचार भले ही भिन्न भिन्न हों, लेकिन देश की आपातकालीन स्थिति में उसकी आवश्यकता के अनुसार इस विधेयक के टर्म को बढ़ाना आवश्यक है। मैंने यह माना, तो आप उसके उद्देश्य और कारणों में इसको भी लिखते कि आपातकालीन स्थिति के कारण यह संशोधन किया जा रहा है और इस विधेयक की अवधि बढ़ायी जा रही है और अगर संशोधन लाने की आवश्यकता उसके कारण प्रतीत हुयी तो इसमें क्लीयर मैंशन होना चाहिये था। फिर एक निवेदन यह भी है कि इन बातों का जिनका जिक्र मैंने किया—आप अच्छी तरह से उनके प्रभाव को भी समझ कर यह संशोधन लाने की आवश्यकता प्रतीत करें तो बड़ी कृपा होगी।

श्रीमन्, आज हालत यह है कि जिले के अधिकारी वर्ग ने जिस मकान वाले को समझा कि यह मकान मालिक जरा कुछ हमारी कृपा का पात्र हो सकता है—वे चाहे तकलीफ दें, तो भी मैं उनकी कृपा ही मानता हूं क्योंकि आराम तो वे देने से रहे, लेकिन वे एक नोटिस भी भेज दें तो मैं उनकी कृपा ही मानता हूं। जब सरकारी अधिकारियों की बड़ी कृपा होती है तभी किसी के पास नोटिस, समन या चिट्ठी पहुंचा करती है, चाहे वह उसके हक में हो या उसके खिलाफ हो। जब बड़ी कृपा होती है तभी किसी मकान पर अधिकारी की निगाह पड़ती है और फिर उसका संदेशा मकान मालिक के पास पहुंच जाता है कि देखो—तुम्हारा मकान सरकारी कब्जे में जाने वाला है। फिर वहीं से एक सलामी शुरू होगी, फिर अधिकारी की निगाह दूसरे मकान मालिक पर जायगी फिर वहां सलामी शुरू होगी तो तीसरे पर निगाहें जायंगी और वहां से सलामी शुरू होगी तो चौथे पर निगाह जायेगी। यह छूत की बीमारी बढ़ती जाती है और यही नहीं कि महज इतना हो, लोगों को तंग करने की दृष्टि से यह भी नहीं है कि जिनका मकान लिया जायगा उनको रहने के लिये दूसरी एकोमोडेशन प्रोवाइड की जायगी, बावजूद इसके कि उनको रहने के लिये कोई दूसरा मकान नहीं है। इस तरह की बातों को बिना ध्यान में रखे अधिकारी वर्ग जोर ज्यादती करते हैं खास कर अरबन एरिया की जनता के साथ। वह भी किसके नाम पर ? जो जनसेवक हैं उनके नाम पर। जनसेवक को रहने के लिये अट्टालिका चाहिये और जिसने वह अट्टालिका बनवायी उसके लिये झोपड़ी चाहिये, वह सड़क पर घूमे और अट्टालिका में रहेंगे जनसेवक। हमारे देहातों में भोजपुरी में एक कहावत है—"गोसयां भूइयां, कुकुर पोरवटीं"। जिनको राजा कहा जाता है वे राजा तो घर के बाहर कर दिये जायेंगे और नौकर जो है वह घर में मकान मालिक बन कर बैठ जायेगा।

मैंने माना कि उनको भी जगह देने की आवश्यकता है। सरकारी दफ्तरों के लिये जगह होना आवश्यक है तो क्यों नहीं सरकारी दफ्तरों के लिये उनके मकान लिये जाते जिनके पास एक नहीं अनेकों मकान हैं और जो सन् १९४७ के बाद वाले पूंजीपति हैं। सन् १९४७ के पहले वाले पूंजीपति दूसरे थे, बाद वाले जो पूंजीपति हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के शब्दों में वह करोड़पति हो गये हैं, उन्होंने जो मकान बनाये हैं उनसे क्यों नहीं कहते कि तुम मकान दो। इसके अलावा उनके मकानों का या दूसरे लोगों के मकानों का जो रिक्वीजिशन किया जाता है उनमें अधिकारियों के प्रेशर के कारण अन्तर कर दिया जाता है और अरबन क्षेत्र का कोई भी आदमी जिले के उन अधिकारियों से जिन के हाथ में ऐक्ट को एग्जिक्यूट करने का अधिकार है उनसे कोई कभी भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता चाहे उन के कोई भी अधिकार छीने जाते हों क्योंकि वह समझते हैं कि अगर उनकी मर्जी के खिलाफ बात की तो हमारा मकान ही चला जायगा। इस तरह से बड़ी ज्यादती हो रही है।

मैं बहुत सी बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता था। इस ऐक्ट के बारे में भी मैं कहना चाहता था कि इसमें कहां कहां खामियां हैं, मैं अधिक उसकी तह में नहीं जाऊंगा, २ घंटे का

[श्री कल्पनार्थसिंह]

हीं समय है मंत्री जी और अन्य माननीय सदस्य बोलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी तरफ मैं खामख्वाह मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा जिस कारण मुझे हार्दिक कष्ट है। मैं यह जरूर कहूंगा कि वह इस तरफ जरूर गौर करें, बहुत ही अंधेर हो रहा है। इस राज्य में इस ऐक्ट के माध्यम से, बहुत ही इस ऐक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और उससे बचने के लिये या तो मंत्री जी इस को यहीं संशोधित करें या प्रवर समिति का सुझाव इसके सम्बन्ध में मान लें। इस से मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह से इस ऐक्ट की पूरी शब्दावली और धाराओं पर विचार हो सकेगा और बाद में एक सुन्दर रूप में यह बिल सदन के सामने आ सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पक्ष में अपना मत प्रदान करें कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजा जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, साथी कल्पनार्थसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप इस संशोधन विधेयक के उद्देश्यों को देखने की कृपा करें। इस में कहा गया है कि यू० पी० टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, की अवधि ३० सितम्बर, १९६३ को समाप्त होने वाली है इसलिये यह विधेयक लाया गया है। आगे जाने के पहले मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बिल को लाने का प्रथमतः सन् १९४७ में उद्देश्य यह था कि अपने सूबे में जो आवास की कठिन समस्या है उसका समाधान किया जाय और इसको समाप्ति के पहले ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि अपने सूबे के लोगों को चाहे वह बाहर से आये हुये हों या यहीं के हों उनको आवास समस्या समाप्त हो जाय। इस बिल का यह मतलब हरगिज नहीं था कि इस बिल के द्वारा हम इस सूबे में जब तक सरकार अपने निकम्मेपन से सूबे की आवास व्यवस्था को हल न कर सके तब तक इसको जारी रखे और इसका समय बढ़ाते रहे। मैं स्पष्ट कहूंगा कि यह सरकार को सब से बड़ी नालायकी है और दुनिया के किसी देश के इतिहास में आप ऐसी चीज नहीं पायेंगे कि १६ साल के बाद भी सरकार आवास की समस्या हल न कर सकी हो। आवास, खाना, दवादारू, शिक्षा आदि की समस्यायें ऐसी हैं जो मनुष्य के जीवन के लिये हैं। अगर इनमें से कोई भी समस्या अछूती है तो सरकार का काम खराब माना जायगा। सचिवालय के कर्मचारियों को तो छूट है, वह सरकार से रुपया लेकर मकान बनवाये और उनको ऊंचे किराये पर उठाये हैं तथा खुद सस्ते किराये के मकानों में रह रहे हैं। इसका सरकार के पास क्या जवाब है कि लाखों की तादाद में लोग आज भी सड़कों पर सोते हैं। देहातों की हालत तो और भी खराब है। एक ही झोपड़ी में सारा परिवार रहता है, जानवर भी उसी में रहते हैं।

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बिल का ताल्लुक तो इससे है कि जो मकान सरकार लेती है उसको किस तरह से छोड़ा जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी आप रहने दें। मैं माननीय सदस्य को जवाब दे दूंगा। वह जरा अपने दिमाग का विस्तार करें। जब वह दूसरी कुर्सी पर बैठते थे तो कुछ और कहते थे, लेकिन आज उस कुर्सी पर बैठ कर दूसरी बोली बोल रहे हैं। इस विधेयक को सरकार कब तक रखना चाहती है इसका कोई दायरा नहीं है। अगर मंत्री जी कह दें कि १९६९ के बाद इसको नहीं बढ़ायेंगे तो हम समर्थन करेंगे और अगर समस्याओं का समाधान करने का इरादा नहीं

है तो हम समर्थन नहीं कर सकते। जो मंत्री चुनाव में हार गये उनको आप मकान से नहीं निकाल सके।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मुझे ध्यान है। दो तरह के लोग हैं जिनको बड़ा मकान मिला है वह उसको छोड़ कर छोटे में जाने के लिये तैयार नहीं हैं। दूसरे ऐसे हैं जिनके पास मकान हैं, दूसरे मकान में भी वह अपने मकानों को किराये पर दे कर जबरदस्ती दूसरे के मकान में रहना चाहते हैं, डी० एम० ओ० और डी० एम० को ठीक कर लें। एक बलिया का उदाहरण दूं। एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके कई मकान वहां हैं उनके एक मकान में एक आदमी ने छोटी सी साइकिल की दुकान खोल रखी थी। मकान मालिक ने डी० एम० ओ० को दरख्वास्त दी कि हमारा मकान खाली कराया जाय क्योंकि हमको अपने मकान की मरम्मत करानी है। डी० एम० ओ० ने वह नामंजूर कर दी और ऊपर अपील में भी नामंजूर हो गयी। फिर डी० एम० ओ० को दरख्वास्त दी और उसे अपने पक्ष में कर लिया गया। अपील माननीय जगमोहनसिंह नेगी जी के पास आई। जब पूरी तस्वीर मंत्री के सामने आती है तो मंत्री लोग डरते हैं कि जैसा डी० एम० ओ० ने किया है वैसा ही करने से नुक्सान होगा। लिहाजा उसे उलटा कर दिया। वैसे लोग भी मकान को छोड़ना पसन्द नहीं करते और जबरदस्ती मकान में रहना चाहते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। सरकार का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि किसी आदमी को मजबूर न करे घर छोड़ने के लिये और आवास की समस्या का समाधान निकाले। लिहाजा जब तक मकान नहीं बनाये जाते तब तक उसका समाधान नहीं निकल सकता।

सरकार यह आंकड़े निकाले कि आज से २० साल पहले उत्तर प्रदेश में कितना सीमेंट मिलता था, कितनी आबादी यहां थी, कितना कोयला तथा लोहा मिलता था और कितनी घूसखोरी पहले थी और आज ये सब चीजें कितनी मिलती हैं? इस समस्या को हल करने के लिये, आवास की पूर्ति के लिये साधन जुटाये जायं। लोगों को जबरदस्ती घरों से निकाल कर आवास की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज हजारों की संख्या है चपरासियों की। मैं जानना चाहता हूं कि उनके रहने के लिये कितने मकान आपने दिये हैं जिनके लिये आप यह विधेयक लाये हैं? गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता। इसलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का एक ही उद्देश्य है कि शान्तिपूर्वक आवास की समस्या का समाधान निकाला जाय।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत विधेयक है उसका मैं विरोध करता हूं। प्रवर समिति को भेजने के समर्थन में माननीय कल्पनाथसिंह जी ने जो बात कही वह बिलकुल सही है। जिस समय यह कानून पहले पहल लाया गया था उस समय अनोखी समस्या थी। शरणार्थियों की आवास की समस्या को हल करने के लिये थोड़े समय के लिये यह विधेयक लाया गया था और इसीलिये सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में लिया था। लेकिन अब सरकारी कार्यालय तथा सरकारी कर्मचारियों को उसमें जोड़ देना बिलकुल दूसरी बात है। अगर ऐसा है तो सरकार दूसरा विधेयक लाये, क्योंकि इसके अन्दर ही सरकारी कर्मचारियों तथा कार्यालयों के लिये प्राविधान नहीं किया जा सकता। यह संशोधन विधेयक अवैध है, इसे वापस लेना चाहिये और नया विधेयक सरकार को लाना चाहिये।

एक बात मंत्री महोदय ने कल भी कही और आज भी कही कि हाउसिंग समस्या जटिल होती जा रही है। सरकारी कार्यालय और कर्मचारी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जायंगे। तो इस विधेयक के जरिये यह समस्या आवास की हल हो सकेगी इसके बारे में कहना कठिन है।

[श्री रक्षपालसिंह]

"टैम्पोरेरी" शब्द कल की तरह आज भी है और १६ साल के बाद भी टैम्पोरेरी लगा हुआ है, परन्तु यह टैम्पोरेरी समस्या नहीं है। टैम्पोरेरी अधिकार लेकर समस्या का हल किया जा सकत है यह नहीं कहा जा सकता । यह हमेशा चलने वाली समस्या है। जब तक सरकार इस समस्या को हल करने के लिये कुछ मूलभूत कदम नहीं उठाती तब तक इसका हल नहीं होगा। जो सरकार बसों को चला कर, अन्य व्यापारों को चला कर सभी क्षेत्रों में इंटरफियर कर रही है उसके लिये कोई कारण नहीं है कि वह स्वयं अपने कर्मचारियों के लिये मकान न बनवाये।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार हाउसिंग की समस्या को हल करने में समर्थ नहीं हो पायी है और वह हल कर पायेगी इसमें भी संदेह है। यह तो आगे की बात है, परन्तु मैं केवल इतना कहता हूं कि सरकार अपने कार्यालयों और कर्मचारियों के लिये तो यह कदम उठा ही सकती है। एक ऐसे कानून के अन्तर्गत जिसमें वास्तव में प्राविधान नहीं है, जो दूसरे परपज के लिये बनाया गया था और जिसका एक्सटेंशन भी कभी आर्डिनेंस के द्वारा, कभी नियम बना कर और कभी अन्य प्रकार के नोटीफिकेशन्स के द्वारा किया गया है, उसके अन्तर्गत यह अधिकार नहीं ले सकते। इस मूलभूत समस्या को हल करने के लिये सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। यह विधेयक इस समस्या को और अधिक गम्भीर बनाने वाला है। अभी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि स्वयं अधिकारी का उस स्थान में मकान है, लेकिन वह रिक्वीजीशन किये हुये मकान में रह रहा है जिसका किराया ३०–३५ रुपये है और अपना मकान १०० रुपये पर उठाये हुये हैं। जब जिलाधीश को अधिकार दिया हुआ है और जहां सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ही निर्णय लेना है तो वहां इसका दुरुपयोग होता है।

डिटेल में न जाकर एक दो बात कह कर मैं खत्म करूंगा। अभी माननीय कल्पनाथ-सिंह जी ने बताया कि वहां जिलाधीश के लिये कितने हजार रुपये लगा कर एकोमोडेशन बनाया गया, पानी आ गया, बिजली आ गयी लेकिन जिलाधीश महोदय उसमें नहीं जा रहे हैं और एक किराये के मकान में निवास कर रहे हैं। अब वह बात जाने दीजिये। मैं अपने जिले की बात बताता हूं कि अभी एक व्यक्ति का मकान था, उसने उसे बेचने की बात सोची। उसमें किरायेदार रह कर चला गया। उसके बाद उसके एलाटमेंट का प्रश्न उठा। जो वहां के जज साहब थे जो एक बड़े भारी बंगले में रहते थे लेकिन सम्भवतः ज्यादा किराया पड़ता होगा अपना एलाटमेंट करा लिया, जब वह मामला मुन्सिफ साहब के सामने आया तो ऐसा आदेश हो गया कि वह मकान जिसका सम्भवतः ज्यादा किराया आ सकता था थोड़े दामों में एलाट कर दिया गया और जज साहब का पहले वाला बंगला खाली पड़ा रहा और सरकार लगातार उसका किराया देती रही क्योंकि उसने बांड लिख रखा था कि हम किराया देते रहेंगे। फिर यह सवाल हुआ कि उस बंगले का क्या किया जाय ? तो चकबंदी अधिकारी का कार्यालय उसमें ला कर रखा गया जबकि चकबंदी दूसरी तहसील में चल रही थी, सदर में नहीं चल रही थी, लेकिन कार्यालय सदर में मौजूद है। इन सब बातों को देखते हुये जो विधेयक इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है यह मकानों की समस्या को और भी जटिल कर देने वाला है। कोई भी व्यक्ति २०–२५ हजार रुपये लगाकर और ब्लैक में सीमेंट, ईंट और अन्य वस्तुयें खरीद कर क्यों मकान बनायेगा अगर ३०–४० रुपये महीने में उसका मकान एलाट कर दिया जाय। तो इन सब बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि यह विधेयक मकानों की समस्या को और भी जटिल करने वाला है। श्रीमन्, मैं इसका विरोध इसलिये करता हूं कि यह विधेयक हमारे प्रदेश की समस्याओं को और बढ़ाने वाला है। यह विधेयक संशोधन विधेयक के रूप में नहीं लाया जा सकता है, यह इल्लीगल है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी इसको वापस ले लें।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे समय दे ही दिया । कल मैंने इतनी दरख्वास्त की लेकिन फिर भी मैं निराश ही रह गया । पहले तो एक शेर सुन लीजिये । "यह भी कोई परदे में परदा है, कभी परदे में हो जायं, कभी बेपरदा हो जायं ।

साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं ।"

ठीक इसी तरह से यह बिल है । इस मौजूदा कानून में बड़ी बड़ी खामियां भरी पड़ी हैं । किरायेदार लूट रहे हैं और मालिक मकान भी बदनाम हो रहे हैं । लोग मुकदमे में अपना पैसा बरबाद कर रहे हैं और बहुत से लोग मोटे होते चले जा रहे हैं । हमारी गरीबी दूर नहीं होती है । वकील जिनकी मैं तारीफ करता था दिमाग से बुलन्द हैं, लेकिन खून चूसने में कम नहीं हैं । जमींदार तो बुरे थे ही । लेकिन मैं नहीं समझता कि इस दुनिया में कौन अच्छा है....

श्री उपाध्यक्ष—

बिल से इसका क्या ताल्लुक है ?

श्री प्रेमसिंह—

मंत्री जी की चौखट माथा रगड़ते-रगड़ते घिस गई होगी । हमें अपनी समस्याओं का हल तलाश करना है । लेकिन नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह से हमारी समस्यायें हल हो सकती हैं ? मौजूदा कानून कोई हल नहीं बता रहा है बल्कि इससे समस्यायें और बढ़ेंगी । आखिर में मैं यह चाहूंगा कि और साहबान को भी मौका दिया जाय कि वे भी अपने ख्यालात का इजहार करें । मेरा तो ख्याल यह है कि न "खंजर उठेगा न तलवार उनसे, यह बाजू मेरे आजमाये हुये हैं ।"

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं । जैसा कि उन्होंने बताया है कि यह विधेयक जिसका टर्म एक्सटेंड करना चाहते हैं वह किसी रूप में मूल विधेयक के समानान्तर नहीं है । इसके लिये १९४७ में जो विधेयक पास किया गया था उसके प्रिएम्बुल के शब्द पढ़ना चाहता हूं–"Whereas by reason of shortage of accommodation in U. P. which has become very acute due to the large influx of refugees." यानी केवल रिफ्यूजीज के इंफलक्स के कारण । इसके उद्देश्य में कहा गया है कि "मकानों की समस्या अब भी बड़ी विषम है । सरकारी कार्यकलापों का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है ।" इसमें कौन सा विस्तार हो रहा है ? आगे है "कि यू पी० (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ के अधीन कार्यालयों और कर्मचारियों के लिये आवास स्थान प्राप्त करना सदैव सम्भव नहीं है..." गवर्नमेन्ट है कर्मचारियों के लिये, इसलिए जो मूलभूत उद्देश्य हैं उनसे यह बिलकुल विपरीत है, यह इल्लीगल है, इसका एक्सटेंशन मांगना ही इल्लीगल है । इसमें एक्सटेंशन नहीं होना चाहिये । जैसा कि माननीय कल्पनार्थसिंह जी ने कहा इस ऐक्ट का एक बार नहीं सात बार एक्सटेंशन ले चुके हैं । पहला एक्सटेंशन ३० सितम्बर, १९४९ को लिया था, उसके बाद कई एक्सटेंशन हुए और अब यह एक्सटेंशन १९६३ से १९६९ तक ले रहे हैं । मंत्री महोदय कल कह रहे थे कि टैम्पोरेरी के मानी परमानेन्ट नहीं हैं । अगर आप की डिक्शनरी में २२ वर्ष तक टैम्पोरेरी ही रखते हैं तो मालूम नहीं परमानेन्ट कब होगा ? अगर हाउसिंग प्राबलम है या कर्मचारियों से प्रेम है तो दूसरा ऐक्ट ले आइये, इस टैम्पोरेरी ऐक्ट को समाप्त करके । माननीय रक्षपाल सिंह और माननीय रामसुन्दर पांडेय ने आपके सामने बहुत सी इसकी बुराइयां रखीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

इस बिल के समाप्त होने से वह सब बुराइयां समाप्त हो जायेंगी। इसके एक्सटेंशन से भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा। वह भ्रष्टाचार कर्मचारियों द्वारा बढ़ता है और वही लोग अपने लिये रिक्वीजीशन करते हैं, जनता के लाभ के लिए रिक्वीजीशन नहीं किया जाता।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को वापस लें क्योंकि उद्देश्य को देखने से ही यह ऐक्ट इल्लीगल हो जायगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो हम मान सकते थे अगर विरोधीदल की ओर से यह कहा जाता कि इस बिल पर विचार न किया जाय या बिल पारित न किया जाय लेकिन यह मेरी समझ मे नहीं आता कि इतना छोटा सा संशोधन जिसमें अवधि बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पष्टीकरण के लिए नहीं रोका जा सकता।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मैं कल्पनार्थसिंह जी के प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। वह कहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी के पास बिल भेजा जाय। उसमें विचार किया जाय। पर विचार किस पर किया जाय? कोई ऐसा बिल है जिसमें कई धारायें हों जिनपर विचार करने की जरूरत है? इस बिल का उद्देश्य यह है कि हमारे प्रदेश में नये-नये विभाग बन रहे हैं, नये-नये अफसरों की नियुक्तियां हो रही हैं उनके लिये स्थान मिल सके। क्या विरोधी दल यह चाहता है कि जितने नये डिपार्टमन्ट कायम हों उनके लिए नये-नये मकान बनवाये जायं और मकानों को न लिया जाय? सरकारी कार्यालयों का क्षेत्र बराबर बढ़ता जा रहा है। बिल का उद्देश्य यह है—"सरकारी कार्यकलापों का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और यू० पी० (टैम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन ऐक्ट, १९४७ के अधीन कार्यालयों और कर्मचारी वर्ग के लिए आवास स्थान प्राप्त करना सदैव सम्भव नहीं है। अतएव सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवास स्थान अधिग्रहण करने के अधिकारों को जारी रखना आवश्यक है।" जब इतना साधारण उद्देश्य है और इसके लिये ही कोई संशोधन माननीय मंत्री जी ने रखा है और उससे यह भी नहीं किसी मकान मालिक पर सख्ती की जा रही हो, बल्कि उसको उसमें सुविधायें दी जा रही हैं कि अगर वह खुद अपने लिए रखना चाहें कोई हिस्सा तो वह उसको मिल सकता है, यहां तक भी रखा है कि मरम्मत के लिए किराये का जैसे आम तौर से होता है कि जितने मकान किराये के लिये जाते हैं उनमें साल भर में एक महीने का किराया मरम्मत के लिया जा सकता है क्योंकि अगर ऐसा न हो तो बहुत से मकान मालिक ऐसा कह सकते हैं कि मकान गिरे चाहे रहे, हम तो मरम्मत नहीं करायेंगे और बहुत से ऐसा करते भी हैं जो कब्जा लेना चाहते हैं, वह कहीं छत गिरा देते हैं कहीं दीवार गिरा देते हैं ताकि मजबूर होकर आदमी छोड़ दे इसी कारण यह रखा गया है कि मैजिस्ट्रेट को अख्तियार है कि एक माह का किराया साधारणतया मरम्मत के लिए काट ले और अगर इस से ज्यादा किराया काटने की जरूरत हो तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो इसमें जितनी भी सुविधायें हो सकती हैं, वह सब दी जा रही हैं, इसलिए मैं तो यह समझता हूं कि विरोधी दल को ऐसे संशोधन का बड़े मुक्त कंठ से स्वागत करना चाहिये था। इसमें तो सुभीते दिये जा रहे हैं, मकान जबर्दस्ती नहीं लिये जा रहे हैं, किराये पर लिये जा रहे हैं। क्या हम नहीं जानते हैं कि बहुत सारे मकान मालिक ऐसे हैं कि जो मकान बनाते हैं और उसको ज्यादा किराये पर उठाकर खुद सस्ते से सस्ते मकान में रहने लगते हैं? इसके मानी तो यह हैं कि यह एक किस्म का पूंजीपतियों का ढकोसला है जो यह कहते हैं कि मकान बनवा देंगे।

श्री कल्पनाथसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बड़े गौर से सुनना चाहता हूं लेकिन वह माइक पर नहीं बोल रहे हैं और सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा माइक पर बोलें।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय में इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं विचार करके यह पारित कर दिया जाय।

*श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई खास बात कहना नहीं चाहता था और न इस पर कोई बड़ी लम्बी चौड़ी बहस की बात है। जब सरकार की तरफ से पूरा संशोधन विधेयक सामने आयेगा, तो उसको देखकर जितनी उसमें खामियां, कमियां या अच्छाइयां होंगी उन पर हम सदन में बहस करेंगे। इस वक्त इतनी बात कहना चाहता हूं कि १६ साल से जो सरकार टैम्पोरेरी शब्द इस्तेमाल कर रही है और ६ वर्ष और आगे टैम्पोरेरी शब्द इस्तेमाल करने का उसका इरादा है, मेरी समझ से २२ वर्ष तक यह टैम्पोरेरी रखना कुछ उचित नहीं मालूम पड़ता। इसका मतलब तो यह है कि पांच साल के लिए सरकार रहती है और २२ साल में कम से कम ५ बार टैम्पोरेरी सरकार रह चुकेगी। इस तरह की बात गलत है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर ज्यादा बहस मुबाहसे की जरूरत नहीं है। दो तीन महीने का वक्त इसके लिए बढ़ा लें और दूसरा संशोधन विधेयक जब पेश करें तो उस वक्त इस पर विचार हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह दूसरे विधेयक के लिए उन्होंने कहा था, इससे उसका मतलब नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

इसका भी मेल उसी से बैठता है। इसलिए यही बात मैं कहना चाहता था कि ६ साल का समय लेना बहुत ज्यादा होगा और २२ साल तक टैम्पोरेरी विधेयक की बात करना कोई उचित बात नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ देर से आज जो प्रस्तुत विधेयक है उस पर बहस चल रही है। विरोधी दल की तरफ से यह एतराज उठाया गया है कि जो मूल विधेयक है और उसके जो उद्देश्य हैं उनमें एक महान् परिवर्तन करके दूसरा संशोधन जो लाया गया है उसके क्या कारण हैं और क्या यह उचित है कि जिस उद्देश्य को लेकर यह मूल अधिनियम बना था उसको समाप्त करके दूसरा उद्देश्य सामने रखकर संशोधन करके इसकी अवधि बढ़ायी जाय? यह कहां तक उचित है? मैं तो यह समझता हूं कि यदि सरकार में इतना साहस होता कि पन्द्रह सोलह सालों में अपने प्रदेश में आवास की समस्या यह हल नहीं कर सकी तो स्पष्ट रूप से ऐसा विधेयक लाते जिसमें हमेशा के लिए जब तक यह आवास समस्या हल नहीं होती कोई तरीका निकालती और यह भी पता चल जाता कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतने समय तक रहने के बाद भी इस समस्या को हल नहीं कर सकी और उसमें नाकामयाब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दयाराम शाक्य]

रही है। आपके पास कोई रीजन भी नहीं है क्यों कि जो इसका मूल उद्देश्य था उसको खत्म करके दूसरे उद्देश्य से यानी सरकारी कर्मचारियों के आवास गृहों की कठिनाई दूर करने के लिए इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है। मूल अधिनियम में आपने कहा था कि रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ रही है और उनके आवास की समस्या खड़ी हो गयी है, उनके आवास की व्यवस्था करने के लिये यह विधेयक लाया गया था। लेकिन आज दूसरा ही उद्देश्य कर दिया गया है।

आज अनेक स्थानों पर प्रदेश में बाढ़ और वर्षा के कारण हजारों और लाखों की संख्या में मकान गिर गये हैं। मकानों की समस्या अत्यन्त कठिन हो गयी है ऐसे समय में इस प्रकार के विधेयक को लाना जिससे नये मकान उतनी अधिक संख्या में न बन जायें कहां तक उचित होगा? उचित तो यह था कि सरकार जनता के लिए मकान बनवाकर लाखों की संख्या में तैयार करती और इस समस्या को हल करती न कि जनता के स्वयं बनवाये हुये मकानों को ही हस्तगत करके, चाहे उनको कुछ भी कठिनाई हो, सरकारी कर्मचारियों को आराम से रहने के लिये मकान मिल सकें, केवल इसी की चिन्ता सरकार को है। सरकारी कार्यालय नित्य प्रति बढ़ते जा रहे हैं। उनके लिए गृहों की व्यवस्था करनी है। इसके लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। इसीलिये इसका इतना विरोध हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को वापिस ले क्योंकि मूल विधेयक के उद्देश्य के विपरीत दूसरे उद्देश्य से यह विधेयक लाया जा रहा है। यह बिल्कुल अनुचित है।

*श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और खास तौर पर मैं अपने माननीय मुकन्दीलाल जी, बैरिस्टर, जो, जहां तक मुझे मालूम है, कभी वह आपकी कुर्सी पर विराज मान थे, इस सदन में, मैं उनको बहुत गौर से सुनना चाहता था क्योंकि संयोग से एक मात्र वे ही ऐसे सदस्य रहे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने इस बिल पर उस तरफ से अपने विचार प्रकट किये। अलावा माननीय वीरसेन जी के जिन्होंने हम लोगों को समझाने की थोड़ी कोशिश की मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। वे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं, मेरे नौजवान दोस्त हैं, लेकिन मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि आखिर वे क्या कह गये? मैं उन दोस्तों के तर्कों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता जिन्होंने हमारे पक्ष में बात की लेकिन उन दोस्तों से मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं, और खास तौर पर बैरिस्टर साहब से, जो कहते हैं कि मैंने कोई सुझाव नहीं दिये, कि मैं क्या करूं। आपके इन ऐम्स और आब्जेक्ट्स में जो बात लिखी गयी है कि आपके सरकारी महकमे ने जो सुझाव दिये हैं उनमें से ही पूरे सुझावों को नहीं माना है, जरा उसको पढ़ें।

"The State Law Commission also considered the measure and suggested a number of amendments, some of which have been accepted by the Government."

तो आपकी गवर्नमेन्ट को न जाने कितने सुझाव दिये गये, लेकिन गवर्नमेन्ट ने उसमें से कुछ को ही ऐक्सेप्ट किया। उसमें एक अमेंडमेंट जो रखा गया है उसका स्वागत मैं भी करता हूं कि किसी मकान का एक पार्ट मकान मालिक के हक में छोड़ा जा सकता है। उसमें भी पूरे सुझाव नहीं माने गये हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे बैरिस्टर साहब को मेरी बातों को ठंढे दिल से सुनने का मौका मिले। मैं समझता हूं कि वह अभी ही फ्लोर क्रास करके इधर से उधर गये हैं। वह जरा जल्दी में बात कह गये वरना हमारे संशोधन की सपोर्ट में वह कहते। तर्क उन्होंने सब वही दिये जो सपोर्ट के लिये हो सकते हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यह बात कही।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि किरायेदार मालिक के मकान को नुकसान पहुंचा देता है इसलिये कुछ प्राविजन किया जाना चाहिये ? वह सही कहते हैं। मैं भी कहता हूं कि अगर ऐसे लोगों को मकान दिया जायगा और उसके लिये कुछ प्राविजन नहीं किया तो जरा भी वे नाराज हुये तो रिक्वीजीशन की कार्यवाही करके मकान पर कब्जा ले लिया जायगा और उस मकान की छत को गिरा डालेंगे और मकान को तहस नहस कर डालेंगे। इसके लिये कुछ प्राविजन इसके अन्दर होना चाहिये। मैं जरूर चाहता हूं कि ऐसे लोगों को कतई मकान पाने का अधिकार नहीं है। आप अपने गवर्नमेंट सर्वेन्ट के बारे में इस तरह का कोई क्लाज इस विधेयक के अन्दर जरूर जुड़वाइये। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूंगा।

आपने न्यायालय में जाने की बात कही। मैं भी चाहता हूं कि लोग न्यायालय में जायं। उनको जरूर हक होना चाहिये न्यायालय में जाने का, लेकिन उन गरीबों के मकानों के बारे में, जिसमें सरकार हार जाय और जिस व्यक्ति की वजह से सरकार हार जाय उससे मुकदमे का सारा खर्चा वसूल होने का प्राविजन इसमें करायें। चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या और कोई हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सरकार के खर्चे पर मुकदमा लड़ता है। गरीब मकान मालिक, जिसका मकान ले लिया जाता है और जिसको तंग किया जाता है, वह अपने खर्चे पर मुकदमा लड़ता है अपने पास से उसका खर्च करना पड़ता है। वह मकान की मरम्मत का रुपया भी मुकदमे में खर्च देता है। आप वकील और मैं बैरिस्टर जरूर हैं और मैं बड़े लिहाज और अदब के साथ कहता हूं कि मैं आपकी बुद्धि का कायल हूं, लेकिन मेरी अर्ज यह है कि आप माननीय मन्त्री जी को समझाइये। उनके ऊपर इस सदन में बैठने के साथ हमारी और आपकी सब की जिम्मेदारी है। आप ऐसे लोगों को हक में इस कानून को बनाए जो बेजबान हैं, जो गरीब निरीह हैं, जिनके पास ताकत नहीं है। ताकतवाले की मदद तो दुनिया करती है। बिना ताकत वाले की दुनिया में कौन मदद करता है। बिना ताकतवाले की यदि आप मदद कर सकें तो बड़ी कृपा होगी।

मैं वीरसेन जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने कहा था कि देहातवालों की बात इसमें कहां से आ गई ? जब रामसुन्दर पांडेय जी ने कहना शुरू किया तब कहा गया था। देहातों में ऐसे लोग हैं। पब्लिक परपज का मतलब हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब, सरकार का अंग होने के नाते सरकार के पक्ष में ही लगायेंगे। पब्लिक परपज का मतलब गवर्नमेंट इन्टरेस्ट नहीं होता है और न होने चाहिये और प्रैक्टिस भी यही है। मान लीजिये थोड़ी देर के लिये कि किसी लाक हेड क्वार्टर पर बी० डी० ओ० को या उनके दफ्तर को रखने की जगह नहीं मिली जो देहात में है और लैण्ड एक्वीजीशन की कार्यवाही या कंस्ट्रक्शन की कार्यवाही किसी वजह से जल्दी नहीं हो पा रही है और कोई भी आदमी दफ्तर को या साहब को रहने के लिये जगह नहीं देता तो हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ही बता सकते हैं कि वह दफ्तर कहां जायगा और बी० डी० ओ० साहब कहां जायंगे ? क्या उनके लिये ऐसा एकोमोडेशन नहीं लिया जायगा जो कि दफ्तर या बी० डी० ओ० साहब के लिये आवश्यक हो। उनके लिये तो रिक्वीजीशन हो जायगा लेकिन देहात का वह गरीब परेशान है।

हमारे सिंचाई मंत्री जी यहां हैं, तमाम सवाल हुए हैं यहां पर इस बारे में। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर लाखों नहीं तो हजारों की संख्या में इस प्रदेश में बाढ़ से तबाह हुए लोग हैं और उन लोगों की जिन्दगी शरणार्थियों की जिन्दगी से भी बदतर हो गयी है जिनके बारे में आपने ऐक्ट पास किये हैं। आप देखें कि उनकी सोशल कंडीशन्स क्या हैं ? और यही बात मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय दोस्त पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब की सेवा में निवेदन करना चाहता था और यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपनी बात पूरी तरह से उनको सुना नहीं सका। वह चले गये। मैं सरकार के लोगों को यह बात जरूर सुनाना चाहता हूं और आप के माध्यम से कहना चाहता हूं और मंत्री जी ने कल भी मुझसे कहा था कि भइया, जरा अपने वायदे को याद रखना और मैं भी उसी आधार पर मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे अपने वायदे को याद रखें। इस ऐक्ट को जाने दीजिये और दूसरा बिल इस सदन में लाइये। वायदा एक होता है। मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य की हैसियत से बोल रहा हूं और मंत्री जी सरकार के मंत्री की हैसियत

[श्री कल्पनाथसिंह]

से। और वह भी एक प्रगतिशील मंत्री, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। दरअसल इस विभाग में बहुत सी गड़बड़ियां ठीक करने में जो उनका रोल रहा उसकी मैं बड़ी ताईद करता हूं, लेकिन साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि (व्यवधान) आप क्या हैं? इसको जरा सोच लीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

असली सोशलिस्ट हैं?

श्री कल्पनाथसिंह—

वही सोशलिस्ट आप भी थे। जो वहां से जाता है वहीं जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से आपस में बात नहीं होनी चाहिये।

श्री कल्पनाथसिंह—

आप उनको भी तो मना कीजिये। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि दरअसल मैं गुस्से में नहीं, कोई लेक्चर देने के लिये भी नहीं या तर्क देने के लिये ही नहीं कह रहा हूं। मैं फिर से दोहराता हूं और कहना चाहता हूं कि मंत्री जी उन अधिकारियों के हाथों को इतना मजबूत करने की कोशिश न करें कि जिससे वे अपनी ताकत का दुरुपयोग कर सकें? यह नम्बर एक की बात हुई। और दूसरे, उसके दुरुपयोग से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके मंत्री जी विरोधी हैं और उन्होंने अपने भाषण में कल ही, मुझे प्रसन्नता है कि इस बात का जिक्र किया था। यदि ये दो काम बंद करने का वायदा मंत्री जी करें तो मुझे प्रसन्नता ही होगी। कल भी उन्होंने माननीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रित किये थे तो वे इस बात का भी वायदा करें कि अगर इस सदन के माननीय सदस्य उनको अपने सुझाव दें तो फिर इस बिल में वे अमेंडमेंट ले आयेंगे और इसके लिये लोगों से बातचीत कर के कोई टाइम फिक्स कर दें। वह एक महीने का हो, दो महीने का हो, ६ महीने का हो, लेकिन अगर लोग कहते हैं तो ठंडे दिल से बैठ कर इस पर विचार कर लें। वह स्वयं कहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट जरूरी है और उन्होंने इसके उद्देश्य और कारण में लिखा भी है कि लीगल डिपार्टमेंट कहता है कि इसमें अमेंडमेंट जरूरी है, तो वह होना चाहिये। हां, अगर मैं यह कहता हूं इस वजह से यह बात नहीं मानी जायगी, यह बात है तो, माननीय कृष्णानन्द राय जी वहां मौजूद हैं। उनके संशोधन बड़ी जल्दी स्वीकार कर लिये जाते हैं। उन्हीं से कह कर माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करवा दें, मैं भी उसके समर्थन में हाथ उठा दूंगा कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय। मंत्री जी स्वयं इसे कबूल कर लें। यहां सभी की यह इच्छा है कि इस कानून में संशोधन आवश्यक है। इससे अधिकारियों का हाथ लोगों को सुविधा पहुंचाने की ओर नहीं, कष्ट पहुंचाने की ओर मजबूत होता है।

दूसरी बात, मुझे फिर से आखिर में यह निवेदन करनी है कि यह संशोधन विधेयक, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन हमारे मित्रों ने कहा कि इल्लीगल है। मैं नहीं कहता कि इल्लीगल है, लेकिन इसके पीछे कोई नैतिक बल नहीं रह जाता, क्योंकि इसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ था कि रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ रही है। वह बात खत्म हो चुकी, उसका जिक्र कहीं नहीं किया। अब मैं समझता हूं कि सरकार को यह अमेंडमेंट करने का कोई नैतिक बल और आधार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्री जी और सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को कबूल करें।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल जब कि रेंट कंट्रोल ऐंड इविक्शन बिल पर वाद-विवाद हो रहा था तो विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने कहा था कि कांप्रिहेंसिव बिल आना चाहिए। चूंकि यह छोटा बिल था, इसको हम कांप्रिहेंसिव रूप में ले आये। कल्पनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। हमने जो त्रुटियां इसके अन्दर पायीं उसके लिए हम संशोधन ले आये, चाहे वह ला कमीशन की सिफारिश हो या कोई जरूरी मसले हों। एक तरफ तो प्रवर समिति की बात और बीच में कह बैठे कि वापस ले लेना चाहिये। तिवारी जी ने साफ-साफ कहा कि वापस लिया जाय। तो जब संकल्प दे दिया कि प्रवर समिति में जाना चाहिये और औरों ने उसका समर्थन कर दिया तो इसके माने हैं कि इसे स्वीकार आपने कर लिया है और कोई प्रश्न इस बात का नहीं रह जाता कि इसका औचित्य नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह जी अगर अपने भाषण को याद करें तो उन्होंने कहा था, जब कि वह वीरसेन जी का जवाब दे रहे थे और सिंचाई मंत्री को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि देहात में शरणार्थी हो गये हैं जो फ्लड की वजह से हैं। तो शरणार्थियों की कमी नहीं है। उनको भी अगर आवास की जरूरत होगी तो इस ऐक्ट के मातहत रिक्वीजीशन किया जायगा। ईस्ट पाकिस्तान से भी शरणार्थी आ रहे हैं तो आना-जाना बन्द नहीं हुआ है। आना-जाना लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य और कारण में सार्वजनिक शब्द नहीं है, तो वह है, देख लें, अंडरलाइन्ड है। इमर्जेंसी हो सकती है। अगर कल को अपने शहरों में हमें होमगार्डों के लिए या डिफेंस के लिए कोई कार्य करना है तो वह उन शरणार्थियों के प्रश्न से भी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही इसका रहना तो आप स्वीकार कर ही चुके हैं।

जहां तक प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न है, अगर हम केवल अवधि बढ़ाने की बात कहते हैं और संशोधन न लाते तो आप कह सकते थे कि इसमें कमियां और खामियां हैं। जितने हमने संशोधन दिये हैं वह इस आधार पर दिये हैं कि उनके द्वारा किसी मकान मालिक पर ज्यादती न हो। अगर आप हेर-फेर करें या घटायें तो इससे आप सरकारी अफसरों के हाथ और मजबूत करते हैं। हमने तो यह संशोधन इसलिये किये हैं कि जो ज्यादतियां सरकारी अफसर किया करते थे जिसकी कि आप शिकायत भी करते थे, वह न हो पायें। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति करने की गुंजायश थी ही नहीं। मगर विरोधी दलों का तो यह कर्त्तव्य है कि वे अच्छाई में भी बुराई निकालते हैं। इसके लिये मैं यही कह सकता हूं कि इसका विरोध करके उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैं माननीय कल्पनाथसिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि कल उन्होंने अपने संशोधन को वापस ले लिया था। आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, आप उनसे पूछ लें, आशा है वे वापस ले लेंगे।

एक बात मैं और अर्ज कर दूं। सेक्शन ३ के जो प्राविजो हैं उनको देखने की कृपा करें। उसमें यह स्पष्ट है कि कोई भी मकान ऐसा नहीं लिया जायगा जिसका अधिकांश हिस्सा रिलीजिस परपज के लिये इस्तेमाल होता है। उसमें यह भी प्रावीजन है कि किसी भी व्यक्ति का तब तक कोई मकान नहीं लिया जायेगा जब तक कि जिलाधीश इस बात से संतुष्ट न हो जायं कि उसके पास कोई दूसरी जगह रहने के लिये है या जब तक उसको कोई आल्टरनेटिव जगह नहीं दे जाती, वह नहीं लिया जायेगा। अभी मुजफ्फरनगर का ही एक केस रिक्वीजीशन का था। मगर हमने समझा कि वह ठीक नहीं है और उसको कैन्सिल करने के लिये हमने जिलाधीश को आर्डर दिया। तो जब सरकार प्रजातांत्रिक होती है तो उसमें इस बात का कोई डर नहीं रहता है। मुझे तो डर यह है कि कहीं अगर बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया, आपको ही इधर सरकार में आना पड़ा, तो फिर वही बात होगी। फिर कैसे डेमोक्रेसी चलेगी? हमने तो काफी सेफगार्ड्स इसमें रखे हैं और आप इतमिनान रखें कि कोई ज्यादती होने की गुंजायश नहीं है। हमें इस बात की अधिकारियों से आशा रखना चाहिये कि वे रीजनेबिल आर्डर देंगे, अगर कहीं गलती होगी तो उसके लिये हम यहां पर हैं, उसको ठीक करेंगे। आप जब इन संशोधनों पर आयेंगे तो देखेंगे कि हम जितने लिबरल उन

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

लोगों के साथ हो सकते थे, लिबरल होने की कोशिश की है। फिर सदन को स्वतंत्रता है, अगर कोई कठिनाई होगी, तो भविष्य में उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इस वक्त जो फायदा मकान मालिक को हो रहा है वह होने दीजिये। मुझे तो माधोप्रसाद जी की कल की बातों पर अफसोस हो रहा है कि उनको हमारी हर बात में अविश्वास नजर आ रहा था। मैं आप लोगों का आदर करता हूं, मेरे लिये आप भी सद्भावना रखते हैं, अगर इतना अविश्वास रखेंगे तो डेमोक्रेसी का चलना मुश्किल हो जायेगा। माननीय कल्पनाथ जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं। मैं आशा करता हूं कि वे कृपा करके अपने संशोधन को वापस ले लेंग।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

माननीय मंत्री जी ने रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट के बारे में बताया था कि वे एक काम्प्रीहैंसिव बिल ला रहे हैं, लेकिन क्या वह बिल टेम्पोरेरी होगा अथवा परमानेंट जो इसके लिये आप लाने वाले हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कल से इस बात की बड़ी भारी चर्चा है। यह तो मैं नहीं बता सकता कि यह बिल कब तक चलेगा और दूसरा बिल लाने में कितना समय लगेगा, लेकिन यह हम चाहते हैं कि वह भी टेम्पोरेरी ही रहे। हम तो खुद यह चाहते हैं कि यह मकानों की समस्या जल्दी खत्म हो जाय, लेकिन जब तक लोगों को कष्ट है तब तक इसको जारी रखना ही होगा। रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन कानून अगर आज हटा लिया जाय तो जो लोग बाहर से आते हैं उनको बड़ी भारी तकलीफ हो जायगी और लोग बड़ी-बड़ी पगड़ी मांगेंगे या तथा बेजा किराया चार्ज करेंगे। लोग उससे परेशान हो जायेंगे। उसी की वजह से लोगों को सही किराये पर मकान मिल जाते हैं। इस कानून को हम फिलहाल टेम्पोरेरी ही रखना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कल्पनाथ सिंह जी, क्या आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

कल तो मंत्री जी ने एक बात कही थी कि हम अमेंडमेंट ले आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने कोई नयी बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि हम पर विश्वास करो। जितना विश्वास आपके ऊपर कर रखा है उससे ज्यादा तो आपने कोई कदम उठाया नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार प्राप्त हो तथा जो अपना प्रतिवेदन १ मास के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या "1963" के स्थान पर "1969" रख दिया जाय ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा १ का संशोधन

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ की तृतीय पंक्ति में "1969" के स्थान पर "1966" कर दिया जाय ।

मान्यवर, जब इस बिल के साथ मंत्री जी ने टेम्पोरेरी का तमगा लगा दिया है तो मैं समझता हूं कि ६ साल का अरसा बहुत तवील है । जो काम वे ६ साल में कर सकते हैं वे ३ साल में भी कर सकते हैं । इसलिये ३ साल का ही अरसा काफी है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है । कल के बिल में जो अवधि हमने रखी थी वही आज भी रखी है । इसलिये उसको मानने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ की तृतीय पंक्ति में "1969" के स्थान पर "1966" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा २ का संशोधन

(१) खंड (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(b) 'Court' means the Court of Munsif, or where there is no Munsif, the Court of Civil Judge, in whose territorial jurisdiction the accommodation lies ;" और

(२) खंड (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय—

"(bb) 'District Judge' means the District Judge in whose territorial jurisdiction the accommodation lies."

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (b) की प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति में शब्द 'Munsif" के स्थान पर शब्द "Munsif or Additional Munsif" रख दिये जायं और शब्द "Civil Judge" के स्थान पर शब्द "Civil Judge or Additional Civil Judge" रख दिये जायं ।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

मान्यवर, यह बहुत ही अच्छा होगा, अगर ऐसा कर दिया जाय, क्योंकि जो अख्तियारात व पावर्स मुन्सिफ की होती है वही एडीशनल मुन्सिफ की भी होती है। जो पावर्स सिविल जज की होती है वही एडीशनल सिविल जज की भी होती है। इस तरह से इस किस्म की जो बातें होगी वे आसानी से तय की जा सकेंगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को जरूर स्वीकार कर लेंगे।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे क्योंकि यह देखते हुए कि आज कल मुकदमे बहुत बढ़े हुए हैं और आप बराबर जजेज की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं यदि मुन्सिफ अपनी जगह पर ठीक से काम न कर सके या डिले करें तो वहां एडीशनल मुन्सिफ को ला दें तो कोई आपत्तिजनक न होगा। चाहे मुन्सिफ फैसला करे, चाहे एडीशनल मुन्सिफ फैसला करे, चाहे सिविल जज फैसला करे, या एडीशनल सिविल जज फैसला करे। तो इसमें कोई आपति की बात नहीं होनी चाहिये। अगर मुकदमे के फैसले में डिले हो और उसमें जल्दी करने के लिये एडीशनल मुंसिफ को भी जुरिस्डिक्शन दे दें, तो इससे फैसले में जल्दी होगी। इसमें तो केवल जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने की बात है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि चाहे मुन्सिफ फैसला करें चाहे एडीशनल मुंसिफ फैसला करे। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो अक्सर यहां यह सुनने में आता रहा है कि कहीं पर किसी को पावर देने की बात हुई तो कहा जाता रहा है कि "नाट बिलो दि रैंक आफ सो ऐंड सो" और आज आप कह रहे हैं कि एडीशनल मुन्सिफ और एडीशनल सिविल जज को यह पावर दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आया कि जो घटिया या मातहत आफिसर हैं उनको यह पावर देने के लिये क्यों कहा जा रहा है। सब अपनी जगह पर अलग-अलग हैं। बड़ी चीज बड़े के पास ही रहनी चाहिये। काम का जहां तक सवाल है, अगर वह नहीं करेगा तो इसको देखने के लिये ऊपर के लोग तो मौजूद ही हैं। अगर एक महीने की डिले हो गयी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास वह नहीं जाता तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। कल को आप यह कहने लगें कि इसको स्माल काजेज कोर्ट में भेज दिया जाय, तो यह कैसे हो सकता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

एडीशनल मुन्सिफ का पावर कम नहीं होता है, वह मुन्सिफ के बराबर ही होता है इसलिये एडीशनल शब्द से उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

माननीय मंत्री जी ने एडीशनल जज व एडीशनल मुन्सिफ के लिये घटिया शब्द का प्रयोग किया, यह कहां तक उचित है, इस पर आपकी मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा कि एडीशनल जज को यह पावर नहीं देना चाहिये। इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

एडीशनल जज के लिये घटिया किस्म का कहना कहां तक ठीक है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमान्, मैंने किसी व्यक्ति के लिये तो कहा नहीं, मैंने तो पावर की बात कही कि किसी के पास बड़ी पावर होती है, किसी के पास घटिया किस्म की पावर होती है। जैसे किसी के पास फर्स्ट क्लास, किसी के पास सेकेंड क्लास और किसी के पास थर्ड क्लास की पावर होती है। कोई ५०० रु० तक के मुकदमे को देख सकता है, कोई हजार रुपया तक के मुकदमे को देख सकता है। तो यह तो घटिया व बढ़िया पावर की बात है जो मैंने कही। अगर आपने मेरी बात को समझा ही नहीं तो उसके लिये मुझे बहुत अफसोस है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (b) की प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति में शब्द " Munsif " के स्थान पर शब्द "Munsif or Additional Munsif "रख दिये जायं और शब्द "Civil Judge" के स्थान पर शब्द "Civil Judge or Additional Civil Judge" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा ७ का प्रतिस्थापन,

"7. (1) An appeal from a decision of the Court under this Act shall lie to the District Judge within thirty days.

Appeals against orders of the Court.

(2) The provisions of sections 4, 5 and 12 of the Indian Limitation Act, 1908 shall be applicable to appeals under this Act." Act IX of 1908.

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग माना जाय।

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' करें। (हां की आवाजें)। जो माननीय सदस्य इसके विपक्ष में हैं वे कृपया 'नहीं' कहें।

(नहीं की आवाजें)

नहीं की संख्या अधिक है....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

ठीक है, नहीं की संख्या ज्यादा है यह गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो मेरे मुंह से निकल गया है, "हां" की संख्या अधिक है....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

वह तो अब हो गया....,.

श्री मुरलीधर कुरील--- (जिला कानपुर)---
उपाध्यक्ष जी, हां की संख्या अधिक है, मैं विभाजन चाहता हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय
उन्होंने श्रीमन् देर से कहा है, वह अब नहीं आ सकता । नहीं की संख्या अधिक है आपने कह दिया तो खंड तो अस्वीकृत हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष----
वह पहले ही खड़े हो कर कह चुके थे, आप को मालूम नहीं है ।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊ दयाल खन्ना)---
वह पहले ही खड़े थे और उन्होंने डिवीजन की मांग पहले ही की थी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---
आप इस तरह की कार्यवाही न करें, यह धारा तो विधेयक का अंग नहीं बनी...

श्री उपाध्यक्ष---
मैंने पूरा सेन्टेन्स नहीं कहा था, मैंने केवल इतना कहा गया था कि 'नहीं' की संख्या अधिक है । यह नहीं कहा था कि यह खंड विधेयक का अंग बना या नहीं बना, लेकिन इस पर भी मैंने आप की बात मान ली और अब उधर से डिवीजन की मांग है वह मैं दे रहा हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---
हम तो आप की बात मान कर चल रहे हैं कि यह खंड विधेयक का अंग नहीं बना । आप प्रोसीडिंग मंगा कर देख लें । इसी बात को देख लें कि, 'नहीं की संख्या ज्यादा है' यह आपने कहा कि नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष---
यह मैं मानकर चल रहा हूं जो आप कह रहे हैं, हालांकि मैं बीच में ही कह कर रुक गया । मैंने यह कहा कि "नहीं की संख्या ज्यादा इतना ही कह पाया ।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---
आपने कहा नहीं की संख्या ज्यादा" है । अब आप क्या कह रहे हैं ?

श्री मुरलीधर कुरील---
उसी के साथ ही मैंने डिवीजन की मांग की ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय---
श्रीमन्, अब तो यह खंड विधेयक का अंग नहीं बन सकता ।

श्री भगवानसहाय---(जिलाशाह जहांपुर)
श्रीमन्, जब डिवीजन का सवाल आया है तो जहां तक हम लोगों का खयाल है हमने स्पष्ट सुना कि 'नहीं' की संख्या अधिक है । अगर आप समझते हैं कि आपने ऐसा नहीं कहा तो यह आपकी कांशेन्स का सवाल है इस पर हम क्या कहें ।

श्री उग्रसेन---
आप अपनी गलती क्यों नहीं मानते ?

श्री उपाध्यक्ष---

वास्तव में बात यह है कि मैंने यह कहा कि नहीं की संख्या अधिक है । और इतने पर ही मैं रुक गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

इतना कहना ही काफी है । आप चेयर की मर्यादा रखें ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपकी बात मानकर ही चल रहा हूं । उसी के बाद माननीय कुरील ने डिवीजन मांगा । मैंने कहा वह तो एक ही बात है इसमें डिवीजन हो रहा है अगर समय बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं । आपकी मंशा नहीं थी, डिवीजन हो गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आपके कहने के बाद दो मिनट लगे तब डिवीजन मांगा गया ।

श्री उग्रसेन---

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी 'कहा कि मैंने कहा 'नहीं की संख्या अधिक है ।' इसलिये विभाजन नहीं मांग सकते ।

श्री उपाध्यक्ष---

यहां कि परिपाटी यह है कि पहले कहा जाता है कि 'नहीं' या 'हां' की संख्या अधिक है और उसके बाद कहा जाता है कि यह खंड विधेयक का अंग बन गया । तो यह मैंने नहीं कहा कि विधेयक का अंग बन गया ।

श्री उग्रसेन---

आपके कहने का मतलब हम समझते हैं उसके बाद विभाजन नहीं मांगा जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो कुछ मैंने कहा उसके बाद हरएक को चैलेंज करने का अधिकार है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आपकी व्यवस्था के विरोध में हम विभाजन में भाग नहीं लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उग्रसेन----

जिस तरह से आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है हम सोशलिस्ट पार्टी के लोग उसका विरोध करते हैं । इस तरह से आप सारी संसदीय परम्पराओं की हत्या कर रहे हैं । इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं ।

(समाजवादी दल के समस्त सदस्य सदन का त्याग कर चले गये ।)

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---

हमारी पार्टी भी इसके विरोध में वाक आउट करती है ।

(निर्दलीय दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया ।)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--

आपने हमारे इस आग्रह को कि प्रोसिडिंग को देखा जाय मानने से इंकार किया, इसलिये दो मिनट के लिये हम लोग भी सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के समस्त सदस्यों ने भी दो मिनट के लिये सदन का त्याग किया।)

खंड ५

५--मूल अधिनियम की धारा ८ में--

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा ८ का संशोधन

(१) उपधारा (१) में प्रथम वाक्य में शब्द "was requisitioned और अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के बीच में शब्द "and deliver possession thereof to him" बढ़ा दिया जायं,

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय--

"(1-A) For purposes of delivery of possession of the accommodation under sub-section (1) the District Magistrate shall in the manner prescribed by rules evict or cause to be evicted all persons who might be in occupation of the accommodation at the time of its release from requisition,and in doing so he may use such force as may be necessary." ;

(३) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय--

"(5) Nothing in this section shall prevent the District Magistrate from releasing from requisition only a part of the accommodation:

Provided that where the District Magistrate releases from requisition only a part of the accommodation with the concurrence of the owner, the release shall be on such terms as to compensation or otherwise as may be agreed upon between him and the owner ;

Provided further that where the release from requisition of only a part of accommodation is without the concurrence of the owner or where no agreement as specified in the first proviso as to the terms of the release is reached, such reduction, if any, shall be made in the compensation payable to the owner as may be determined by the Court on a reference made to it by the District Magistrate, and the provision of sub-section (2) of section 6 shall *mutatis mutandis* apply to such reference."

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उप खंड २ में प्रस्तावित उपधारा (I-A) के अन्त में निम्नलिखित proviso जोड़ दिया जाय --

"Provided that the persons concerned have any other accommodation available at the time."

मान्यवर, किसी एकोमोडेशन को सरकार रिलीज करती है और यदि उसमें कुछ लोग रहते हों और उनके रहने के लिये कोई दूसरा ठिकाना भी न हो तो ऐसी सूरत में भी उनके खिलाफ

सरकार ताकत का इस्तेमाल करेगी । बड़े आफिसर्स तो उस फोर्स के डंडे से बच जायंगे, लेकिन जो छोटा अमला है उसके खिलाफ ही यह फोर्स इस्तेमाल होगा । इसलिये इस खामी को दूर करने के लिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, कल तक यह बहस हो रही थी कि सरकारी आफिसर्स मकानों में रहते हैं और अगर उनका तबादला हो जाता है तब भी वह नहीं निकाले जाते हैं और आज जब क्लाज में ऐसा रखा जा रहा है रिक्वीजीशन करने की बात को और वह सरकारी परपज के लिये ही होगा तो आज उनको हिमायत की जा रही है । ऐसा करने से एक्वीजीशन के मानी ही क्या रह जायंगे । इसलिये मैं इसको मानने से मजबूर हूं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मैंने यह नहीं कहा । मेरा कहना यह है कि सरकारी अफसरान के खिलाफ तो आप फोर्स इस्तेमाल कर ही नहीं सकेंगे । फोर्स इस्तेमाल हो सकता है छोटे मुलाजिमान के खिलाफ जैसे चपरासी या क्लर्क हैं । इस ऐक्ट से तकलीफ होगी तो छोटे मुलाजिमान को ही होगी । ऐसी व्यवस्था हमको इसलिये कर देना चाहिये जिससे उनके रहने के लिये कोई दूसरी जगह का प्रबन्ध हो जाय इसके पहले कि वह उस जगह को छोड़े । इसी वजह से मैंने इस संशोधन को पेश किया है । यह बिल्कुल जरूरी है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको मान लेंगे ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता था कि माननीय सदस्य की दलील मेरी समझ में नहीं आयी कि किस चपरासी के लिये रिक्वीजीशन हो रहा है, उसको निकाला जाय । यह तो डिरिक्वीजीशन जब किया जायगा, किसी अफसर या दफ्तर की बात है । मेरी समझ में नहीं आया कि आप चपरासी और सरकारी अफसर क्या मिला रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड २ में प्रस्तावित उपधारा (I-A) के अन्त में निम्नलिखित Proviso जोड़ दिया जाये --

"Provided that the persons concerned have any other accommodation available at the time"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (३) में प्रस्तावित उपधारा (5) के Proviso की पंक्ति ४ में शब्द "as to compensation or otherwise" निकाल दिया जाय ।

मैं समझता हूं कि इन अल्फाज को यहां रखने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, लिहाजा इनको निकाल दिया जाय ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे मान लिया जाय । माननीय सदस्य ने दलील ठीक से नहीं दी । मेरी समझ से यह मानने लायक नहीं है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं समझता हूं कि मंत्रीजी ने गौर नहीं किया इस पर। अगर वे इसको पढ़ें तो यह बिल्कुल गैरजरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (३) में प्रस्तावित उपधारा (5) के Proviso की पंक्ति ४ में शब्द "as to compensation or otherwise" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७ की धारा १० का संशोधन

६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १० को उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय—

"(2) The owner shall not ordinarily be required to execute repairs at a cost exceeding one month's letting value of the accommodation in a year. If in the opinion of the District Magistrate the accommodation needs any special repairs and the aggregate cost of all repairs is in any year likely to exceed one month's letting value of the accommodation and the owner does not agree to carry out such repairs, the District Magistrate may refer the matter to the Court which shall make such order and on such terms including those relating to payment of compensation, as it may consider necessary."

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में मूल अधिनियम की धारा १० की प्रस्तावित नयी उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"Provided that if the expenses incurred in repairs exceed one month's letting value they would be borne by the allottee or occupant of the requisitioned accommodation."

आप किसी की सम्पत्ति एक्वायर करें और फिर उसकी मरम्मत का भी भार उसके ऊपर डाल दें यह मैं समझता हूं ना इन्साफी पर बनी है। बेहतर यह है कि अगर उस एकोमाडेशन की मरम्मत करवानी है और जरूरी मरम्मत है तो एक महीने के किराये तक तो मुनासिब है, लेकिन इससे ज्यादा अगर उसके ऊपर भार पड़ता है तो वह उसके साथ ज्यादती है और इसी चीज को देखते हुए यह संशोधन मैंने पेश किया है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको जरूर स्वीकार कर लेंगे।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट का विषय था वहां तो ठीक है कि एक महीने का किराया लगा कर मरम्मत कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मकान ले लिया जाता है जबर्दस्ती।

जो मकान लिये जाते हैं वे ऐसे किराये पर लिये जाते हैं जो अनुचित होता है, यानी बहुत कम किराये पर मकान लिये जाते हैं । इसलिये जब मकान कम किराये पर मिल रहा है तो किरायेदार को ही रिपेयर करानी चाहिये और उसका खर्चा अपने ऊपर ले । अगर रिपेयर कराने का भार मालिक मकान के ऊपर रखा जायगा तो किरायेदार मकान को तोड़ ताड़ कर रख देगा और मकान मालिक को मरम्मत करानी होगी । इसलिये यह संशोधन उचित है और किरायेदार को ही रिपेयर का मूल्य अदा करना चाहिये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जैसा कि तिवारी जी ने स्वयं कहा कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट में एक महीने के किराये का मरम्मत में लगाने का प्राविधान है तो इसमें भी रहना चाहिये, क्योंकि मकान कोई मुफ्त में तो लिया नहीं जायगा । उसको वाजिब किराया मिलेगा । इसलिये इसमें रहना चाहिये अगर कोई किरायेदार मकान खराब कर दे तो उसको सिविल कोर्ट तय करेगा । मैं समझता हूं कि वह पुताई वगैरह कराये जब कि उसको अच्छा किराया मिलेगा ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मान्यवर, जो बात मंत्री जी फरमाते हैं वह तसल्लीबख्श नहीं है । यह मकान मालिक के साथ ज्यादती है । मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने को उस मालिक मकान की हैसियत में से तसव्वुर करें । जिसका मकान सरकार ने एक्वायर किया हो और उनसे कहा जाय कि तुम इसकी टूट फूट की मरम्मत कराओगे तो उनके साथ ज्यादती होगी । अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मेरे साथ भी यह ज्यादती होगी । मंत्री जी इसके ऊपर अपने को बहैसियत मालिक मकान तसव्वुर करते हुये गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह उसके साथ जुल्म है । उनको इसके स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये । यह बहुत ही जायज संशोधन है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, एक्वायर तभी करेंगे जब उसके पास फालतू चीज होगी । यह मूल अधिनियम में है । मकान मालिक को तो मकान देने में खुशी होनी चाहिये क्योंकि अच्छा टेनेंट मिलेगा और उसको किराये के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा और जहां सरकारी काम होता है वह मकान भी बिगड़ता नहीं है, बल्कि उसकी सजावट की जाती है । मेरे सोचने और आपके सोचने में फर्क है । आम तौर से किराया कम नहीं देते हैं, कायदे से देते हैं । यह सही है प्राइवेट लोगों की तरह से पगड़ी वगैरह नहीं देते हैं । इसलिये यह वाजिब है । रेंट कंट्रोल ऐक्ट में है इसमें भी रहे तो क्या हर्ज है ? अगर इससे ज्यादा खर्चा हो जायगा तो सिविल कोर्ट इसको तय करेगा इसलिए मेरा खयाल है कि आप ने अपना एक विचार बना लिया है उस पर दृढ़ हैं वरना वापस लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ में मूल अधिनियम की धारा १० की प्रस्तावित नयी उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"Provided that if the expenses incurred in repairs exceed one month's letting value they would be borne by the allottee or occupant of the requisitioned accommodation."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है।)

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९४७

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ह, पारित किया जाय।

मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत विवाद हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कान्स्टीट्यूशन (सिक्सटींन्थ) अमेंडमेंट बिल, १९६३

*समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन भारत के संविधान में संसद् के सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (सिक्सटींथ) अमेंडमेंट बिल, १९६३ द्वारा प्रस्तुत संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि हमारी नियमावली में जो नियम १८३ है उसके अनुसार यह प्रस्ताव मैंने सदन के सामने पेश किया है। इस सम्बन्ध में संविधान के आर्टिकिल ३६८ को देखने की आवश्यकता है। आर्टिकिल ३६८ में यह लिखा हुआ है कि संविधान में जब कोई संशोधन होगा, और कुछ खास आर्टिकिल्स हैं, उनमें जब संशोधन होगा तो वह संशोधन दोनों सदनों से पास हो जाने के बाद, प्रेसीडेंड के सामने पेश होने से पहले आधे से ज्यादा प्रान्तों से उसका अनुसमर्थन करवा लिया जायगा तब प्रेसीडेंट के सामने पेश किया जायगा। इस समय जो विधेयक हमारे सामने पेश है वह लोक सभा से और राज्य सभा से पास हो चुका है। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि जो कार्यवाही वहां की सदन में रखी गयी है उसके हिसाब से यह बिल लोकसभा में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेश किया गया था १८ जनवरी, १९६३ को। उसके बाद २२ जनवरी, १९६३ को इसके ऊपर पूरा विवाद वहां हो चुका है। उसके पश्चात् यह एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया और उसने अपनी रिपोर्ट १४ मार्च, १९६३ को पेश कर दी। उस रिपोर्ट पर लोक सभा में २ मई, १९६३ को विचार हुआ और यह बिल पेश किया गया। और ९ मई, सन् १९६३ को राज्य सभा ने उसको पास कर दिया। तो अब यह जो बिल इस वक्त आपके सामने है वह वहां दोनों सदनों से पास हो चुका है।

अब आपको केवल यह देखना है कि उसके द्वारा हम कांस्टीट्यूशन में क्या संशोधन करने जा रहे हैं। संशोधन यह है कि हमारे आर्टिकिल १९ में यह नहीं लिखा हुआ है कि यह जो हमारा भारत का राज्य है उसकी प्रभुता और अखंडता जिसको सावरेनटी और इन्टेग्रिटी कहते हैं, यह शब्द उसमें नहीं है। तो कुछ ऐसा सन्देह प्रकट किया गया सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में कि इससे सिक्योरिटी भर है मगर सावरेनटी और इन्टेग्रिटी नहीं है। तो इसका बढ़ना जरूरी है। तो इस विधेयक द्वारा जो कुछ लोक सभा करना चाहती है वह केवल यह है कि हमारे संविधान के आर्टिकिल १९ में यह दो शब्द बढ़ा दिये जायं, उसके खंड २, ३ और ४ में सावरेनटी और इन्टेग्रिटी यानी प्रभुता और अखंडता जोड़ दिया जाय। तो इससे अगर्चे कोई शख्स ऐसी कोई कार्यवाही करे जिससे कि हमारी सावरेनटी या इन्टेग्रिटी पर आंच होती हो तो यह जायज नहीं है और वह उसके मौलिक अधिकार में नहीं है। सिर्फ यह संशोधन करना चाहते हैं और उसी संशोधन का यह परिणाम होता है कि जो कसम लेने का फार्म होता है उसमें भी ये शब्द बढ़ा दिये जायं—अपहोल्ड दि सावरेनटी ऐंड इंटेग्रिटी। इस तरह से एक तो उसमें संशोधन यह है।

दूसरा संशोधन यह है कि जो कैन्डीडेट एलेक्शन में खड़ा हो तो उससे एक डिक्लेरेशन लेना है। अभी तक केवल यह होता है कि वह सिटीजन आफ इंडिया है तो ठीक है अब उसमें हम इतना हलफ और लेने की बात कर रहे हैं कि I will uphold the sovereignty and Integrity of India. जो एलेक्शन में खड़ा होगा वह इतना और लिख कर देगा कि वह भारत की प्रभुता और अखंडता को कायम रखेगा। ये दोनों संशोधन ऐसे हैं कि कोई सदस्य इनकी मुखालिफत नहीं कर सकता, कोई भी ऐसा नहीं है जो यह कहे कि भारत अखंड नहीं रहना चाहिए या भारत की प्रभुता नहीं रहनी चाहिये। अगर इन दोनों चीजों को लोक सभा और राज्य सभा संशोधन करके संविधान में लाना चाहती हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सदन को भी चाहिए कि उसका अनुसमर्थन या रैटि- फिकेशन कर दे क्योंकि और प्रदेशों में रैटिफिकेशन होगा और आधे से ज्यादा प्रदेशों में रैटिफिकेशन हो जायगा तभी यह विधेयक जो लोक सभा और राज्य सभा से पास हुआ है प्रेसीडेंट के सामने रखा जायगा और तब वह पास होगा और तब उसमें ये संशोधन होंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो रैटिफिकेशन की जरूरत है उस आवश्यकता को आप पूरा करेंगे और भारत की सावरेन्टी और इनटेग्रिटी को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं। मन्त्री जी ने १६ वां अमेंडमेंट पेश किया है, इसके पहले पन्द्रहवां अमेंडमेंट भी हो चुका है। तो वह पहले आना चाहिये उसको क्यों नहीं पहले हाउस के सामने पेश किया गया?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी पन्द्रहवां अमेंडमेंट वहां से आया नहीं।

श्री भगवानसहाय—

सवाल यह है कि पन्द्रहवां अमेंडमेंट पहले पास हुआ उसके बाद सोलहवां पास हुआ है तो आखिर क्या वजह है, क्या राज है इसके अन्दर कि वह नहीं रखा गया, मैं मंत्री जी से बिल्कुल साफ-साफ जानना चाहता हूं?

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

सोलहवें संशोधन के सम्बन्ध में उनका पत्र आया था ६ मई को कि आप इसको रैटिफाई करके भेज दीजिये और फिर वह नहीं जा सका तो २२ जून को फिर उनका खत आया कि रैटिफाई करके भेज दीजिये। यह अमेंटमेंट आ गया है, इसका रैटिफिकेशन हमसे मांगा गया है। अब पन्द्रहवें अमेंडमेंट के लिए देखना पड़ेगा कि पन्द्रहवें, अमेंडमेंट के रैटिफिकेशन की जरूरत भी है या नहीं क्योंकि हरएक अमेंडमेंट के रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती।

"368..... "Provided that if such amendment seeks to make any change in (*a*) article 54, article 55, article 73, article 162 or article 241, or (*b*) Chapter IV of Part V, Chapter V of Part VI, or Chapter I of Part XI, or (*c*) any of the Lists in the seventh schedule, or (*d*) the representation of States in Parliament, or (*e*) the provisions of this article, the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent.

यह इसमें दिया हुआ है और तभी आवश्यकता पड़ी है। हमारे पास केन्द्रीय सरकार से आया है कि इसमें आवश्यकता है। इसका रैटिफिकेशन करा कर भेज दीजिए। १५ वीं एमेंडमेंट के बारे में केन्द्रीय सरकार से नहीं आया, लेकिन मैं उस निगाह से देखता हूं कि आया उसमें आवश्यकता है या नहीं। अगर केन्द्रीय सरकार से आता तो जरूर मैं उसे पेश कर देता, लेकिन अब देख रहा हूं और जरूरत होगी तो सदन के सामने उसको भी लाया जायेगा।

श्री भगवानसहाय—

माननीय मंत्री जी ने अभी जो दलील पेश की है उसको देखते हुए हाउस के अन्दर इसके स्पष्टीकरण की और भी जरूरत है कि आया उसमें रैटीफिकेशन की जरूरत है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी उन्होंने खुद कहा है कि वह देख कर बता देंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, वैसे तो भारतीय जनसंघ इस बात का विरोधी है कि संविधान में नित्यप्रति एक संशोधन किया जाय, लेकिन यह संशोधन, ऐसा मौलिक संशोधन है जिसका विरोध कोई भी देश भक्त नहीं कर सकता। वास्तव में यह अत्यन्त सराहनीय कार्य है और इसका स्वागत ही किया जायगा।

श्रीमन्, जैसा कि मेरे मित्र कह रहे हैं यह संशोधन पहले लाना चाहिए था वह बात सही है। आज जब कि देश के अन्दर कई प्रकार के तत्व विराजमान हैं जो एक प्रकार से देश का विघटन करना चाहते हैं कहीं दक्षिण में द्रविड मुनेत्र कडगम की बात उठाकर, कहीं सिक्खिस्थान की मांग कर के कहीं नागालैन्ड की बात उठा कर के, नाना प्रकार की विघटनकारी मांगें, स्वतंत्र रूप से रहने के लिए, उपस्थित करके देश की अखंडता को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, तब इस प्रकार का विधेयक लाना आवश्यक है। मेरा विश्वास है कि इसका असर निश्चित रूप से होने वाला है जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और जो हमारे अधिकारी हैं सब पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। वास्तव में देश की प्रभुसत्ता और अखंडता की बात स्वागत के योग्य है और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—

श्रीमन्, अब इसमें जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मित्र भी अखंडता चाहते हैं। हम भी चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अखंडता न चाहता हो। जिन्ना साहब चले गये अब सभी इसका समर्थ करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन "भारत का संविधान" में संसद् के सदनों द्वारा पारित कांस्टीट्यूशन (सिक्सटीन्थ अमेंडमेंट) बिल, १९६३, द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह बहुत छोटा-सा विधेयक है। हमारा जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका विधेयक है उसके ५८० खंड में यह लिखा हुआ है कि यदि इस अधिनियम के चलाने में उसके मुताबिक काम करने में कुछ कठिनाई वक्तन-फवक्तन सामने आये तो सरकार उनको हटा सके। लिहाजा वक्तन-फवक्तन ऐसा हुआ भी। पहले वह २ साल के लिये था, लेकिन बदकिस्मती से वह डिफिकल्टी रही तो उसको बढ़ाया गया और उस समय को ४ साल बढ़ाया गया। जो संशोधित रूप था वह ४ साल का था, लेकिन इस में जो प्रार्थना है वह यह कि इस ४ साल के समय को ५ साल कर दिया जाय। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका समय खत्म हो चुका है, लेकिन २, ३ चीजें अभी ऐसी हैं जिनकी वजह से कुछ दिक्कत पैदा हो सकती है। एक तो सर्विसेज का विषय है जिनका फाइनलाइजेशन अभी तक नहीं हो सका है और जब तक उसका फाइनलाइजेशन न हो जाय तब तक उससे कठिनाई पैदा हो सकती है।

दूसरे कुछ जमीन का विषय है। खासतौर से कानपुर में कुछ जमीन एक्वायर की गई थी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा। अगर इस का समय बढ़ाया न जाय तो वह जमीन इसके दायरे से बाहर निकल जायगी। सरकार इस विषय में यह सोच रही है कि एक अमेंडिंग बिल लाकर इसको संशोधन कर दें ताकि यह दिक्कत न रहे।

तीसरी जो दिक्कत है वह छोटे-छोटे शब्दों के हेर-फेर की है जिनको अमेंडिंग बिल लाकर दुरुस्त किया जा सकता है। इसलिये यह बहुत छोटा-सा संशोधन है और मुझे आशा है कि सदन इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक को परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर प्रस्तुत करे।

वास्तव में जो यह संशोधन है जैसा मन्त्री जी ने बतलाया वह कुछ दिक्कतों को दूर करने के लिये लाया गया है। वैसे तो खास बातें नहीं हैं बल्कि ४ साल से ५ साल किये जाने की बात प्रमुख है। इस प्रस्ताव के माध्यम से एक बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार कोएक आदत-सी पड़ गई है। सरकार एक नियम बना

---

†२३ सितम्बर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रक्षपालसिंह]

लेती है और उस नियम के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त कर लेती है और फिर उसके अन्तर्गत जैसा आदेश सरकार चाहे वैसा आदेश जब चाहे जारी कर देती है। यह ४८० धारा जो नगर महापालिका अधिनियम की है वह जिला परिषद् अधिनियम की २७२ की तरह से है। यह ४ साल से ५ साल करने की जो बात है पता नहीं वह सरकार के लिये कौन से आदेश हैं जिनको सरकार बनाये रखना चाहती है? इस ऐक्ट के अन्दर कोई ऐसा प्राविजन नहीं है जिसमें ४ साल से ५ साल करने की बात कही गई हो। सरकार वैसे ही उसके अन्तर्गत आदेश जारी कर सकती है और अपना काम कर सकती है। पहले २ साल किया गया और उसके खतम होने पर फिर मियाद बढ़ाई गई। उस समय उन कठिनाइयों को दूर नहीं किया जा सका। जो ४ साल किया गया था उसमें अब एक साल और समय बढ़ाने की बात कही जा रही है। यह कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जो एक सिद्धान्त की बात हो। जो काम समय के अन्दर और एक निश्चित समय के अन्दर पूरा हो जाना चाहिये सरकार उस काम को पड़े रहने देना चाहती है। इस तरह से काम कभी पूरा नहीं हो सकता है। ऐसा करने की जो भावना है वह केवल एक ही भावना का दिग्दर्शन कराती है कि सरकार समय के अन्दर कोई काम नहीं करना चाहती। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं सरकार की इस भावना का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इन सब बातों पर विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मन्त्री महोदय ने जिस मासूमियत के साथ इस बिल को पेश किया है उस से इस बिल के खतरे से इस सदन को अहसास नहीं है। यह जो अमेंडिंग बिल लाये हैं यह बहुत खतरनाक है। सन् १९५९ में यह महापालिका ऐक्ट आया था और उसके बाद बराबर इसका पीरियड एक्सटेंड किया जाता रहा है। यह एक प्रकार से कानून के उसूल का खून हो रहा है और जिसकी शायद इस हाउस को वाकफियत नहीं है। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या रिमूवल आफ टेम्पोरेरी डिफिकल्टीज आर्डर से आप स्टैचुअरी कानून की मंशा को बदल सकते हैं या नहीं? यह एक बड़े उसूल का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस बिल को देखा जाय तो जैसा मासूम बिल मंत्री जी ने इसे बताया है वैसा यह है नहीं। हो सकता है कि इसके खतरे का एहसास मंत्री जी को न हो। कारपोरेशन ऐक्ट में एक दफा है ३६५ उसके सब क्लाज ४ में कहा है:

"(4) All acquisition of land and interest in land for an improvement scheme authorized under this Chapter shall be completed at least up to the stage of making awards within a period of five years from the date of the notification of the Scheme under Section 363 and any land in respect of which the acquisition is not so completed and the owner and occupier thereof shall cease to be subject to any liabilities under this Chapter:

Provided that the State Government may in any particular case before the expiry of such period and for reasons to be recorded in writing extend the period by one year."

तो जो भी स्कीम कारपोरेशन ऐक्ट में डेवलपमेंट की उन्होंने ली, उसमें एक स्टैचुअरी प्राविजन इस धारा के हिसाब से यह रखा कि वह स्कीम ५ साल में पूरी होनी चाहिये और अगर वह किसी हालत में पूरी न हो सके तो एक साल की अवधि और वह कारण बता कर ले सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, धारा ५७७ जो कारपोरेशन ऐक्ट की है उसके क्लाज—बी में कहा गया है कि:

"577. (*b*) any notice or notification or sanction of any improvement scheme for the area included in the City issued under the U. P. Town Improvement Act, 1949 or the Cawnpore Urban Area Development Act, 1945,

shall be deemed to have been issued under this Act and all further proceedings in furtherance of such scheme may be taken accordingly ; ”

तो उन्होंने यह तय कर दिया कि जो स्कीम बनायी जायगी म्युनिसिपल बोर्ड की वह इस धारा के हिसाब से कारपोरेशन की स्कीम मान ली जायगी और उनको स्टेट्यूटरी ला बनाया ।

एक बात सदन को और अवगत कराना चाहता हूं कि जब यह कानून १९५९ में आया था ३६५ का क्लाज ५ साल का नहीं था । सिलेक्ट कमेटी को जब रिफर हुआ तो उसने रखा कि ५ साल के अन्दर पूरा होना चाहिये और अगर नहीं हो सकता है तो उस विशेष कारण के साथ एक साल की अवधि और बढ़ायी जाय । यह स्टेट्यूटरी प्रावीजन है । कानपुर में जो पुरानी स्कीम्स चली आ रही हैं जिसमें २०–२०, २५–२५ साल हो गये हैं और ऐसी १० कम से कम हैं और इस टेम्पोरेरी रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के अनुसार उस स्टेट्यूटरी पावर को खत्म करना चाहते हैं । मैं इस सम्बन्ध में कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया कमेंटरी से कोट करना चाहता हूं :

“It is enough to state that it is acknowledged on all hands that it is permissible for the Legislature to delegate the function of “subordinate legislation”, i.e., to make bye-laws, rules, regulations and orders to effectuate the policy laid down in the statute made by the Legislature and to carry out, in details, the Scheme and policy of the statute (as distinguished from the power to amend the statute itself). These different kinds of subordinate legislation do not profess to lay down the law or to modify the legislative policy, but only to implement the law made by the Legislature.”

तो लेजिस्लेचर ने ला बनाया कि ५ साल में करना है और आप इस रिमूवल आफ डिफिकल्टीज बिल के द्वारा उसे खत्म करना चाहते हैं और करते आये हैं । इस सारे सदन को मालूम है कि जब अंतरिम जिला परिषद् विधेयक को भी रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर के द्वारा जोकि कानून के अन्दर स्टेट्यूटरी सेक्शन था कि प्रेसीडेन्ट्स का नामिनेशन नहीं, बल्कि इलेक्शन होगा उनका उन्होंने नामिनेशन किया और हाई कोर्ट से दो दफा स्ट्रक डाउन कर दिया गया । तो यह एक बहुत खतरनाक चीज है । इंगलैण्ड में हाउस आफ कामन्स में एक रूलिंग चलता है “हेनरी एट्थ क्लाज” । जिस वक्त हेनरी एट्थ रूलर था तो जो कानून पार्लियामेंट बनाती थी वह रायल डिक्री से अमेंड कर देता था । यह जरूर था कि हेनरी एट्थ के प्रेरोगेटिव, बादशाह और पार्लियामेंट की ताकतें क्या थीं, एक दूसरे से सम्बन्ध क्या था ये चीजें तय नहीं हुई थीं, इसलिए वह करता रहा, लेकिन यह डिसप्यूटेड प्वाइंट रहा और मजाक में इस तरह की चीजों का नाम रहा “हेनरी एट्थ क्लाज” । तो यह अमेंडमेंट जो आप लाये हैं वह भी हेनरी एट्थ क्लाज है । जो विधान सभा ने कानून पास किये हैं, जिन पर प्रेसीडेंट और गवर्नर की असेंट मिली है उनको आप इंडायरेक्टली खत्म करना चाहते हैं ।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ है । उसमें एक रूलिंग चीफ जस्टिस केनिया की है जो देहली लाज ऐक्ट, १९१२ के बारे में है, का हवाला मैं दे रहा हूं । उसमें एक जगह लिखा है—

“. . . . The essentials of the legislative functions, viz., the determination of the legislative policy and its formulation as a rule of conduct, are still in the Parliament or the State Legislatures as the case may be and nowhere also. . . . . ”

फिर कहते हैं—

“. . . . . All the decisions of the Privy Council unequivocally affirm that it is not competent for the Indian Legislature to create a body possessing the same powers as the Central Legislature itself. . . . . ”

अगर आप सेक्शन ६५ को चेंज कर देते तो आपकी ईमानदारी होती । आप संशोधन ला सकते थे, लेकिन इस तरह से एक ऐसी चीज के आधार पर जो कानूनन गलत है, इसको

[श्री भगवानसहाय]

करना ठीक नहीं है। यह तो अदालत में एक मिनट भी नहीं ठहर सकता। कारपोरेशन को जो रूल्स में पावर्स मिली हैं आप उनको खत्म करना चाहते हैं।

चीफ जस्टिस केनिया के फैंसले का एक और पैसेज आपकी सेवा में रखना चाहता हूं—

"....In my opinion, therefore, to the extent section 7 of the Delhi Laws Act permits the Central Executive Government to apply any law passed by a Provincial Legislature to the Province of Delhi, the same is *ultra vires* the Central Legislature. To that extent the Central Legislature has abdicated its functions and therefore the Act to the extent is invalid....."

तो जो भी लाइनें मैंने इस किताब से पढ़ीं, मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। अगर आपने इसको पास करा लिया तो इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। अभी अंतरिम जिला परिषद् के मामले में क्या हुआ उसको आपने देख ही लिया है....

श्री उपाध्यक्ष—

उसमें तो यही है कि वह आर्डिनेंस के जरिये हो सकता था।

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, जिसको आप डाइरेक्टली नहीं कर सकते, उसको इनडाइरेक्टली करने का भी आपको अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी के सचिवालय ने मंत्री जी को पूरी बात से अवगत नहीं कराया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो वाकयात मैंने मंत्री जी के सामने रखे हैं उन पर वे विचार करें और वे जरूर मेरी बातों से कन्विन्स हो जायेंगे। और जो भी लाज बनायें वह ऐसे बनायें जो मूल अधिनियम को खत्म करने वाले न हों। हमको भी संविधान से यह पावर नहीं मिली है।

फिर, एक और सवाल है। पहले तो १२ महीने ओरिजनल ऐक्ट में रखा, फिर २० महीने के लिये, फिर ४४ महीने के लिये और फिर १६ महीने के लिये। अगर यह उसूल का सवाल नहीं होता तो भी मैं मान लेता। लेकिन हर चीज की अवधि का हर समय बढ़ाना सरकार के साथ एक दाल–रोटी हो गई है। पहले तो गाफिल रहते हैं, और उसके बाद यकायक जल्दी-जल्दी इस बात की कोशिश करते हैं कि इसकी अवधि बढ़ा दी जाय। मुझे अफसोस है कि मैं इसके ऊपर पूरी तैयारी नहीं कर सका कि सन् १९५२ से लेकर आज तक इस तरह के कितने संशोधन यह सरकार लाई है। अगर सरकार इस सदन का मजाक बनाना चाहती है तो फिर गवर्नर्स रूल या अपना रूल कर दे। परन्तु मेहरबानी करके जब तक कानून है, उसकी सैंक्टिटी को, उसके महत्त्व को कायम रखिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसे वह वापिस लें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन से आपके भी कान सुनते-सुनते थक गये होंगे कि जो विधेयक भी आये हैं उनमें केवल यही चाहा गया है कि इनका जीवन–काल बढ़ा दिया जाय। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो सरकार की निष्क्रियता। उनको पता नहीं था कि ३० सितम्बर को यह कानून समाप्त होने जा रहा है और ६ साल की अवधि बढ़ा ली जाती है। सरकार पहले से सोती रहती है और ३० सितम्बर को जागती है और कहती है कि अवधि बढ़ा दी जाय। इस प्रकार से आज १ साल बढ़ाया। साल भर बाद फिर कहेंगे कि २ साल बढ़ा दो। इससे ढिलाई पैदा होती है। इसे रोकने के लिये सरकार को ये मियाद बढ़ाने के कानून नहीं लाने चाहिये।

दूसरी बात होती है बोनाफाइडीज की। सरकार ने यह नहीं बतलाया कि इससे क्या उसका लाभ या नुकसान होने जा रहा है। उसने एक आर्डर निकाल दिया हाई कोर्ट ने उसे रद्द किया, फिर सरकार आर्डिनेंस लाई। इस प्रकार यह एक और दिक्कत पैदा करता है। इसलिये हमारा अनुरोध यह है कि जैसा कि भगवान सहाय जी ने बताया कि यह विधेयक किसी खास मकसद के लिये है जिससे किसी खास प्रकार का अनुचित लाभ होने जा रहा है, इसलिये इसको लाया गया है। मैं माननीय रक्षपालसिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं बहुत ध्यान से अपने मित्र कानून के पंडित, श्री भगवान सहाय की स्पीच सुन रहा था। मैं नहीं समझ सका कि वे किस डर से डर रहे थे। एक मासूम-सी चीज मैंने सदन के सामने रखी जिसको मारने के लिये उन्होंने अपनी विद्वत्ता दिखाई। इससे मुझे हैरानी हुई। जो कुछ भी है सदन के सामने है। मेरिट्स के ऊपर भी हम जायं तो ५ साल बाद वह जमीन छूट जायगी, नोटिफिकेशन इनवेस्ट हो जायगा। इसके जरिये से हम कारपोरेशन्स की मदद ही करना चाहते हैं। नगरपालिका अधिनियम के बनाने में मेरा भी थोड़ा-सा हिस्सा रहा था। किसी के दिमाग में यह बात नहीं आयी कि जो स्कीमें पिछले पांच सालों से चल रही हैं वे एक दम कैसे बंद हो जायेंगी। कुछ पांच साल से ज्यादा से अधिक से चल रही थीं जिनके लिये किसी का इन्टेंशन यह नहीं था कि वह एबरप्टली बंद हो जायं।

श्री भगवानसहाय—

मैंने यह कहा था कि जब ओरीजिनल बिल आया था तो ५ साल का क्लाज उसमें नहीं था। लेकिन जब यह सेलेक्ट कमेटी को रिफर किया गया तब उसमें यह पांच साल का क्लाज आया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

किस हालत में और किस स्टेज पर आया, यह सब बात इर्रेलेवेन्ट है। हमारी मंजूरी से वह आया और सदन ने उसको पारित किया और आज भी हम समझते हैं कि वह चीज ठीक है। लेकिन यह उस समय भी कहा कि किसी के दिमाग में यह बात नहीं आयी। जिन स्कीमों को ५ साल या उससे भी ज्यादा अर्सा हो गया उनको कैसे एक दम खत्म कर दिया जाय बिना किसी नोटिस के। जब माननीय सदन की उस पर मुहर लग गयी तो फिर इस चीज को कहने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। दूसरी बार इसको हम इसलिये लाये हैं कि डिफीकल्टीज अभी रिमूव नहीं हुई हैं। एक बात सर्विसेज की भी है। कोई भी आदमी यह नहीं चाहता कि किसी आदमी की सर्विसेज समाप्त हो जायं लेकिन जब तक पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव नहीं हो जाते तब तक उनको रखने और नामिनक्लेचर को बदलने का अधिकार नगर अधिकारी को दिया गया है। इसके द्वारा सरकार कोई चीज ऐसी नहीं करने जा रही है जिसके द्वारा वह अपनी ख्वाहिश को लाद रही हो। पिछले चार सालों में भी सरकार ने कोई ऐसा ऐक्शन नहीं लिया है। पांचवीं साल में जो बदल हम करना चाहते हैं वह आपके सामने है। इसके अलावा और कुछ करने नहीं जा रहे हैं। उनकी सर्विसेज एबरप्टली खत्म न हो जायं इसलिये यह बिल लाया गया है। तो खामख्वाह हर बात में किसी के मोटिव पर शक करना, यह कोई बहुत भलमनसाहत का नमूना नहीं है। हमें एक दूसरे की सदाशयता, ईमानदारी और अक्लमंदी पर पूरा विश्वास रखना चाहिये। तीन चीजें जो रह गयी हैं उनको मैंने बतलाया और उनको वैलिडेट करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है, इसमें कोई प्रिंसिपल की बात नहीं है कि यहां यह शब्द न रख कर वह शब्द आना चाहिये। अगर आप कहें तो उनको फिर से पढ़ दूं। नमूने के लिये जैसे "फाइनेंशियल ईयर" होना चाहिये वहां 'ईयर' है, इसको ठीक करना है। इसी तरह से कुछ छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स हैं जिनको करना है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी जिन करेक्शंस व अमेंडमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं वे हम लोगों के पास तो आये ही नहीं हैं, उनको वे अपने पास रखे हुए हैं और हम लोग बहस करते जा रहे हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

ये सारी चीजें सदन की मेज पर रखी गयी थीं। हो सकता है कि फौरन माननीय सदस्यों के दिमाग में वे बातें न हों।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

सदन की मेज पर रखने से क्या होता है। न तो उन्हें हम लोगों के पास भेजा गया है और न पिजन होल्स में ही वे हमें मिलीं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

यह तो जिस समय विधेयक पेश होता है उस समय हुजूर रखा जाता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, मैं कोई अदालत तो हूं नहीं, फिर यहां हुजूर का क्या सवाल है। श्रीमन्, आप हमारे संरक्षक हैं, जितने भी संशोधन हैं उनकी कापी हम लोगों को मिलनी चाहिये जिसकी तहत में हम उन पर बहस कर सकें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

दो कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञायें सन् १९६० में जारी की गयीं और मेज पर रखी गयीं। तीसरी आज्ञा सन् १९६१ में जारी की गयी और वह भी मेज पर रखी गयी। तो सदन को अंधेरे में रख कर या उसकी ना जानकारी में कोई काम नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

आयन्दा इस तरह की चीजें माननीय सदस्यों को मिल जानी चाहिये। यह गलती हो गयी है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

ये छोटे-मोटे संशोधन भी इसमें इनकारपोरेटेड होने चाहिये। माननीय मंत्री हमें विश्वास करने को कहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कैसे विश्वास किया जाय जब कि छोटी-मोटी बातें भी हमारे सामने नहीं रखी जातीं? जब हमारे सामने वे अमेंडमेंट्स ही नहीं हैं तो हम किस पर क्या बहस करें?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, आज इसे स्थगित कर दें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, यह छोटा-सा विधेयक है, इसको आज आप स्थगित कर दें, कल थोड़ी देर में पास हो जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

मैं उनको पढ़ कर सुनाए देता हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

इससे काम नहीं चलता। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। इसको आज स्थगित करा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह गलती हो गयी है। इसको विदहोल्ड करना तो ठीक नहीं, क्योंकि इसे आज ही पास करना है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

आप हमारे अधिकारों का हनन न करें। अन्तरिम जिला परिषद् के सम्बन्ध में जिस तरह का अत्याचार हुआ और जो जो भ्रष्टाचार हुआ और उससे जितनी सारी परेशानी हुई सब तो आपको मालूम ही है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, कोई भी संशोधन बिना नोटिस के नहीं आ सकता, चाहे वह एक बिंदी, कामा या फुलस्टाप हटाने की ही बात क्यों न हो। संशोधन के लिये तो आपके नियमों में प्रक्रिया है, उसे आप देख लें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

इसको आज आप स्थगित करा दें और कल इसे पास कर लेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह--

नियम १४० को जरा देख लें।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिये एक घंटा रखा गया था, जिसमें से आधा घंटा तो हो चुका।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

घंटे का प्रश्न नहीं है। यह नेकनियती की बात है। इस पर आप विचार करें संशोधन आयें जिनका हमें ज्ञान ही न हो तो यह कहां तक उचित है, और हम उन पर क्या विचार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

संशोधन तो केवल इतना है कि ४ के बजाय ५ हो जाय।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

४ या ५ का कोई प्रश्न नहीं है। इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्यों को सोचने विचारने का मौका तो मिलना ही चाहिये। यह कोई ४-५ संशोधनों का प्रश्न नहीं है, कल भी इसी तरह से एक प्रस्ताव द्वारा ६ वर्ष होने की बात थी, वह तो सोच समझ कर यह लाये होंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उस साहित्य में क्या है। इसलिये हमें अवसर दिया जाय ताकि हम समझ सकें कि कैसे यह वह ला रहे हैं। नियम में जैसा है कि इतने घंटे पहले सूचना मिलना चाहिये ताकि हम भी देख सकें कि क्या कारण संशोधनों का है। इस तरह से हम विचार नहीं कर सकते जब तक कि हमें उस की कापी और पर्याप्त समय न मिल जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

जितनी चीजें श्रीमन्, उस से सम्बन्धित हैं वे सब सदन की मेज पर रखी गई हैं। यह दो तीन छोटी सी नोटीफिकेशन्स हैं जो बिलकुल मामूली हैं, उन्हें मैं यहां पढ़ दूं तो अवश्य ही सदन को वह सुनकर मान्य हो जायेंगी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, इन को जान बूझ कर छिपाया गया है, वह हमें मिलना चाहिये और पर्याप्त समय मिलना चाहिये ।

श्री भगवानसहाय--

श्रीमन्, वह चीज सदन की मेज पर रखी गई या नहीं इस की अथारिटी आप हैं, आप अपनी व्यवस्था दें कि वे रखी गई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी कह रहे हैं उन की बात आप सुन लें । मैं दिखवा कर ही बता सकता हूं कि वह रखी गई या नहीं ।

श्री भगवानसहाय--

श्रीमन्, केवल कानून ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसका प्रोसीजर महत्वपूर्ण होता है अगर वह फालो नहीं होता है तो वह अवैधानिक है । सदन की मेज पर रखी गई या नहीं इस की अथारिटी आप हैं आप की आज्ञा से ही सब चीज सदन की मेज पर रखी जाती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आप को अभी दिखवा कर बताये देता हूं । (कुछ क्षण बाद) अभी मालूम किया है, मेज पर अगर रख दी गई है तो उस की कम्पलायंस हो गई है ।

(व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह--

श्रीमन्, मैं नियम १३८ के अनुकूल जानना चाहता हूं कि इसमें कोई छोटे बड़े संशोधन का सवाल नहीं है, एक बिन्दु के संशोधन की भी सूचना क्या आप को है ? यह सूचना ३६ घंटे पहले होना चाहिये नियम १३८ के अनुसार । जब भी आप नियम के खिलाफ चलते हैं तो सदन में गड़बड़ होती है अगर नियम का पालन हो तो कोई गड़बड़ न हो ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप किस नियम के बारे में कह रहे हैं ?

कुंवर श्रीपालसिंह--

नियम १३८ है कि "यदि विधेयक के किसी खंड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से ३६ घंटे पूर्व न दी गयी हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा, और यदि अध्यक्ष, संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दें दें, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी ।" इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप को ३६ घंटे पहले संशोधन की सूचना मिल चुकी है ?

(व्यवधान)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, इस समय २ प्रश्न सदन के सामने हैं कि क्या मंत्री जी नियमों का उल्लंघन कर के उस स्टेज पर सदन में बगैर लाये हुये उस साहित्य के संशोधन ला सकते हैं और क्या ३६ घंटे की नोटिस नियमानुसार दी गई और तीसरे आप अपनी अनुमति देकर उनका इस प्रकार एन्क्रोच करना हमारे अधिकारों को रोकें और ऐसी परम्परा कायम न करें, हमारी प्रार्थना है कि इस को आप कल तक के लिये रोक दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसके सम्बन्ध में जितने डिफिकल्टीज रिमूवल आर्डर्स हुये हैं वे सदन की मेज पर आ चुके हैं, वह विदड्रोल्ड नहीं हुये हैं और अब अगर कोई छोटी-मोटी चीज आ गई है तो ऐसे संशोधनों की इजाजत तो स्पीकर दे ही सकता है ।

(व्यवधान)

(मंत्री जी से) क्या आप कोई संशोधन ला रहे हैं ?

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये शान्ति से ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

आप पूछ तो लें, मंत्री जी से क्या वे कोई और संशोधन ला रहे हैं, क्योंकि इनके पास काफी बड़ा खाता है ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

कोई भी चीज नियम के बाहर नहीं की जा रही है । शोर मचा कर मुझको गैंग कर दें यह ठीक नहीं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन् ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी कोई संशोधन आया नहीं तो व्यवस्था का प्रश्न आप कैसे कर सकते हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

जिन संशोधनों को मंत्री जी छोटे-मोटे संशोधनों के नाम से पेश करना चाहते हैं उनको भी अधिनियम के अन्दर कायदे से इनकारपोरेट करना चाहिये था । आपने गलती को मंजूर किया है, इसलिये यह विधेयक नहीं चल सकता आप इसको स्थगित करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

कोई संशोधन पेश हो, तभी आपत्ति कीजिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

यदि आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते तो हम आपकी रूलिंग के खिलाफ वाक आउट करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यही समझ में नहीं आता कि आपकी क्या प्रार्थना है । आप जाना चाहें तो चले जायं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

आप नियम ११३ को देखें । जब मंत्री जी भाषण कर रहे थे तो माननीय केशरीप्रसाद पांडेय जी ने कागज मांगे वह हमको मिले नहीं । अब उनके पास क्या है हम क्या जानें । नियम १३१ का पालन होना चाहिये जो नहीं हुआ ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम के मुताबिक मेज पर रख दिये गये, यह मैं आफिस से दरयाफ्त करके ही आपसे कह रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मंत्री जी जब भाषण कर रहे थे उस समय आप कहते, जो अब कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम का पालन पूरा-पूरा हो गया। अब आप बैठें और जब कोई संशोधन आये तो आपत्ति कीजिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

पूरा-पूरा हो गया, यह क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष--

जो जरूरत है वह सब पूरी हो गई ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

मैंने अपना प्रस्ताव रख दिया और आशा करता हूं कि सदन उसको स्वीकार करेगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मैं मंत्री जी के उन संशोधनों का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी कोई संशोधन नहीं है। जब आयेंगे तब विरोध कीजियेगा।

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, आपको भी पता नहीं था कि ऐसा कोई संशोधन है। एक तरफ नेक नीयती का नारा लगाते हैं और दूसरी ओर वह चीजें जो हमको नहीं दी गई उनको भी पास करवाना चाहते हैं। उनको भी पास करा लिया जाय। अगर मंत्री जी उसे पेश न करना चाहें तो मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब करें तब आप कहियेगा ।

श्री रक्षापालसिंह--

जो विधेयक आज से पहले पेश किया गया उसकी कापी यहां है । उसके अन्दर एक ही संशोधन रखा गया है । बाकी मंत्री जी ने आपकी मेज पर रख दिया, यह हमको मालूम नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेज पर कुछ नहीं रखा है। आप 'वहम' की बात करते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

यह 'वहम' शब्द का इस्तेमाल उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

'वहम' की बात तो है ही जब की कोई संशोधन नहीं रखा गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

ऐसे छोटे-छोटे संशोधन हैं इसकी चर्चा उन्होंने ही की हमने नहीं की। इसलिये वहम की बात हम नहीं करते। वहम की बात उधर से होती है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

प्वाइंट आफ आर्डर, सर। आपने व्यवस्था दी की जितने संबंधित संशोधन हैं उन सब के कागजात रख दिये गये हैं और अपने आफिस से दरियाफ्त कर लिया है। कार्यवाही रखी है उसे जरा देख लिया जाय और यह बता दिया जाय कि आप अपने आफिस से क्या-क्या दरियाफ्त किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैनें जो कहा है उसे जरा समझ लीजिये। ४८० के अन्तर्गत जितने संशोधन आते हैं, जितने नियम बने है वे सब यहां भेज पर रख दिये गये हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

नियम बनाने की बात नहीं आई है। इस विधेयक से संबंधित जितने संशोधन हैं उनको माननीय मंत्री जी हाउस की टेबिल पर रख दिये हैं और आपने आफिस से दरियाफ्त कर लिया है। तो आप कृपया बतला दें कि वे कौन-कौन सा संशोधन हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जितने रूल्स बनाये गये हैं वे सब रख दिये गये हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

कार्यवाही रखी गयी है। उसे फिर से आप देख लीजिये और पढ़ लीजिये। उसी के मातहत आपने आफिस से दरियाफ्त किया है। उसी बात को मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने दरियाफ्त किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह यह है कि ४८० के अन्तर्गत जितनें नियम बने हुए हैं वे सब मेज पर रख दिये गये हैं।

(श्री हुकुमसिंह विसेन के खड़े होने पर)

श्री कल्पनार्थसिंह—

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उपनेता खड़े हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

पहले विचित्र भाई से पूछा लिया जाय कि कोई संशोधन है या नहीं, अगर नहीं है तो फिर यह सब बहस बेकार है। बिना जाने बूझे इतना शोरगुल करना कहां तक उचित होगा ?

श्री कल्पनार्थसिंह—

प्वांइन्ट आफ आर्डर्स, सर। उपनेता कह रहे हैं कि कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, तो मैं कार्यवाही का हवाला देता हूं। आपने कहा मैंने आफिस से पूछा और यह पता लगा लिया है कि जितने संशोधन इस विधेयक से संबंधित है वे हाउस की टेबिल पर रख दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

४८० के अन्तर्गत जितने नियम बनाये गये हैं वे यहां रख दिये गयें हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, उपनेता सदन ने आपसे प्रार्थना की थी कि माननीय मंत्री जी से यह दरियाफ्त कर लिया जाय कि जो संशोधन बिल में है उसके अलावा कोई और संशोधन रखना चाहते हैं या नहीं। तो उसको आप पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिला वजह कोई बात करना चाहते हैं तो मैं ख्वाम-ख्वाह के लिये क्यों पूछूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

बिला वजह अगर मेरे लिये गलत है तो आपके लिये भी गलत है। मैं सदन में एक जिम्मेदार सदस्य हूं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

आपने जो कहा है उसको वापस लें। आप इस तरह से काम नहीं चला सकते हैं, सदन का।

श्री रक्षपालसिंह—

वास्तव में जो चर्चा हो गयी और जो यहाँ का वातावरण गर्म हो गया वह जो मंत्री महोदय ने कागज दिखाये उसकी वजह से हुआ। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से संकेत है कि वह विज्ञप्तियों, आर्डर्स और नियम हैं जिनको सरकार लागू करना चाहती हैं। तो किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि ४८० के अन्दर केवल मियाद बढ़ना है, लेकिन मंत्री महोदय अपने भाषण में कह गये कि मेरे पास कुछ छोटे-छोटे संशोधन हैं जिनको वे करना चाहते हैं और आपने कह दिया कि उनकी प्रति हमें प्राप्त हो गयी है। वास्तव में यह सारा वातावरण इसी कारण से पैदा हो गया वरना कोई विरोध का कारण नहीं है। मंत्री महोदय अगर ४८० का ही संशोधन कर रहें हैं और कोई छोटा या बड़ा संशोधन नहीं ला रहे हैं तो हमें कोई विरोध नहीं है।

मंत्री महोदय ने कहा कि हम जो संशोधन कर रहे हैं वह आपके द्वारा करा रहे हैं, यह बात ठीक है, परन्तु सरकार ने जो अध्यादेश चुपके-चुपके पास कर लिया यही विरोध करने की बात है और उसका विरोध निश्चित रूप से होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपनी बात खत्म करता हूं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—

मेरा प्रस्ताव है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपना प्रतिवेदन एक मास के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय घंटी बज रही है।

श्री रामायणराय—

जो मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि प्रश्न उपस्थित किया जाय उस पर बिना मत लिये कैसे हम लोगों से मत लेने के लिये कहा ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये 'हां' 'नहीं' द्वारा मत लिये गये और चैलेंज किया गया ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

प्रश्न उपस्थित करने के लिये आपको प्रस्ताव करना चाहिये था जो आपने नहीं किया । घंटी बजवा दी है, यह अवैधानिक है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मंत्री जी ने यह प्रस्ताव किया कि जब प्रश्न उपस्थित किया जाय । उसका प्रस्ताव अलग से होना चाहिये था । पहले आपको उस पर मत लेना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष—

रक्षापालसिंह जी ने जवाब दिया । उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जवाब नहीं देना है, यह मतलब था उनका ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मतलब से काम नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये मिनिस्टर साहब ने जवाब न देना उचित समझकर यह कहा कि प्रश्न उपस्थित किया जाय । तो बहस में क्या बात है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं सदन से अपील करना चाहता हूं कि सदन किसी भी तरह से गलत कार्यवाही न चलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

गलत कार्यवाही कौन सी हुई ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यह हुई कि प्रश्न उपस्थित करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित हुआ । आपने उसे पेश नहीं किया, पेश न करना यह गलती है।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका मतलब यह था कि मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं । हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३१८ में यह है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

[श्री जगदीशप्रसाद]

लेकिन मैं सदन में देख रहा हू कि आपके विनिश्चय के ऊपर यह आपत्ति की जाती है कि आपने यह गलती की वह गलती की यह नियम ३१८ के बिलकुल विरुद्ध है। यह अध्यक्ष को अधिकार है कि सदन के कार्य को किसी तरह से चलाये। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करुंगा कि आप इस पर कार्यवाही करें।

(श्री रामायणराय के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामायणराय—

जरा सुन तो लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं।

(विरोधी दलके सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो, तथा जो अपना प्रतिवेदन एक मास के अंदर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० की उपधारा (१) में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ५८० का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियत् १९५९ को एतद्पश्चात् प्रकट होने वाले प्रयोजन के निमित्त संशोधन करने के लिये उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५९

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, शीर्षक और प्रस्तावना इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री कल्पनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो भाषण करने के लिए खड़ा हुआ हूं, अब आप की जैसी आज्ञा हो । मैं सदैव आपकी आज्ञा की तामील करने वाला हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक घंटा टाइम था वह खत्म हो चुका । इस लिए मैं मजबूर हूं ।

श्री कल्पनाथसिंह—

थर्ड रीडिंग में कोई माननीय सदस्य, मेरे जैसा अगर विरोध करने के लिए खड़ा हो जाय तो किस नियम के अन्तर्गत उसको बोलने का अधिकार नहीं है इस पर व्यवस्था दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

टाइम हाउस ने फिक्स किया था ।

सदन का १५ मिनट टाइम बढ़ाया जाता है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

प्रार्थना यह है कि आपकी आज्ञा मानने की मैंने इच्छाहिश प्रकट की । आप जानते हैं कि मैं सदैव आज्ञा मानता ही रहता हूं ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

मेरा प्रस्ताव है कि टाइम बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने १५ मिनट का टाइम स्वयं बढ़ा दिया है ।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि आप कृपा करके यह तो कह दें कि .....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । साढ़े पांच बज गये । अब इसके बाद चूंकि कोई प्रस्ताव नहीं आया इस लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम २२८ में है—"सदन के संकल्प के अनुसार निश्चित समय पर किसी विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम अथवा अन्य कार्य को पूरा करने के लिए अध्यक्ष विधेयक के उस प्रक्रम अथवा अन्य कार्य से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे।"

श्री कल्पनार्थसिंह—

मेरा नाम आप ने लिया। किसी माननीय सदस्य को पुकारने के बाद फिर तो उनको अधिकार है कि वह भाषण कर लें अपना।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ही बोलना शुरू कर दिये, मैंने नहीं बुलाया।

श्री कल्पनार्थसिंह—

आपने नहीं बुलाया था। अच्छा तो मैं खड़ा हूं। अब तक आपने नहीं बुलाया और मैं आप को देख रहा हूं। आप की मेरी बातचीत हो रही है। आपकी निगाह मेरे ऊपर है। तो श्रीमन्, अब आप मुझे पुकारिये। तब मैं बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष—

तो अब आप दो मिनट बोल लीजिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जी बिल्कुल, आप की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। (व्यवधान) श्रीमन्, या तो वे प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करें तो मैं बैठ जाऊं। बीच-बीच में यह ठीक नहीं लगता।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा अब आप कहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि आप की आज्ञा के पहले जितना भाषण इन्होंने दिया है उसका क्या होगा? क्या वह प्रोसीडिंग का भाग रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

जल्दी करिये। दो मिनट में खत्म करिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरी व्यवस्था का जवाब तो दीजिये। जो आप की आज्ञा के बिना बोले उसका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो कुछ बोले ही नहीं.....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

बोले ही नहीं, यह तो गलत है। मुझे अफसोस है तथा यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सदन के सामने कहते हैं कि वह बोले ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बराबर सदन को आब्स्ट्रक्ट करते हैं। मेरी आज्ञा के बिना यदि कहा गया होगा तो वह डिलीट हो जायगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इतनी कशमकश के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं दिल से आप का बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि इतना बड़ा विरोध हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आप ने मुझे आज्ञा दी। श्रीमन्, जरा यह देखिये न कि यदि मंत्री लोग जल्दी-जल्दी ऐसे हाथ कर रहे हैं, यह मुझे काहे को धमका रहे हैं। जरा इनको समझा दीजिये। इस हाउस में अगर इस तरह से बात करेंगे तो क्या होगा। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं क्या करूं। आप मंत्री लोगों को समझाइये।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, आप कोई खास बात नहीं कहना चाहते।

श्री कल्पनार्थसिंह—

तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप की व्यवस्था का सभी माननीय सदस्य और मंत्री पालन करेंगे। मेरा निवेदन यह था कि इस संशोधन में जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है सदन के सदस्यों से....

श्री उपाध्यक्ष—

बिल पेश है। उन्होंने कोई संशोधन नहीं पेश किया है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जो बिल पेश हुआ है वह क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह विधेयक तो संशोधन करने का विधेयक है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

तो उसी पर मैं कह रहा हूं कि यह महापालिका संशोधन विधेयक है तो मैंने कौन सी गलती कर दी कि आप यह कह रहे हैं कि यह संशोधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप को कुछ कहना नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

नहीं, यह बात नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि माननीय सदस्यों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। ऐसी कोई गलतफहमी हमें नहीं है कि इस संशोधन के अतिरिक्त वह कोई और संशोधन पेश करने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह थर्ड रीडिंग है। इसमें तो यह है कि विधेयक पारित किया जाय। इस पर आप को जो कहना हो कहिये।

श्री कल्पनार्थसिंह—

यही मैं कह रहा हूं। मैं इसका विरोध करता हूं और सदन से यह चाहूंगा कि वह भी इसे पास न करे।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

आप ने दो मिनट टाइम दिया था वह समाप्त हो गया।

श्री कल्पनार्थसिंह—

हां, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप खत्म कर दीजिए।

श्री कल्पनार्थसिंह—

अरे ! यह तो वाक्य पूरा नहीं हो पाया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कुछ कहना नहीं चाहते इसलिए मैंने कहा कि अब आप खत्म कर दीजिए।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं कहना चाहता हूं। जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है....

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य बहुत देर से इर्रेलेवेन्ट तकरीर कर रहे हैं। इससे सदन का कीमती समय जाया हो रहा है तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी इर्रेलेवेंट बातें यहां नहीं होनी चाहिए जिससे सदन का समय जाया हो। मैं आप के द्वारा माननीय सदस्य से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि जो कुछ भी वे कहें टू दी प्वाइन्ट हो और ऐसा कहें जो कि मौके के लिहाज से सही और दुरुस्त हो।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्पनार्थसिंह जी अब आप खत्म कीजिए।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, बड़ी बदकिस्मती है मेरी, प्वाइन्ट आफ आर्डरों के मारे तो मेरा नाको दम हो गया है। ये लोग मुझे कुछ कहने ही नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष—

या तो आप कुछ कहिए या बिराज जाइये।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं कहना ही तो चाहता हूं, लेकिन ये लोग कहने नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष—

जल्दी कहिए।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, बिलकुल जल्दी कहूंगा। मेरा निवेदन यह है कि यह जो संशोधन विधेयक मंत्री जी ले आये हैं, इस सदन में, उसके द्वारा वे एक साल का समय बढ़ाना चाहते हैं और जिन गल्तियों और त्रुटियों पर आधारित संशोधन है वह त्रुटियां साल भर तक ही रहेंगी या आगे इसकी कोई गारन्टी नहीं है। किस-किस संशोधन का किस-किस बात पर क्या इफैक्ट होगा इसका कोई विस्तृत विवरण मंत्री जी ने इस सदन में नहीं रखा जिससे यह समझा जाये कि इसका जनता पर या महापालिका के कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा। माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहिए था कि वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से वे इसको एक साल के लिए एक्सटेन्ड करना चाहते हैं और यह भी कहना चाहिए था कि जब से यह नगर महापालिका विधेयक बना तब से उन्होंने इन त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन क्यों नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका टाइम हो गया, आप कृपा कर विराजिए ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन एक निवेदन यह करता हूं कि अपने जवाब में मंत्री जी पूरी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करेंगे और सदन के सम्मानित सदस्यों से भी मैं अपील करूंगा कि अगर वे उस पर विस्तृत प्रकाश न डालें तो सदन के माननीय सदस्य भी माननीय मंत्री द्वारा पेश यह संशोधन विधेयक गिरा दें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है उसको यह सदन स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल १०.३० बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४२ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२५ सितम्बर, १९६३ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

सूची

वर्ष १९६१–६२ में हरिजन सहायक विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यय किये गये अनुदानों का विवरण ।

योजना का नाम	स्वीकृत किया गया धन	व्यय किया गया धन
	(लाख रु० में)	
१—गृह निर्माण:		
(अ) हरिजनों के लिये	१०.००	४,७५,३०६
(ब) नान शिड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिये ..	०.१५	८,१००
(स) विमुक्त जाति के लिये ..	४.००	१,५४,८०६
२—हरिजनों के गृह निर्माण एवं कार्य स्थल हेतु भूमि का क्रय	५.००	१,८३,६६५
३—शहरी क्षेत्रों में भंगियों के गृह निर्माण के लिये	५.१२	२८,६७९
४—हरिजन बस्तियों में सफाई की व्यवस्था के लिये	०.२०	६,५००
	२४.४७	८,५७,०५६
५—हरिजन पेय जल कूप निर्माण ..	८.००	५,०४,९९८
	८.००	५,०४,९९८
६—गृह उद्योग—		
(अ) हरिजनों के लिये ..	३.८३	२,०७,२७६
(ब) नान शिडयूल्ड ट्राइबल्स के लिये ..	०.५०	१४,९०२
(स) विमुक्त जाति के लिये ..	४.००	१,१७,६३४
७—वन सहकारी समितियों को अनुदान ..	०.२५	५,०००
	८.५८	३,४४,८१२
८—कृषि उत्थान एवं लघु सिंचाई योजना—		
(अ) हरिजनों के लिये	५.००	१,८४,९९८
(ब) नान शिडयूल्ड ट्राइबल्स के लिये ..	०.१५	३,२४०
(स) विमुक्त जाति के लिये ..	३.००	९४,८५६
	८.१५	२,८३,०९४
९—हरिजनों की कृषि बस्तियों के लिये ..	१.२०	४५,०००
१०—विमुक्त जातियों के पुनर्वास के लिये ..	९.३६	२,७००
११—हरिजनों के छात्रावास के लिये भवन निर्माण	३.८०	२,५९,५०९
१२—मेहतरों के काम करने की प्रणाली में सुधार	४.९६	—
	१९.०२	३,०७,२०९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८१ पर)

निलम्बित पंचायत निरीक्षकों की सूची

पंचायत निरीक्षक का नाम	निलम्बन की तिथि	निर्वाह भत्ते का भुगतान तिथि तक हो चुका है	कब से भुगतान होना शेष है	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१—श्री उमाशंकर राय, जिला झांसी।	८ जुलाई, १९६१	३१ जुलाई, १९६३ तक।	मास अगस्त, १९६३	अगस्त, १९६३ मास के निर्वाह भत्ते के भुगतान की कार्यवाही हो रही है।
२—श्री कृपाशंकर दुबे, जिला झांसी।	७ अगस्त, १९६१	..	..	निदेशक, पंचायतराज ने १७ अगस्त, १९६३ तक की अवधि तक का सम्पूर्ण निर्वाह भत्ता दिए जाने के आदेश दे दिये हैं।
३—श्री दीनदयाल चौरसिया, जिला हमीरपुर।	२ मई, १९६१	३१ अगस्त, १९६३ तक	..	—
४—श्री गजेन्द्र दत्त अग्निहोत्री, जिला बांदा।	१३ मार्च, १९६१	३१ अगस्त, १९६३	..	..
५—श्री भगवानदास यादव, जिला बहराइच।	२५ सितम्बर, १९६१	३१ अगस्त, १९६३	..	..
६—श्री इन्द्रप्रसाद यादव, जिला बस्ती।	२७ अक्तूबर, १९६१	३१ जुलाई, १९६३	मास-अगस्त, १९६३	श्री यादव को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से पदारूढ़ कर दिया गया है। कार्य भार ग्रहण करने पर मास अगस्त, १९६३ के निर्वाह भत्ते का भुगतान कर दिया जायगा।
७—श्री रमाकान्त मिश्र, जिला कानपुर	२९ अप्रैल, १९६०	३१ अगस्त, १९६१	मास अगस्त,	—
८—श्री शिवकुमार मिश्र	१ फरवरी, १९६३	३१ अगस्त, १९६३	—	—

नत्थी की गई

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८८ पर)

सूचना

क्रम-सं०	नाम अनुदान ग्रहीता एवं पता	स्वीकृत ऋण-राशि तथा स्वीकृति की तिथि	अनुदान भुगतान एवं दिनांक		
			प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त
१	२	३	४	५	६
१	१—श्री खेम चन्द्र चमार, ग्राम व डाकखाना हंसारी गिर्द, झांसी । ..	९०० २८-५-६०	३०० २१-६-६०	११५ ९-११-६०	३०० ८-६-६१
			योग		७१५
२	२—श्री बुद्धा गौरी, ग्राम व डाकखाना हंसारी, गिर्द, जिला झांसी । ..	१,००० १७-२-६१	—	—	—
			योग		—

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

नाम जिला		प्रधान पद	पंचपद	योग
१—देहरादून	..	१३,२८८—००	७१,७४८—००	८५,०३६—००
२—सहारनपुर	..	१,५८,४९४—००	९,८९,२०२—००	११,४७,६८६—००
३—मुजफ्फरनगर	..	६४,३४८—००	३,५४,०२६—००	४,१८,३७४—००
४—मेरठ	..	१,१२,२२६—००	४,६४,९६४—००	५,७७,१९०—००
५—बुलन्दशहर	..	पदवार सूचना उपलब्ध नहीं है		५,५८,९००—००
६—अलीगढ़	..	८०,३९४—००	५,०६,८४२—००	५,८७,२३६—००
७—मथुरा	..	४७,३१८—००	२,४५,७१०—००	२,९३,०२८—००
८—आगरा	..	६०,६२४—००	२,८४,७६१—००	३,४५,३८५—००
९—मैनपुरी	..	३४,८८४—००	१,३२,९१४—००	१,६७,७९८—००
१०—एटा	..	९६,३६६—००	४,४५,४९६—००	५,४१,८६२—००
११—बरेली	..	६६,१४४—००	३,२७,३१२—००	३,९३,४५६—००
१२—बिजनौर	..	६७,१२०—००	३,७२,९१८—००	४,४०,०३८—००
१३—बदायूं	..	१,१३,५५२—००	४,०३,३२२—००	५,१६,८७४—००
१४—मुरादाबाद	..	७९,२६०—००	३,९८,६६४—०९	४,७७,९२४—००
१५—शाहजहांपुर	..	७४,३८२—००	३,८५,०७२—००	४,५९,४५४—००
१६—पीलीभीत	..	३९,९३४—००	२,०९,८५४—००	२,४९,७८८—००
१७—रामपुर	..	३९,१८०—००	२,०४,६७८—००	२,४३,८५८—००
१८—फर्रुखाबाद	..	४०,७४६—००	१,५१,६९८—००	१,९२,४४४—००
१९—इटावा	..	७२,८१४—००	३,७५,८०८—००	४,४८,६२२—००
२०—कानपुर	..	९१,५२९—००	५,२१,५५५—००	६,१३,०८४—००
२१—फतेहपुर	..	५८,७४८—००	३,४४,८४८—००	४,०३,५९६—००
२२—इलाहाबाद	..	१,३३,३७०—००	६,५३,२०४—००	७,८६,५७४—००
२३—झांसी	..	५७,७०२—००	३,०२,२५२—००	३,५९,९५४—००
२४—जालौन	..	४२,२१८—००	२,३५,६९४—००	२,७७,९१२—००
२५—हमीरपुर	..	३१,०२०—००	१,४१,०४८—००	१,७२,०६८—००
२६—बांदा	..	१८,१३२—००	९८,०९४—००	१,१६,२२६—०
२७—वाराणसी	..	४८,७३२—००	२,२९,१७०—००	२,७७,९०२—००
२८—मिर्जापुर	..	६९,९७६—००	३,८४,९९४—००	४,५४,९७०—००
२९—जौनपुर	..	८०,५३२—००	४,९७,१९०—००	५,७७,७२२—००
३०—गाजीपुर	..	६५,५७४—००	४,१२,१८३—००	४,७७,७५७—००

नाम जिला		प्रधान पद	पंचपद	योग
३१—बलिया	..	६५,३३२—००	४,१०,५८७—००	४,७५,९१९—००
३२—गोरखपुर	..	१,४८,११६—००	५,०९,११४—००	६,५७,२३०—००
३३—बस्ती	..	१,८४,९१२—००	१०,२८,४४२—००	१२,१३,३५४—००
३४—आजमगढ़	..	६०,४५६—००	२,८५,९२४—००	३,४६,३८०—००
३५—देवरिया	..	१,३९,९३२—००	८,४३,६४५—००	९,८०,५७७—००
३६—नैनीताल	..	३०,३१४—००	१,५३,४८०—००	१,८३,७९४—००
३७—अल्मोड़ा	..	६०,४८०—००	३,४२,२०६—००	४,०२,६८६—००
३८—पौड़ी गढ़वाल	..	४८,५३०—००	३,२७,०७८—००	३,७५,६०८—००
३९—टिहरी-गढ़वाल	..	२६,०००—००	१,२५,२५८—००	१,५१,२५८—००
४०—उत्तरकाशी	..	५,२४४—००	२५,५४२—००	३०,७८६—००
४१—चमोली	..	७,९०८—००	४४,३५२—००	५२,२६०—००
४२—पिथौरागढ़	..	७,५६०—००	४४,२८६—००	५१,८४६—००
४३—लखनऊ	..	४३,१५२—००	२,६९,८७४—००	३,१३,०२६—००
४४—उन्नाव	..	३०,०९६—००	१,३८,६५४—००	१,६८,७५०—००
४५—रायबरेली	..	७४,९५२—००	४,८२,०८२—००	५,५७,०३४—००
४६—सीतापुर	..	१,०२,३६६—००	५,२०,२२०—००	६,२२,५८६—००
४७—हरदोई	..	९५,६७४—००	४,८५,८१०—००	५,८१,४८४—००
४८—खीरी	..	७२,२९६—००	३,९३,८९२—००	४,६६,१८८—००
४९—फैजाबाद	..	३९,७५६—००	१,८३,८९४—००	२,२३,६५०—००
५०—गोंडा	..	१,१८,९८८—००	६,७२,२९६—००	७,९१,२८४—००
५१—बहराइच	..	७८,७३४—००	४,७९,७८०—००	५,५८,५१४—००
५२—सुल्तानपुर	..	६,४४४—००	६०,२०५—००	६६,६४९—००
५३—प्रतापगढ़	..	८२,१७६—००	४,१३,२३०—००	४,९५,४०६—००
५४—बाराबंकी	..	७७,५३६—००	४,२४,४५८—००	५,०१,९९४—००
योग	..	४१,६२,५५१—००	१,८८,०६,५३०—००	२,३५,३०,९८१—००

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९९ पर)

तालिका

"एलोपैथिक चिकित्सालय"

चिकित्सालय के नाम	१९६१-६२ में दी गई औषधियों का मूल्य	औषधियों पर अतिरिक्त व्यय
	रु०	
१—टी० बी० आइसोलियेशन अस्पताल, कानपुर	१०,०००	
२—लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर ..	७६,४००	
३—अपर इंडिया सुगर एक्सचेंज लि० मेटेरनिटी चिकित्सालय, कानपुर ..	१५,०००	
४—दीनानाथ पार्वती बागला आई० डी० अस्पताल व टी० बी० विंग, कानपुर ..	१९,५००	
५—जे० के० कैन्सर इन्स्टीट्यूट, कानपुर ..	५,०००	
६—ए० एच० एम० अस्पताल, कानपुर ..	३९,९४२	
७—यू० एच० एम० अस्पताल, कानपुर ..	१,७५,२६०	
८—कमलापति अस्पताल, कानपुर ..	२५,५००	
९—गवर्नमेंट टी० बी० क्लिनिक, कानपुर ..	१५,०००	
१०—रूरा मेल चिकित्सालय ..	२,५००	
११—रूरा फिमेल चिकित्सालय ..	२,५००	
१२—कठारा चिकित्सालय ..	३,१००	
१३—कृष्णानगर चिकित्सालय ..	२,५००	
१४—डुन्डवा चमोली चिकित्सालय ..	२,५००	
१५—शिवली चिकित्सालय ..	२,५००	
१६—घरोर चिकित्सालय ..	२,५००	
१७—कुबेरीपाल चिकित्सालय ..	२,५००	
१८—सिन्नक चिकित्सालय ..	२,५००	
१९—गजनेर चिकित्सालय ..	२,५००	
२०—अमरौधा चिकित्सालय ..	२,५००	
२१—कल्यानपुर चिकित्सालय ..	२,५००	
२२—चौबेपुर चिकित्सालय ..	३,०००	
२३—भीतरगांव चिकित्सालय ..	३,०००	
२४—ककवान चिकित्सालय ..	२,५००	

चिकित्सालय के नाम		१९६१-६२ में दी गई औषधियों का मूल्य	औषधियों पर अतिरिक्त व्यय
		रु०	
२५—रसूलाबाद चिकित्सालय	..	२,५००	
२६—दरशनपुरवा चिकित्सालय	..	१९,८४८	
२७—अशोकनगर चिकित्सालय	..	२९,८००	
२८—अस्सी फिट रोड चिकित्सालय	..	४८,१६०	
२९—कौशलपुरी चिकित्सालय	..	२९,०००	
३०—आचार्यनगर चिकित्सालय	..	४९,६९६	
३१—जूही चिकित्सालय	..	६३,०००	
३२—बाबू पुरवा चिकित्सालय	..	२९,०००	
३३—चमनगंज चिकित्सालय	..	३४,९४४	
३४—हुमायूं बाग चिकित्सालय	..	३२,२४०	
३५—नाला रोड चिकित्सालय	..	५२,५५०	
३६—ग्वालटोली चिकित्सालय	..	३५,६२५	
३७—खलासी लाइन चिकित्सालय	..	४६,६००	
३८—सूटरगंज चिकित्सालय	..	४६,७२८	
३९—रामबाग चिकित्सालय	..	५९,१५२	
४०—रानीगंज चिकित्सालय	..	२४,२८८	
४१—डिप्टी का पड़ाव एवं रायपुरवा चिकित्सालय		७१,६००	
४२—पटकापुर चिकित्सालय	..	३३,४९६	
४३—लाटूश रोड १ व दो चिकित्सालय	..	४९,८०८	
४४—रेलबाजार चिकित्सालय	..	५६,६००	
४५—नवाबगंज चिकित्सालय	..	३२,८३२	
४६—मीरपुर चिकित्सालय	..	३६,०४०	
४७—जाजमऊ चिकित्सालय	..	४८,४००	
४८—गोविन्दनगर चिकित्सालय	..	३०,२६४	
४९—शास्त्रीनगर चिकित्सालय	..	२८,०००	
५०—मोबाईल (ए) चिकित्सालय	..	१०,०००	
५१—मोबाईल (बी) चिकित्सालय	..	१०,०००	
५२—ई० एस० आई अस्पताल पांडुनगर, कानपुर		७०,०००	
आयुर्वेदिक चिकित्सालय			
५३—रामनगर चिकित्सालय	..	६३३.७०	२३.७५
५४—रनिया चिकित्सालय	..	३७७.२८	—

चिकित्सालय के नाम		१९६१–६२ में दी गई औषधियों का मूल्य	औषधियों पर अतिरिक्त व्यय
५५—सरवनखेरा चिकित्सालय	..	४८५.७८	३९.०३
५६—गौरीभगवन्तपुर चिकित्सालय	..	६८१.२६	३५.७३
५७—मूसा नगर चिकित्सालय	..	६४९.९३	४६.८०
५८—बड़ागांव भिक्खी चिकित्सालय	..	३६०.०७	५.४१
५९—उत्तरीपुरा चिकित्सालय	..	९४६.०९	८.५०
६०—परास चिकित्सालय	..	५५८.२०	८.२१
यूनानी चिकित्सालय			
६१—बारा चिकित्सालय	..	२३९.११	३.०६
६२—डूल चिकित्सालय	..	३३९.०१	—
होमियोपैथिक चिकित्सालय			
६३—मझावन	..	२२६.६५	—

महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
स्वास्थ्य मंत्री ।..

परिशिष्ट 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०१ पर)

ग्राम सेवक पद हेतु अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची, जिला गाजीपुर

क्रमांक	श्रेष्ठता की क्रम-संख्या	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	परीक्षा में प्राप्तांक			कुल योग
			लिखित	शारीरिक	संदर्शन	
			२००	५०	१००	
१	२	३	४	५	६	७
		सर्वश्री				
१	१	गिरिजाशंकर चतुर्वेदी, ग्राम जंजीरपुर, पो० पीरनगर, गाजीपुर	१६३	३५	५०	२४८
२	२	भिष्मदेव सिंह, ग्रा० व पो० खरसरा, जिला बलिया ..	१६१	३५	४५	२४१
३	३	अम्बिका राम, ग्रा० सिकन्दरपुर, पो० करन्डा, गाजीपुर ..	१६३	३५	४१	२३९
४	४	विन्ध्याचलसिंह, ग्रा० कटघरा, पो० सुजनोपुर, जिला गाजीपुर ..	१४४	४०	५३	२३७
५	५	कामता प्रसाद, ग्रा० व पो० सहवल, गाजीपुर ..	१५६	४०	४०	२३६
६	६	सूबेदार राम, ग्रा० बहुरा, पो० गौरी, गाजीपुर ..	१४१	४०	५४	२३५
७	७	मु० मुनीर, मुहल्ला गारा बाजार गाजीपुर शहर ..	१५०	३५	४६	२३१
८	८	सर्व देवनरायन लाल, ग्रा० अवंती, पो० बिलदारनगर, गाजीपुर	१४९	४०	४०	२२९
९	९	रघुवंश राय, ग्रा० हरिहरपुर, पो० मुहम्मदाबाद, गाजीपुर ..	१४५	४०	४२	२२७
१०	१०	चन्द्रकिशोर राय शर्मा, ग्रा० व पो० गड़ुवा मकसूदपुर, गाजीपुर	१४२	४०	४३	२२५

क्रमांक	श्रेष्ठता की क्रम-संख्या	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	परीक्षा में प्राप्तांक			
			लिखित	शारीरिक	संदर्शन	कुल योग
			२००	५००	१००	
१	२	३	४	५	६	७
११	११	श्री राम सिंह, ग्रा० फरीजपुर, पो० कारी, जिला बलिया ..	१३५	४०	४९	२२४
१२	१२	देवेन्द्रनाथ सिंह, ग्रा० कबीरपुर, पो० बहिरीयाबाद, गाजीपुर	१३१	५०	४१	२२२
१३	१३	राम देव राम, ग्रा० महुई, पो० गोसपुर, गाजीपुर ..	१३५	३५	५०	२२०
१४	१४	बलेश्वर सिंह, ग्रा० जंजोरपुर, पो० पीरनगर, गाजीपुर ..	१२८	३५	५६	२१९
१५	१५	हरिश्चन्द्र लाल, ग्रा० अवंती, पो० गोइदावीसुनपुरा, गाजीपुर ..	१४०	३५	४३	२१८
१६	१६	मुसाफिर राम, ग्रा० पो० जखनिया, गाजीपुर ..	१३५	४०	४१	२१६
१७	१७	विजयशंकर श्रीवास्तव सोनवानी पो० कारी, जिला बलिया ..	१२९	३५	५०	२१४
१८	१८	राम प्रवेश ओझा, ग्रा० चन्द्रवरा, पो० पड़सर, जिला बलिया ..	१३३	४०	४०	२१३
१९	१९	राधेश्याम सिंह, ग्रा० व पो० मवधा, गाजीपुर ..	१३१	४०	४०	२११
२०	२०	कपिल देव सिंह, ग्रा० व पो० विरवल पुर, गाजीपुर ..	११९	४५	४६	२१०
२१	२१	अब्दुल गफ्फार, ग्रा० अवेरी, पो० पीरनगर, गाजीपुर ..	११५	४०	५०	२०५
२२	२२	सूर्यभान सिंह, ग्रा० व पो० जलालाबादपुर, गाजीपुर ..	११७	३५	५१	२०३

क्रमांक	श्रेष्ठता क्रम-संख्या	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	परीक्षा में प्राप्तांक			कुल योग
			लिखित	शारीरिक	संदर्शन	
			२००	५००	१००	
१	२	३	४	५	६	७
२३	२३	आनन्द उपाध्याय, ग्रा० पो० मेहेतियां, गाजीपुर ..	१२२	३५	४३	२०२
२४	२४	चन्द्रदेव सिंह यादव, ग्रा० अहलोलपुर, पो० तारीघाट, जिला गाजीपुर	११२	४५	४५	२०२
२५	२५	सुखदेव सिंह, ग्रा० मदरा, पो० जखनिया, गाजीपुर ..	१११	४५	४५	२०१

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

सलेमपुर ५/१४/४०/(परिपत्र)।

मुख्य-मंत्री, लखनऊ

बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०, सलेमपुर रात ९ १/२ बजे हरिकेवल प्रसाद सोशलिस्ट गये मारा; महान क्षोभ तुरन्त कार्रवाई करें।

उग्रसेन एम० एल० ए०।]

हिंदी भवन

नत्थी

(देखिये तारांकित प्रश्न ११६

क्रम-संख्या	नाम संस्था	ब्लाक	अपहरित धनराशि	विवरण
१	२	३	४	५
१	पीपर गांव साधन सहकारी समिति लि०	धनपतगंज	१६२-२५	वसूली दर्ज नहीं
			१२९-३८	वसूली गबन ।
२	मतेड़ा सहकारी समिति लि०	लम्भुआ ..	१९२-८५	तहवील गबन
३	जलालपुर साधन समिति लि०	अखंड नगर	२२७३-०८	तहवील गबन ..
				फर्जी ऋण वितरण
			१७०-१२	वसूली गबन ..
			६९-००	वसूली गबन ..
			१०-००	वसूली गबन ..
४	सहकारी संघ, रानी गंज ..	मुसाफिरखाना ..	२०११-४४	खाद गबन ..
५	सरैया भाफी सहकारी समिति लि० ।	धनपतगंज ..	१,१०७-९४	तहवील गबन ..

'ज'

का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१४ पर)

उत्तरदायी व्यक्ति का नाम	कब और किसने पकड़ी	गबन का समय	सारांश आख्या
६	७	८	९
श्री बाल सिंगार सिंह ह० एकाउन्टेन्ट श्री देवी दयाल, खजांची	जनवरी ६३ में आडिटर द्वारा ।	१९६१-६२	जांच की गई और वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।
श्री राजाराम सिंह खजांची ।	फरवरी, ६३ में आडिटर द्वारा ।	१९६१-६२	जांच की जा रही है सम्बन्धित व्यक्तियों को रुपया जमा करने के लिये नोटिस दो जा चुकी है सालसी कार्यवाही की जा रही है ।
श्री अवधेशसिंह एकाउन्टेन्ट ।	..	१९६१-६२	श्री अवधेशसिंह एकाउन्टेंट, श्री छगनसिंह सरपंच व श्री सीताराम पूर्व कार्यकर्त्ता के विरुद्ध सालसी कार्यवाही की जा चुकी है ।
श्री छगनसिंह सरपंच श्री गूदरपाल कुर्क अमीन, श्री सीताराम पूर्व कार्यकर्त्ता ।	फरवरी, ६३ में आडिटर द्वारा ।	१९६१-६२	श्री गूदरपाल कुर्क अमीन से अपहरित धनराशि की वसूली के लिये सी० ओ० (वसूली) आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।
	,,	१९६१-६२	
	,,	१९६१-६२	
श्री कृष्णमुरारीसिंह, पूर्व मंत्री श्री त्रिलोकी-नाथ पूर्व सुपरवाइजर	दिसम्बर, ६२ सहायक निबन्धक एवं ए० डी० ओ० (सी) द्वारा ।	१९६१-६२	विशेष जांच की जा रही है और सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूली का प्रयत्न किया जा रहा है । सम्बन्धित सहकारी पर्यवेक्षक को नोटिस दिया जा चुका है कि वह अपहृत धनराशि तुरन्त जमा कर दें अन्यथा उन पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
श्री सूरजप्रसाद खजांची ।	मई, ६३ में आडिटर द्वारा ।	१९६१-६२	जांच की जा रही है । विभागीय कार्यवाही के द्वारा वसूली का प्रयत्न किया जा रहा है ।

१	२	३	४	५
६	सहकारी बीज भंडार, दरियापुर	बल्दी राय ..	४,३८७-००	फर्जी दाखिला बैंक । ..
७	सहकारी संघ दरियापुर	बल्दीराय	१,७०५-३०	वसूली दर्ज नहीं और खाद गबन
८	परिगणा सहकारी समिति लि०	प्रतापपुर कमेचा (चांदा)	३,३१०-४६	तहबील रोकी गई है
९	वेलवाई सहकारी क्रय-विक्रय एवं गन्ना विकास समिति लि०	अखंड नगर ..	३,९५८७-९५	नकदी तथा स्टाक की कमी और अन्य गोल-माल ।
			३,३५९-१५	,,
			७,९०३-८८	,,
१०	सहकारी संघ ढ़ेमा	.. दोस्तपुर ..	७९-३८	बिक्री धन एवं स्टाक का अपहरण ।
	योग	..	..	६६,७३१-४५

६	७	८	९
श्री बी० सी० पांडेहेड क्लर्क (सीड) ए० आर० कार्यालय श्री बंशीधरसिंह पूर्व सुपरवाइजर ।	जनवरी, ६३ में सहायक निबन्धक द्वारा ।	१९६१-६२	श्री बी० सी० पांडेय ज्येष्ठ लिपिक (बीज) से अपहृत धनराशि (४३८ रुपये) वसूल कर ली गई है । श्री बंशीधर पूर्व सुपरवाइजर पर आरोप लगाकर उनका उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है तथा मामला स्थानीय अनुशासन उप-समिति के विचाराधीन है ।
श्री बंशीधरसिंह पूर्व सुपरवाइजर ।	जनवरी, ६३ में सहायक निबन्धक द्वारा ।	१९६१-६२	आरोप-पत्र दिया जा चुका है । जांच पूर्ण हो चुकी है । विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।
श्री बनवारीसिंह खजांची	ए० डी० ओ० (सी) द्वारा ।	१९६१-६२	उत्तरदायी व्यक्ति को वैधानिक सूचना दी जा रही है । जांच हो चुकी है वसूली के लिये विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।
श्री रामानुज मिश्र पूर्व एकाउन्टेन्ट ।	सहायक निबन्धक द्वारा अक्तूबर, ६२ में ।	१९६१-६२	श्री रामानुज मिश्र भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट को स्थानीय अनुशासन उप समिति सुल्तान-पुर ने चाकरी से पृथक करने के लिये यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन, लखनऊ को लिखा है जो उक्त यूनियन के विचारा-धीन है । इसके अतिरिक्त उक्त गबन का मामला पुलिस को दे दिया गया है ।
श्री दीपधर चतुर्वेदी पूर्व मंत्री व्यवस्थापक ।	सहायक निबन्धक द्वारा अक्तूबर, ६२ में ।	१९६१-६२	श्री दीपधर चतुर्वेदी भूतपूर्व मंत्री व्यवस्थापक को सहकारी
श्री आर० सी० विश्व-कर्मा, वर्तमान मंत्री तथा पूर्व एकाउन्टेट । श्री रामानुज मिश्रा	सहायक निबन्धक द्वारा अक्तूबर, ६२ में ।	१९६१-६२	पर्यवेक्षक के पद पर पदच्युत कर दिया गया है । श्री आर० सी० विश्वकर्मा वर्तमान मंत्री व्यवस्थापक के खिलाफ मामले की विभागीय जांच एवं कार्य-वाही चल रही है ।
श्री रामसहाय एका-उन्टेन्ट एवं श्री राम-नरेश तिवारी सुपर-वाइजर ।	जून, ६३ में आडिटर द्वारा ।	१९६१-६२	जांच की जा रही है । सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) का सहायक निबन्धक द्वारा धन अपहरण करने वाले व्यक्तियों से अपहृत धनराशि को शीघ्र ही वसूल करने का निर्देश दिया जा चुका है ।

परिशिष्ट 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१७ पर)

१—श्री त्रिलोकीनाथ	..	..	..	२२–४–५९ से
२—श्री दयाशंकर उपाध्याय	..	..	..	२४–३–६२ से
३—श्री राजकरनसिंह	..	..	..	१३–५–६० से
४—श्री अली हैदर	..	..	..	२–१०–६१ से
५—श्री रामनरायन	..	..	..	११–१०–६२ से
६—श्री रामखेलावन	..	..	..	१–११–६१ से
७—श्री कमलासिंह	..	..	..	४–८–६२ से
८—श्री रामकुंवर यादव	..	..	..	१–८–४९ से
९—श्री धर्मराज	..	..	..	७–६–६२ से
१०—श्री सतीप्रसाद	..	..	..	७–१–६३ से

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२० पर)

१९६१–६२ में अलीगढ़ जिले के विकास खंडों में जीप के पेट्रोल का खर्च

क्रम-संख्या	गाड़ी का नम्बर	विकास खंड का नम्बर		पेट्रोल का खर्च
१	यू० एस० क्यू० २६३६	टप्पल विकास खंड	..	१३२६.५०
२	यू० एस० क्यू० २७७५	हुसैन विकास खंड	..	७७०.४५
३	यू० एस० क्यू० ३५०८	जवान विकास खंड	..	१४६२.३५
४	यू० एस० क्यू० ३६५८	गोंडा विकास खंड	..	१३६७.४४
५	यू० एस० क्यू० ३६६४	गंगिरि विकास खंड	..	४३९.६५
६	यू० एस० क्यू० ४६६७	हाथरस विकास खंड	..	५८८.१२
७	यू० एस० क्यू० ४७१८	इगलास विकास खंड	..	६०८.१०
८	यू० एस० क्यू० ५९४२	खैर विकास खंड	..	८८८.१५
९	यू० एस० क्यू० ५०६३	अतरौली विकास खंड	..	१२४७.८३
१०	यू० एस० क्यू० ६५८६	सिकन्द्राराव विकास खंड	..	१४९५.८२
११	यू० एस० क्यू० ९९१६	अकराबाद विकास खंड	..	२५५.००
१२	यू० पी० डी० ११७६	धनीपुर विकास खंड	..	२१६.२२

१९६१–६२ में मथुरा जिले के विकास खंडों में जीप के पेट्रोल का खर्च

क्रम सं०	गाड़ी का नम्बर	विकास खंड का नाम		पेट्रोल का खर्च रु०
१	यू० एस० क्यू० ६६२५	राया ब्लाक	..	१२९१.९८
२	यू० एस० क्यू० ६६२०	फराह ब्लाक	..	१०३६.८२
३	यू० एस० क्यू० ३५१०	नोह्झील ब्लाक	..	१०३१.८७
४	यू० एस० क्यू० ४९२६	नन्दगांव ब्लाक	..	५३०.९२
५	यू० एस० क्यू० ६११८	सदाबाद ब्लाक	..	८९०.०८
६	यू० एस० क्यू० ९२५९	बल्देव ब्लाक	..	७०८.२६
७	यू० एस० क्यू० ३५२९	गोबरधन ब्लाक	..	७२९.३६
८	यू० एस० क्यू० २६२३	मथुरा ब्लाक	..	१५६०.४१
		योग	..	९५७३.५०

१९६१–६२ में आगरा जिले के विकास खंडों में जीप के पेट्रोल का खर्च

क्रम सं०	गाड़ी का रजिस्ट्रेशन	खंड का नाम		पेट्रोल पर व्यय
१	यू० एस० क्यू० ३४७७	बिचपुरी	..	७७५.१५
२	यू० पी० ए० ३७९४	अकोला	..	५६६.६३
३	यू० एस० क्यू० ४११२	शमशाबाद	..	६१६.६०
४	यू० एस० क्यू ३८४१	पिनाहट	..	८६३.५०
५	यू० एस० क्यू० ४१४३	सया	..	१६८९.५१
६	यू० एस० क्यू० २६२५	बाह	..	३५७.६२
७	यू० एस० क्यू० ३८४८	जगनेर	..	६२६.५०
८	यू० एस० क्यू० ५०५४	टूंडला	..	४७९.७५
९	यू० एस० क्यू० १८१५	फतहाबाद	..	९४.६२
१०	यू० एस० क्यू० २६५५	खैरागढ़	..	५७२.३५
११	यू० एस० क्यू० ५९१५	फतेहपुर सीकरी	..	१२८८.३०
१२	यू० पी० डी० १०६९	किरावली	..	७२.९४

१९६१–६२ में मैनपुरी जिले के विकास खंडों के जीप के पेट्रोल का खर्च

क्रम-संख्या	गाड़ी का नम्बर		विकास खंड का नाम		पेट्रोल का खर्च
१	यू० एस० के० ४०४	..	सुल्तानगंज	..	९२८.९६
२	यू० एस० क्यू० २,७५१	..	मवनपुर	..	१,३०२.०५
३	यू० एस० क्यू० ३,५२२	..	एका	..	५८७.८१
४	यू० एस० क्यू० ४,१४८	..	करहल	..	८४०.९१
५	यू० एस० क्यू० ४,११३	..	करोली		१,२९५.४०
६	यू० एस० क्यू० ४,६१७	..	मैनपुरी	..	१,०१६.७३
७	यू० एस० क्यू० ५,९१३	..	किशनी	..	१,०८०.३३
८	यू० एस० क्यू० ६१०९	..	घिरोर	..	६०६.२७
९	यू० एस० क्यू० ६,५५८	..	जसराना	..	१,४४७.८२
१०	यू० पी० डी० १०९८	..	बरनहाल	..	३७९.०५
११	यू० एस० क्यू० ९,२४८	..	अल्लाऊ	..	१,००२.११

१९६१–६२ में एटा जिले के विकास खंडों के जीपों के पेट्रोल का खर्च

क्रम-संख्या	गाड़ी का नम्बर		विकास खंड का नाम		पेट्रोल का खर्च
१	यू० एस० क्यू० ४,९२४	..	शीतलपुर	..	८१५.१०
२	यू० एस० क्यू० ३५३६	..	कासगंज	..	८१२.९१
३	यू० एस० क्यू० ३,५२७	..	सहावर	..	८०८.०४
४	यू० एस० क्यू० ६५९१	..	साकित	..	१४७४.११
५	यू० पी० डी० १,१६५	..	निधोली कलन	..	२२०.८५
६	यू० एस० क्यू० ६,५३४	..	सिद्धपुरा	..	१,२२२.८४
७	यू० एस० क्यू० ४,९२१	..	जलेसर	..	१,४५०.५४
८	यू० एस० क्यू० २,७५२	..	अवगढ़	..	१,२०५.४४
९	यू० पी० टी० ५२३	..	अलीगंज	..	८२२.४१
१०	यू० एस० क्यू० ६,०८२	..	पटियाली	..	७८५.०५
११	यू० एस० क्यू० ६,५८७	..	मरेंहारा	..	९९०.४४

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२२ पर)

ब्लाक का नाम	सैनिटरी इन्स्पेक्टर का नाम	तिथि जब से काम कर रहे हैं	अधिकारी का नाम जिसके अन्तर्गत सेनेटरी इंसपेक्टर कार्य कर रहे हैं	अन्य विवरण
अ—तहसील नवाबगंज (सदर)				
१—मसौली	श्री एस० के० वर्मा ..	जुलाई, १९६१	जिला स्वास्थ्य अधिकारी।	..
२—बंकी ..	श्री कीर्तिमोहन शर्मा	दिसम्बर, १९६१	जिला नियोजन अधिकारी।	..
३—देवा	श्री जी० सी० अग्निहोत्री	अगस्त, १९६२	जिला नियोजन अधिकारी।	..
४—हरख	श्री के० पी० गुप्ता	अप्रैल, १९६०	अन्तरिम जिला परिषद्।	..
ब—तहसील फतेहपुर				
५—रामनगर	श्री एम० पी० खरे	नवम्बर, १९६०	जिला स्वास्थ्य अधिकारी।	..
६—सूरतगंज	श्री अभिलाश चन्द्र सक्सेना।	मई, १९६३ ..	जिला स्वास्थ्य अधिकारी।	..
७—फतेहपुर	श्री शमशेर बहादुर श्रीवास्तव।	अप्रैल, १९५९ ..	अन्तरिम जिला परिषद्।	..
८—निन्दूरा	श्री सुशीलचन्द्र निगम	जून, १९६२ ..	जिला स्वास्थ्य अधिकारी।	..
स—तहसील रामसनेही घाट				
९—रुदौली	श्री तेजनारायण श्रीवास्तव।	जुलाई, १९६२	जिला स्वास्थ्य अधिकारी।	..
१०—दरियाबाद	श्री सुखदेवसिंह ..	जुलाई, १९६२	जिला स्वास्थ्य अधिकारी।	..
११—बनीं कोंडर	..	..	श्री मोहम्मद अली सेनिटरी इन्स्पेक्टर, सिद्धौर, काम देख रहे हैं।	
१२—पूरे डलई	श्री कुंवर जगदीश सिंह	दिसम्बर, १९६२	अन्तरिम जिला परिषद्।	..
१३—सवई	श्री सी० एस० दीक्षित	अप्रैल, १९६०	अन्तरिम जिला परिषद्।	..

ब्लाक का नाम	सैनिटरी इन्स्पेक्टर का नाम	तिथि जब से काम कर रहे हैं	अधिकारी का नाम जिसके अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं	अन्य विवरण
द—हैदरगढ़ तहसील				
१४—हैदरगढ़	श्री योगेश प्रकाश रस्तोगी	मई, १९६३ ...	जिला स्वास्थ्य अधिकारी।	...
१५—त्रिवेदी गंज।	श्री जगदीश चन्द्र शर्मा	अक्तूबर, १९६२	जिला नियोजन अधिकारी।	...
१६—सिद्धौर	श्री मोहम्मद अली ...	फरवरी, १९६३	अन्तरिम जिला परिषद्।	...

परिशिष्ट 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२३ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६३ के पहले बुधवार के लिये निर्धारित श्री शिवनाथसिंह का अतारांकित प्रश्न सं० २३ के सम्बन्ध में ।

क्रम-संख्या	वर्ष	संस्था का नाम एवं पता	स्वीकृत धन		
			आवर्तक	अनावर्तक	योग
			रु०	रु०	रु०
१	१९५१-५२	परिगणित जातीय छात्रावास, कर्नलगंज ..	१,३२०	१२५	१,४४५
२	१९५२-५३	१—परिगणित जातीय छात्रावास, कर्नलगंज	१,३२०	..	१,३२०
		२—परिगणित जातीय छात्रावास, पुखरायां ..	९४८	२००	१,१४८
३	१९५३-५४	१—परिगणित जातीय छात्रावास, कर्नलगंज	१,३२०	१२०	१,४४०
		२—परिगणित जातीय छात्रावास, पुखरायां ..	९४८	१२०	१,०६८
		३—जगजीवन छात्रावास, बुद्धपुरी ..	४००	१००	५००
४	१९५४-५५	१—परिगणित जातीय छात्रावास, कर्नलगंज	१,३२०	८०	१,४००
		२—परिगणित जातीय छात्रावास, पुखरायां ..	७११	..	७११
		३—जगजीवन छात्रावास, बुद्धपुरी ..	६००	८०	६८०
५	१९५५-५६	१—हरिजन छात्रावास, कर्नलगंज ..	१,३२०	१००	१,४२०
		२—हरिजन छात्रावास, पुखरायां ..	७०८	१००	८०८
		३—जगजीवन छात्रावास, बुद्धपुरी ..	६००	१००	७००
६	१९५६-५७	१—हरिजन छात्रावास, कर्नलगंज ..	१,३२०	३००	१,६२०
		२—हरिजन छात्रावास, पुखरायां ..	५११	१००	८११

क्रम-संख्या	वर्ष	संस्था का नाम एवं पता	स्वीकृत धन			
			आवर्तक	अनावर्तक	योग	विशेष
		३—जगजीवन छात्रावास, बुद्धपुरी ..	६००	४२०	१,०२०	
७	१९५७-५८	१—हरिजन छात्रावास, कर्नलगंज ..	१२००	५००	१७००	
		२—हरिजन छात्रावास, पुखरायां ..	५३१	१७७	५००	१,२०८
		३—जगजीवन छात्रावास, बुद्धपुरी ..	६६०	५००		१,१६०
८	१९५८-५९	१—हरिजन छात्रावास, कर्नलगंज ..	१,२००	..		१,२००
		२—हरिजन छात्रावास, पुखरायां ..	४८६	..		४८६
		३—जगजीवन छात्रावास, बुद्धपुरी ..	६६०	..		६६०
९	१९५९-६०	१—हरिजन छात्रावास, कर्नलगंज ..	१,२००	..		१,२००
		२—हरिजन छात्रावास, पुखरायां ..	..	..	..	..
		३—जगजीवन छात्रावास, बुद्धपुरी ..	७८०	..		७८०
१०	१९६०-६१	१—हरिजन छात्रावास, कर्नलगंज ..	६००	..		६००
		२—हरिजन छात्रावास, पुखरायां ..	..	..	..	..
		३—जगजीवन छात्रावास, बुद्धपुरी ..	..	..	..	..

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—११९ एल० ए०—१९६३—८६० ।